दुनिया के सर्वहारा तथा तमाम
मेहनतकश जनता और उत्पीड़ित
राष्ट्रीयताओं की जनता एक हो!

लाल चिनगारी

वर्ष–14 अंक–39 अक्टूबर – दिसम्बर 2018

मुखपत्र

बिहार–झारखण्ड
स्पेशल एरिया कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी
(माओवादी)

सूचना

आप सभी भली-भांति जानते हैं कि लाल चिनगारी के प्रकाशन में कई तरह की दिक्कतों के बावजूद नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है।

अतः आप सभी लाल चिनगारी पाठकों को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक दिन हमारे इलाके में घट रही घटनाओं जैसे-बर्बर पुलिसिया जुल्म-अत्याचार, पुलिस, प्रतिक्रियावादी और वर्ग दुश्मनों द्वारा गठित विभिन्न नामों के सशस्त्र खुफिया गुण्डा गिरोह के द्वारा मार-पीट, हत्या, बलात्कार करने से लेकर विभिन्न तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावे हमारी पार्टी के द्वारा संचालित जनमुक्ति छापामार सेना के द्वारा कई शानदार कार्रवाइयों समेत जनता के द्वारा कई जनांदोलन किये गए हैं एवं किये जा रहे हैं। इस कार्रवाइयों के दौरान हमारे पीएलजीए के योद्धा बहादूरी के साथ संघर्ष करते हुए शहादत दे रहे हैं। फिर पुलिस व सशस्त्र खुफिया गुण्डा गिरोहों की मिलीभगत से हमारे नेता, कार्यकर्त्ता व समर्थक जनता की फर्जी मुठभेड़ में हत्याएं कर रहे हैं।

अतः सभी लाल चिनगारी पाठकों से अपील किया जाता है कि ऐसे तमाम घटनाओं की रिपोर्ट आप नियमित रूप से लाल चिनगारी संपादकमंडल को भेजें। साथ ही साथ विभिन्न मुद्दों पर लेख-आलेख, खासकर शहीदों की जीवनी फोटो के साथ नियमित रूप से भेजते रहें और लाल चिनगारी में प्रकाशित लेखों पर भी अपनी प्रतिक्रिया भेजें ताकि लाल चिनगारी को और भी समृद्ध किया जा सके।

-संपादकमंडल, लाल चिनगारी

लाल चिनगारी

वर्ष- 14 अंक: 39
अक्टूबर - दिसम्बर 2018

विषय सूचीः

1. सम्पादकीय 01
2. ऐ लाल फरेरे तेरी कसम 04
3. इआरबीएस का साक्षात्कार 06
4. एनआरसी... 14
5. बीजे सैक सरकुलर 17
6. गोड्डा में जमीन लूट... 22
7. कहानियां 29
8. कविताएं 37
9. बुकलेट, पर्चे व प्रेस रिलीज 47
10. पीएलजीए रिपोर्ट 67

सहयोग राशि - 20 रूपये

सम्पादकीय

भाकपा (माओवादी) के महासचिव के रुप में कार्यरत कामरेड गणपति ने महासचिव के पद व जिम्मेदारियां से स्वैच्छिक अवकाश लिए व केंद्रीय कमेटी ने कामरेड बासवराजू को नया महासचिव के रूप में चयनित किए

(विदित है कि फरवरी, 2017 में हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी की 5वीं बैठक हुई थी और उसी बैठक में हमारी पार्टी के नये महासचिव का चुनाव हुआ था। इस संबंध में हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के प्रवक्ता कामरेड अभय ने 10 नवंबर, 2018 को अंग्रेजी में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस सूचना से देश-दुनिया को अवगत कराया।

इस अंक के संपादकीय में केन्द्रीय कमेटी की प्रेस विज्ञप्ति का हिन्दी अनुवाद हम इसलिए दे रहे हैं, ताकि हमारे पाठकगण, पार्टी सदस्य, पीएलजीए योद्धा, संयुक्त मोर्चा के साथियों के साथ-साथ पूरी कतार यह जान पाये कि क्यों और किस परिस्थिति में नये महासचिव का चुनाव कराना पड़ा, साथ-ही नये महासचिव के बारे में भी इसमें बहुत सारी जानकारी है। हम अपने पाठकों से अनुरोध करते हैं कि आप इसका गहराई से जरूर अध्ययन करें और इन बातों को पूरी कतार व समर्थकों के बीच भी ले जाएं। -संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

कामरेड गणपति ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान गिरते स्वास्थ्य, बढ़ती उम्र और केंद्रीय कमेटी की मजबूती के लक्ष्य और भविष्य को देखते हुए महासचिव के पद और जिम्मेदारियों से स्वैच्छिक अवकाश तथा उनकी जगह दूसरे कामरेड को महासचिव का पद व जिम्मेदारियों को सौंपने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय कमेटी की पांचवीं मीटिंग में इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर इसे स्वीकृत करते हुए कामरेड बासवराजू (नम्बल्ला केशव राव) को महासचिव के रूप में चयनित किया गया।

कामरेड गणपति को सीपीआई (एमएल) (पीपुल्स वार) के महासचिव के रूप में जून 1992 में चयनित किया गया था, वह वक्त पार्टी के लिए मुश्किलों से भरा था। 1991 में आंध्र प्रदेश सरकार पार्टी को कुचलने का दूसरा चरण शुरू कर चुकी थी। उस वक्त पार्टी को सशस्त्र संघर्ष को उन्नत करने की कार्यनीति को लागू करने से लेकर कई तरह की चुनौतियों का

सामना करना पड़ रहा था। उस वक्त केंद्रीय कमेटी के सचिव कोंडापल्ली सीतारमैया व उनके नेतृत्वाधीन कमेटी उन चुनौतियों से निपटने की स्थिति में नहीं थी, जो पार्टी सामना कर रही थी। ऐसी स्थिति में सभी पार्टी कतारों तथा जनता पर आधारित हो कर उन चुनौतियों का सामना करने के बजाय सीतारमैया और केंद्रीय कमेटी के एक सदस्य ने षड़यंत्रपूर्ण पद्धतियां अपनायी और पार्टी के लिए आंतरिक संकट का कारण बने। पर पूरी पार्टी कतारों ने, इने-गिने अवसरवादियों के गुट जो पार्टी को विभाजित करने चाहते थे, उसके खिलाफ सैद्धांतिक संघर्ष चलाने के लिए एकजूट हो गए। इस अवसर पर केंद्रीय कमेटी के युवा नेतृत्व ने पार्टी को इस आंतरिक संकट से निकालने का जो तरीका अपनाया, वह पूरी पार्टी के लिए एक अच्छा शिक्षा अभियान साबित हुआ और पार्टी कार्यशैली को चुस्त-दुरुस्त किया। पूरी पार्टी विचारधारात्मक और राजनीतिक स्तर पर विकसित हुई। मुख्य रूप से केंद्रीय कमेटी में सामूहिक नेतृत्व व सामूहिक टीम संचालन की शैली विकसित हुई। कामरेड गणपति ने केंद्रीय कमेटी के इस क्रांतिकारी पहल में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी नेतृत्व की भूमिका निभाई। इस प्रक्रिया में पूरी पार्टी एक साथ उठ खड़ी हुई, षड़यंत्रकारियों को मात दी और खुद को जनवादी केंद्रीयता के कसौटी पर खड़े होकर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया। इस स्थिति में केंद्रीय कमेटी, जो एक सामूहिक नेतृत्व के रूप में विकसित हुई, ने कामरेड गणपति को अपना नया महासचिव के रुप में चयन किया।

1995 में, हमने यानी सीपीआई (एमएल) (पीपुल्स वार) ने ऑल इंडिया स्पेशल कांफ्रेंस आयोजित किया और पार्टी लाइन को समृद्ध किया। इस कांफ्रेंस में नई केंद्रीय कमेटी को चुना गया। नई केंद्रीय कमेटी ने पुनः कामरेड गणपति को महासचिव चुना। अगस्त 1998 में, सीपीआई (एमएल) (पीपुल्स वार) और सीपीआई (एमएल) (पार्टी यूनिटी) का विलय हो कर सीपीआई (एमएल) (पीपुल्स वार) बना। इस विकास के साथ-साथ पार्टी ने अपने क्षेत्र को कई राज्यों में विस्तार किया और पूर्व की तुलना में और ज्यादा भारतीय चरित्र हासिल किया। इस अवसर पर बनी नयी केंद्रीय कमेटी ने कामरेड गणपति को ही पार्टी के महासचिव के रुप में चयन किया। 2 दिसम्बर 2000 को अपने सामरिक लाइन व नीति को विकसित किया और पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बनाया गया। भूतपूर्व सीपीआई (एमएल)(पीपुल्स वार) की 9वीं कांग्रेस 2001 में हुई, जिसके फलस्वरुप पार्टी के राजनीतिक, सामरिक और सांगठनिक लाइन को और समृद्ध किया गया। उक्त कांग्रेस ने भारत की ठोस परिस्थिति में दीर्घकालीन जनयुद्ध की रणनीति को व्यवहार में लागू करने के एक अंश के बतौर गुरिल्ला आधार (बेस) की स्थापना करने का जैसा कुछ नयी चीजें को सामने लाया। पार्टी ने सेन्ट्रल मिलिटरी कमीशन के नेतृत्व में पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बनाने तथा साथ ही पीपुल्स वार और स्टेट पावर के बीच अंतर्संबंध पर बल देने के लिए प्रोत्साहित किया। यहां नयी केंद्रीय कमेटी ने एक बार फिर कामरेड गणपति को पार्टी महासचिव के बतौर चयन किए।

21 सितम्बर 2004 में, सीपीआई (एमएल) (पीपुल्स वार) और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (एमसीसीआई) का विलय हुआ और सीपीआई (माओवादी) बनी। समृद्ध विचाराधात्मक और राजनीतिक लाईन पर आधारित यह विलय भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में एक बड़ा छलांग साबित हुआ। यह विकास भारत के क्रांतिकारी इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह विकास पार्टी को और मजबूत तथा और विस्तारित किया। दोनों पार्टियों की गुरिल्ला आर्मी का भी आपस में विलय हुआ और एक मजबूत पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का गठन हुआ। 2004 तक देश के कई क्रांतिकारी समूह और व्यक्ति जो छोटी-छोटी इकाई के रूप में थे, वे सभी उस समय के दो मुख्य धारा एमसीसीआई और सीपीआई (एमएल) (पीपुल्स वार) में उस समय तक विलय हो चुके थे। ये दो मुख्यधारा विलय होकर सीपीआई (माओवादी) बन कर एक महाधारा के रुप में विकसित हुई। नक्सलबाड़ी पीढ़ी के कई नेता जिन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई थी और जिनके पास समृद्ध अनुभव था, वे भी इस पार्टी के गठन प्रक्रिया में शामिल हुए। ऐसे नेतृत्व व कैडरों से समृद्ध पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने कामरेड गणपति को महासचिव के रूप में चुना। 2007 में आयोजित एकता कांग्रेस-9वीं कांग्रेस में सर्वसम्मति से इन्हें पार्टी महासचिव के बतौर चयन किया गया। एकता कांग्रेस-9वीं कांग्रेस के बाद, केंद्रीय कमिटी के नेतृत्व में आंदोलन ने नयी ऊंचाईयों को छुआ। विकास की इस प्रक्रिया में हम कह सकते हैं कि 2013 के अंत तक सीपीआई (एमएल) (नक्सलबाड़ी) और सीपीआई (माओवादी) के विलय के साथ भारतीय क्रांतिकारी पार्टी की एकीकरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी।

कामरेड गणपति के पार्टी महासचिव के बतौर अपने दायित्व को निभाते समय यानी 25 वर्षों की अवधि

(1992-2017) के दौरान, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जारी आंदोलन ने कई उतार-चढ़ाव का सामना करते हुए अग्रगति हासिल किया। पार्टी भी तीव्र व तीखा वर्ग-संघर्ष की आग में तपी-तपायी यानी फौलादी बनी। इसने दुश्मनों के प्रतिक्रांतिकारी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए क्रांतिकारी कतार और क्रांतिकारी जनता को एक दृढ़ सर्वहारा नेतृत्व मुहैया किया। इस प्रक्रिया में, कामरेड गणपति ने पूर्व की भांति केंद्रीय कमेटी और पूरी पार्टी को और शक्तिशाली करने के लिए सारी शक्ति व योग्यता को समर्पित कर देने के साथ गिरते स्वास्थ्य व बढ़ती उम्र के कारण खुद को महासचिव के पद व दायित्व से अवकाश ले रहे हैं। इस कारण केंद्रीय कमेटी ने कामरेड बासवराजू (नम्बल्ला केशव राव) को महासचिव नियुक्त किया। कामरेड बासवराजू पार्टी के विभिन्न कमेटी के सचिव के रूप में साढ़े तीन दशक और केंद्रीय कमेटी के सदस्य के बतौर 27 वर्ष तथा पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य के बतौर 18 वर्ष तक पार्टी की अग्रिम पंक्ति में रहकर अपना सफल नेतृत्व प्रदान करते आए हैं। वे मुख्य रूप से सेंट्रल मिलिट्री कमिशन के प्रभारी के बतौर जारी जनयुद्ध की अग्रगति करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। विशेष तौर पर कहा जाए तो 1992 के बाद सामूहिक नेतृत्व के उत्थान से वे केंद्रीय कमेटी के प्रमुख कामरेडों में से एक के बतौर महासचिव के जैसा प्रोन्नति किये।

दरअसल पूरी पार्टी को विकास करने की प्रक्रिया के एक अंश के बतौर ही केंद्रीय कमेटी में उक्त बदलाव किया गया। इन बदलावों ने केंद्रीय कमेटी को और ज्यादा मजबूत करेगा। केंद्रीय कमेटी वादा करती है कि वे पार्टी के सभी स्तर-कतार और क्रांतिकारी जनता को पार्टी के सांगठनिक सिद्धांतों-जनवादी केंद्रीयता व आत्मआलोचना-आलोचना के सिद्धांत के कार्यान्वयन में पूरे अटल और दृढ़ रहेंगे; तथा पूरी पार्टी के सभी स्तर व कतार और क्रांतिकारी जनता को सामूहिक केंद्रीय नेतृत्व प्रदान करेंगे; जन लाइन व वर्ग लाइन के आधार पर दुश्मन द्वारा जारी 'समाधान' के नाम पर फासीवादी रणनीति के अधीन प्रतिक्रांतिकारी आक्रामक कार्यवाही को चकनाचूर करेंगे; जनता को जनयुद्ध में शामिल करेंगे तथा देश भर में नई जनवादी क्रांति को सफल करने के लिए सर्वहारा वर्ग के हिरावल दस्ता के बतौर सामूहिक केंद्रीय नेतृत्व प्रदान करेंगे।

डी-जोन की रिपोर्ट

पार्टी की 14वीं स्थापना दिवस की रिपोर्ट

पार्टी स्थापना दिवस हमलोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाए। इस वर्ष पार्टी स्थापना दिवस पहुंचने से 10 दिन पहले से ही पूरा इलाका में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया गया। गांव-देहात इलाका से लेकर शहर तक का हर चौक-मोड़ एवं शहर से लेकर देहात-गांव की तरफ घुसने वाली हरेक रोड-रास्ता में जगह-जगह पर बैनर, फेस्टून, बुकलेट, पोस्टर आदि चिपकाया गया। पार्टी स्थापना दिवस इस वर्ष कुछ ज्यादा ही अच्छा रहा क्योंकि इस बार पोस्टर एवं बैनर को अपने क्षेत्रीय भाषा में भी लिखा गया था, इसलिए जनता को पढ़ने में और समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। खास बात तो यह है कि जहां पुलिस अपना डींग हाँकती है कि माओवादी को उसके अंदर इलाका में घुसकर मारेंगे, ठीक उसका उल्टा ही हमारी पार्टी समर्थक जनता एवं जन मिलिशिया के साथी लोग बहुत ही साहस के साथ पुलिस कैम्प की दीवाल पर, पुलिस की गाड़ी में एवं जहां 24 घंटा पुलिस अपना ड्यूटी लगाकर रखती है, उसी बीच में घुसकर पोस्टर हो चाहे बैनर, फेस्टून आदि लगाया। इससे दुश्मन के बीच में घबड़ाहट भी हुई। जहां बीजेपी सरकार व डीजीपी डीके पाण्डे माओवादी सफाया का डींग हांक रहा है, वहीं खुली चुनौती के तौर पर गांव-देहात से लेकर शहर तक हमारी पार्टी का प्रचार-प्रसार सही ढंग से ही हुआ।

21 सितम्बर से प्रारंभ पार्टी की 14वीं स्थापना सप्ताह को 23 सितंबर, 2018 को हमलोग अपने गुरिल्ला कैम्प के अंदर ही पीएलजीए के साथ मनाये, जिस जगह मनाये उस जगह पर चारों ओर हमारी पीएलजीए की कड़ी सुरक्षा थी। इतना ही नहीं उस दिन जन मिलिशिया के साथी लोग भी दुश्मन आने के हर रोड-रास्ता में दिनभर संतरी करते रहे। उस दिन आसमान में बादल छाया हुआ था एवं हल्का-हल्का रूक-रूक कर बारिश हो रही थी। बारिश होने के बावजूद भींग कर ही हमारी पीएलजीए एवं कैम्प के अगल-बगल गांव की लगभग 50-60 की संख्या में समर्थक जनता भी उस प्रोग्राम में शामिल हुई। बारिश में भींग कर भी प्रोग्राम को सफल किया गया।

फिर, 25 सितम्बर को 8-10 गांव की व्यापक जनता के साथ पीएलजीए की एक टुकड़ी ने स्थापना दिवस मनाया। वहां पर भी साथियों के द्वारा वक्तव्य दिया गया व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 300 से 350 की संख्या में ग्रामीण महिला-पुरूष शामिल हुए।

फिर, 27 सितम्बर को भी 8-10 गांव का जनता के बीच एक स्कूल के मैदान में पीएलजीए की एक टुकड़ी द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। वहां पर भी जनता के बीच पार्टी के स्थापना दिवस के महत्व के बारे में वक्तव्य रखा गया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया। इस कार्यक्रम में भी लगभग 3-4 सौ के बीच महिला-पुरूष, बच्चा-बच्ची, बूढ़ा-बूढ़ी जनता शामिल हुई। इस तरह से पार्टी स्थापना दिवस डी-जोन के बुंडू-चांडिल सबजोन में तीन जगह मनाया गया।

ऐ लाल फरेरे तेरी कसम.....

वीर शहीद कामरेड जीतन सिंह भोक्ता उर्फ महेश, कामरेड सुरेश भुइयां उर्फ राकेश, कामरेड लालू यादव, कामरेड अजय भुइयां, कमरेड उर्मीला एवं कामरेड रूबी को शत्-शत् लाल सलाम

(लाल चिनगारी के अंक-38 में भी इन शहीद साथियों के बारे में दिया गया था, लेकिन उसमें सिर्फ सूचना के बतौर ही था। अभी हम बीआरसी के मध्य जोन अंतर्गत उत्तरी सबजोनल कमेटी द्वारा वितरित बुकलेट को यहां दे रहे हैं, जिसमें इन शहीद साथियों के बारे में ज्यादा जानकारी है।- संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

प्रकृति का नियम है, किसी जीव-जन्तु व वस्तु का जन्म होता है, उसका निश्चित ही मृत्यु होता है। इसे कोई न रोक सका है और न रोक सकेगा। चाहे जंगल में हो, खेत-खलिहान में हो, गांव, बाजार, कस्बा, शहर, औद्योगिक क्षेत्र में हो। पैदल, मोटरसाईकिल, साईकिल, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, जहाज पर सैर कर रहा हो। शासक वर्गों की सेवा में फौज, सिपाही, चपरासी से लेकर आलाधिकारी, नेता-मंत्री, विधायक, मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो या सर्वहारा वर्ग (मजदूर-किसान) की सेवा में जनमुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए), सीपीआई (माओवादी), कार्यकर्ता, नेता तथा आम जनता हो लेकिन मौत की अहमियत अलग-अलग होती है। जो शासक वर्गों की सेवा में मौत होती है उसकी अहमियत हल्का पंख के समान होती है और जो शोषित-उत्पीड़ित जनता अर्थात सर्वहारा वर्ग के हितों के लिए मौत होती है, उसकी अहमियत बहुत भारी पर्वत के समान होती है।

बिहार-झारखण्ड में मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद के सिद्धांत के आलोक में भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में पांच दशकों से सामंतवाद, साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के खिलाफ में निरंतर संघर्ष जारी है। संघर्ष में मजदूर-किसान का सैंकड़ों बेटा-बेटी ने बहुमूल्य प्राण को न्यौछावर करते हुए शहादत दिए हैं। आज भी प्रतिदिन शहादत की पंक्ति में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि सामंतवाद-साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को एक हद तक आगे बढ़ाते हुए, सीधे राज्य के साथ संघर्ष हो रहा है। यूपीए (कांग्रेस) की सरकार का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा देश को आन्तरिक प्रधान खतरा माओवादियों से है, की घोषणा के समय से एलआईसी (कम तीव्रता वाला युद्ध) के तहत ऑपरेशन ग्रीन हंट नामक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी को ब्राम्हणीय हिन्दुत्व फासीवादी एनडीए (भाजपा) का केन्द्र सरकार व उसका मुखिया नरेन्द्र मोदी ने जारी रखा है। जिसे झारखण्ड और बिहार के रघुवर दास, नीतीश कुमार की सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। क्रान्तिकारी जनता, भाकपा (माओवादी) व जनमुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) के उपर निरंतर हमला चलाया जा रहा है। हमला केवल सैनिक ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी चलाया जा रहा है। गांव-गांव में स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ), मुखबीर, राज्य पोषित सशस्त्र खुफिया गिरोह टीपीसी, जेपीसी, जेजेएमपी, पीएलएफआई नामक प्रतिक्रान्तिकारी संगठनों का गठन कर भी हमला चलाया जा रहा है। पार्टी, पीएलजीए के अन्दर कोवर्ट घुसाकर कोवर्ट द्वारा हमला करवाया जा रहा है।

ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ क्रान्तिकारी जनता व हमारी पार्टी, पीएलजीए द्वारा भी लगातार जवाबी कार्रवाई किया जा रहा है। दुश्मन द्वारा रचा गया चक्रव्यूह में फंसाकर दुश्मन पार्टी, पीएलजीए, कार्यकर्ताओं को व क्रान्तिकारी जनता की हत्याएं कर रही है।

दिनांक 8 फरवरी 2018 को ग्राम-जजलू, थाना-छतरपुर, जिला-पलामू (झारखण्ड) में पीएलजीए का दस्ता ठहरा हुआ था। पुलिस मुखबिर और एसपीओ द्वारा पलामू एसपी को सूचना दिया गया। एसपी इन्द्रजीत महथा के नेतृत्व में दस्ता को फंसाने के लिए दुश्मन एम्बुश में बैठ गया, जैसे ही दस्ता गांव से निकलकर जंगल की ओर जा रहा था पुलिस के एम्बुश द्वारा गोली चलना शुरू हो गया। दस्ता द्वारा भी जवाबी फायरिंग किया गया, इसी क्रम में उत्तरी सबजोनल कमेटी के सदस्य कामरेड जीतन सिंह भोक्ता उर्फ महेश, उम्र-60 वर्ष, ग्राम-सिढ़ा, थाना-नौडीहा, जिला-पलामू (झारखण्ड) के थे, पुलिस की गोली से घायल हो गये। पुलिस ने उन्हें जिन्दा पकड़कर अमानवीय ढंग से टॉर्चर करते हुए हत्या कर दिया। इन्होंने मौत पसंद किए लेकिन पार्टी की कोई गुप्त बात नहीं

खोले। इन्होंने 1984-85 से ही गांव स्तर में क्रान्तिकारी किसान कमेटी में जुड़कर काम करते थे। भाकपा (माओवादी) में सन् 2010 ई. में जुड़कर अपनी इमानदारी के साथ काम करते हुए सबजोनल कमेटी के सदस्य के रूप में जिम्मेवारी निभा रहे थे।

दिनांक 26 मार्च 2018 को झुनझुना पहाड़ में पुनः एक बार फिर पलामू एसपी इन्द्रजीत महथा तथा क्षेत्र के प्रतिक्रियावादी, मुखबिर, एसपीओ के बिछाया हुआ जाल में दस्ता को फंसाने में कामयाब हो गया। झुनझुना पहाड़ के पास एक कुआं है। एसपी महथा को जानकारी थी कि माओवादी का पीएलजीए का दस्ता कुआं पर पानी लेने जरूर आयेगा। क्योंकि जंगल में कहीं पानी नहीं था। पुलिस कुआं के पास एम्बुश में बैठ गया। साथियों ने स्थानीय जनता को पानी के लिए चार-पांच ब्लाडर पांच लीटर वाला देकर भेजे। जनता समय अनुसार नहीं आई। जनता को देखने के लिए चार-पांच साथी कुआं के पास जा रहे थे कि कुआं के पास जैसे ही पहुंचने वाले ही थे कि पुलिस द्वारा फायरिंग शुरू हो गया। पांच साथी का. राकेश, का. लालू, का. अजय, का. उर्मिला और कामरेड रूबी घायल हो गये। दुश्मन घायल अवस्था में पांचों साथी को पकड़ लिया, क्रूरतम रूप से अत्याचार करते हुए सभी साथियों की हत्या कर दी। लेकिन वे दुश्मन के सामने मुंह नहीं खोले और सदा-सदा के लिए हमसे विदा हो गये।

का. सुरेश भुइयां उर्फ का. राकेश ग्राम-आजाद विगहा, थाना-मदनपुर, जिला-औरंगाबाद (बिहार), उम्र 42 वर्ष गरीब किसान थे। इन्होंने वर्ष 2005 में स्थानीय दस्ता में शामिल हुए। इसके बाद इनकी सक्रियता, साहस को देखते हुए प्लाटून न. 27 में शामिल किया गया। ये संस्कृतिकर्मी भी थे। जिससे जनता में लोकप्रिय बन गये। 2010 ई. में उनका उत्तरी सबजोनल कमेटी का सदस्य बनाते हुए कोठी-छतरपुर क्षेत्र का जिम्मेवारी सौंपा गया। इन्होंने इमानदारी-कर्तव्यनिष्ठा के साथ जिम्मेवारी निभा रहे थे। जो दुश्मन के आँखों में किरकिरी बने हुए थे। दुश्मन का तमाम तरह के टॉर्चर सहते हुए अपने आप को शहीद के सूची में शामिल कर दिया।

का. लालू यादव, पिता-तुली यादव, ग्राम-सरदामा, थाना-सलैया (कोठी), गया (बिहार), उम्र 20 वर्ष था। वे मध्यम किसान थे। इन्होंने सन् 2014 ई. में स्थानीय छापामार दस्ता (एलजीएस) में शामिल हुए थे। उनकी कामकाज की योग्यता को देखते हुए, सेक्शन कमांडर (एरिया सदस्य) का जिम्मेवारी दिया गया था, जो बखूबी निभा रहे थे। इनको भी दुश्मन पकड़कर बुरी तरह विभत्स तरीके से टॉर्चर करने के बाद भी पार्टी की गुप्त बातों को नहीं खोले। शहीदों की परम्परा को याद करते हुए अपने शहीद होना मंजूर है लेकिन सरकारी कुते का अपमान सहना कायरता है और वे दुश्मन का गोली के शिकार होकर शहीद हो गए।

का. अजय भुइयां ग्राम-पलहे, थाना-छतरपुर, जिला-पलामू (झारखण्ड), उम्र 18 वर्ष, पार्टी उम्र 2 वर्ष। वे एलजीएस सदस्य के रूप में कार्यरत थे। दुश्मन के गोली से घायल होकर छुप गए तथा कई दिनों के बाद शहीद हो गये।

का. उर्मिला, उम्र 18 वर्ष व का. रूबी उम्र 18 वर्ष गरीब वर्ग के थे, दोनों महिला कामरेड परहिया जाति के थे। ग्राम तुर्कून, थाना-छतरपुर, जिला-पलामू (झारखण्ड)। एलजीएस में 6 माह से जुड़कर काम कर रहे थे। पानी के लिए का. उर्मीला व का. रूबी जाने के क्रम में पुलिस के गोली से घायल हो गयी। घायल अवस्था में पुलिस पकड़ लिया। क्रूर और अमानवीय ढंग से बुरी तरह, आदमखोर जानवर की तरह पलामू एसपी, अर्द्धसैनिक बल, कमांडेंट द्वारा पालतू कुत्ते सिपाहियों से नोचवाया। लेकिन दस्ता कहां रूका हुआ है, नहीं बताई। अंत में पुलिसिया अत्याचार का शिकार होकर अंतिम सांस लेकर वह हम से तथा जनता से सदा-सदा के लिए विदाई लेकर शहादत वरण की।

पलामू एसपी इन्द्रजीत महथा और सीआरपीएफ कमांडेंट हत्यारा पुलिस को इनाम देकर पुरस्कृत किया गया और घोषणा किया गया कि माओवादियों का पलामू से खात्मा कर दिया गया। प्रतिक्रियावादी व पुलिस द्वारा खुशी, जश्न मनाया गया।

साथियो, शहीद मरते नहीं, कब्र में दफनाये जाते हैं। कब्र खोदकर देखो तो जिन्दा पाये जाते हैं। जब तक वर्ग रहेगा, वर्ग संघर्ष जारी रहेगा। व्यक्ति की हत्या कर क्या मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद का सिद्धांत खत्म हो जायेगा? कदापि नहीं, बल्कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। जहां दमन-अत्याचार है, वहीं प्रतिरोध संघर्ष है।

अतः कम तीव्रता वाली युद्ध (एलआइसी) के तहत ऑपरेशन ग्रीन हंट युद्ध अभियान के खिलाफ मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी, महिला, प्रगतिशील, जनवादपसंद लोगों से आह्वान करते हैं कि दुश्मन का तमाम दमन अभियान तथा उसका कुचक्र को ध्वस्त करें। यही हमलोगों द्वारा शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

पूर्वी रीजनल ब्यूरो (इआरबी) के सचिव कामरेड किसान का साक्षात्कार

(एक साथी द्वारा कुछ प्रश्नों को पूर्वी रीजनल ब्यूरो यानी इआरबी के सचिव का. किसान के पास भेजा था, जिसका उत्तर जुलाई, 2018 में का. किसान ने निम्न रूप से दिया। यह प्रश्नोत्तर हमारी पार्टी के संघर्षों के बारे में काफी जानकारी देता है, इसीलिए इस साक्षात्कार के महत्व को देखते हुए हम इसे यहां दे रहे हैं। -संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

1. प्रश्नः बिहार-झारखण्ड में विगत 50 वर्षों के क्रांतिकारी संघर्षों के दौरान बिहार-झारखण्ड में सामाजिक विन्यास में किस प्रकार का बदलाव लाया है और जनता को क्या-क्या मिला है?

उत्तरः आपके इस प्रश्न का उत्तर समग्रता के आधार पर देना है तो बहुत लम्बा इतिहास का वर्णन जैसा हो जाएगा। क्योंकि पीछले 50 वर्षों के घमासान क्रांतिकारी वर्ग-संघर्ष तथा वर्ग युद्ध के जरिए तत्कालीन बिहार और साल 2000 में उससे अलग होकर झारखण्ड राज्य का गठन तक यानी बिहार-झारखण्ड में सामाजिक विन्यास में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, एक बात में कहने से वह अभूतपूर्व है। इसलिए खूब संक्षिप्त रूप से ही मैं दो-चार बातों का जिक्र कर रहा हूं। वे हैं:

आप सबों को मालूम ही है कि भारत के विभिन्न पिछड़े हुए प्रातों के अंदर तत्कालीन बिहार (और अभी का बिहार-झारखण्ड) शायद सबसे पिछड़ा हुआ प्रातों की गिनती में आता है। यह भी आज स्पष्ट तौर पर जाहिर है कि बिहार एक जबरदस्त सामंतवाद का गढ़ रहा है और आज भी दुनिया हिला देने वाला क्रांतिकारी वर्ग-संघर्ष चलाए जाने के बाद भी सामंतों का दबदबा कुछ हद तक बरकरार ही है।

जाहिर-सी बात है कि हजारों सालों से भारतीय समाज पर हावी रहा सामंतवाद जड़ किस्म का जाति-आधारित सामंतवाद रहा है, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा पर निर्मित हुआ था। आज भी निन्दनीय जाति व्यवस्था और जातिवाद, खासकर ब्राह्मणवादी जातिवाद भारतीय समाज की अर्द्ध-सामंती व्यवस्था की एक खास विशेषता है। घृणास्पद जाति व्यवस्था और जातिवाद, जिसे शासक वर्गों ने हजारों वर्षों तक जारी रखा है, सामाजिक उत्पीड़न व शोषण का एक विशिष्ट रूप है, जो देश की उत्पीड़ित जातियों को अपना शिकार बना रहा है। जातिवाद व्यक्ति के आत्म-सम्मान को कुचल देता है, उसके साथ नीच जैसा व्यवहार करता है और एक ऐसा सीढ़ीनुमा सामाजिक उच्च श्रेणीक्रम (heirarchy) खड़ा कर देता है जिसमें ऊपरी पायदान पर स्थित हर तबका अपने नीचेवालों को नीचा समझता है। छुआछूत की अमानवीय प्रथा अभी भी जारी है, यह सब ऐसा हथियार है जिससे भारतीय शासक वर्ग और साम्राज्यवादी दोनों द्वारा गरीबों की बहुसंख्या वर्ग उत्पीड़न के अलावा घोर जातिगत उत्पीड़न का भी शिकार है।

आज भी सामंती उत्पीड़न के खिलाफ और समाज में अपने बराबरी का दर्जा पाने के लिए सदियों पुराने उनके संघर्षों को निशाना बनाया जा रहा है और दलितों को शासक वर्ग और उनके राज्य-मशिनरी द्वारा संरक्षण प्राप्त सामंती तथा हिन्दुत्व की कट्टरतावादी शक्तियों के बर्बर आक्रमणें का शिकार होना पड़ रहा है। इसकी अभिव्यक्ति नरसंहारों तथा सामूहिक बलात्कारों में हो रही है।

उल्लिखित सारी बातों की स्पष्ट व्यावहारिक अभिव्यक्तियां कुछ वर्षों के पहले का बिहार में तो देखने को मिली थी। एक-दो सामंती शान या दबंगई की मिसाल पेश करने से समझने में सुविधा होगी। जैसेः एक समय में यानी कुछ वर्षों पहले तक का बिहार के मध्य-उत्तर-पूर्वी भाग में दो-तीन हजार एकड़ भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हुए कुछ बड़ा जमीन्दारों का काफी व निरंकुश वर्चस्व जारी था। ये सामंत भूस्वामी लोग खासकर उच्च जाति के इने-गिने लोग ही होते हैं और उत्तरी बिहार के पूर्वी भाग में कुछ बड़ा-बड़ा मुसलमान जमींदार भी होते हैं। इन भूस्वामियों की दबंगगिरी इतने क्रूर थी कि वे लोग गरीबों व दलितों को, चाहे वे कितने ही उम्रदराज व्यक्ति हों, सभी को 'रे', 'बे' छोड़कर कभी पुकारते नहीं थे। ऐसाकि उच्च वर्ण के जमींदारों के छोटी उम्र के लड़का-लड़की भी गरीब व दलित घर के वृद्ध व्यक्ति को 'रे' कहकर ही सम्बोधन करते हैं। आम महिलाओं को, ऐसाकि मां-चाची की उम्र के महिलाओं को भी अपमानजनक

'गे' शब्द के जरिए ही पुकारा जाता था। गरीब-भूमिहीन तथा दलित घरों के महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ करना तो पितृसत्ता वाला मौजूदा समाज में सामंतों का निरंकुश अधिकार जैसा बन गया है। ऐसाकि सामंतों के घर के लड़का लोगों के लिए भी किसी भी उम्र की महिला के साथ अश्लील हरकतें करना भी मामुली-सी बात जैसी है। किसी भी गरीब व दलित घर के किसी भी उम्र के व्यक्ति क्यों न हो वे साफ-सुथरा कपड़ा पहनकर जमींदारों के गांवों के अंदर से तो बिल्कुल नहीं, ऐसाकि गांव के बगल के रास्ते से भी नहीं जा सकता था। अगर कोई गया तो उसे सजा मिलनी निश्चित है। इसके अलावा मूंछ रखकर किसी गरीब-दलित को चलना-फिरना मानो महा-अपराध है और कड़ी से कड़ी सजा पाने का हकदार है। उच्च जाति के लोगों के सामने किसी दलित के लिए अपनी खटिया पर बैठना मानो भीषण अपराध है।

ऐसे अनेकों मिसाल के अंदर उपर में मात्र दो-चार प्रकार की ब्राह्मणीय जाति-आधारित समाज व्यवस्था की व्यावहारिक अभिव्यक्तियों का जिक्र किया गया है। आप तो मध्ययुगीन सामंती व्यवस्था की बात, पितृतांत्रिक आचार-आचरण की बात व क्रूर अत्याचार की बात को इतिहास में पढ़े होंगे। पर, आज अर्द्ध-औपनिवेशिक व अर्द्ध-सामंती भारतीय व्यवस्था होने पर भी उसके उल्लिखित क्रूर सामंती आचार-आचरणों की प्रचुर अभिव्यक्तियां देखने को मिलेगी।

अब, 1967 में ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह की घटना के बाद पूरे भारत में जो हलचल पैदा हुई थी, तत्कालीन बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के नेतृत्व में सामंतवाद के गढ़ के रूप में चिन्हित बिहार में भी दुनिया हिला देने वाली सामंतवाद विरोधी लड़ाई की शुरूआत हुई और क्रमशः उस लड़ाई का विकास व विस्तार होने लगा। इससे सामंती व्यवस्था की नींव हिल गयी। हजारों-हजार एकड़ जमीन के मालिक जमींदारों के निरंकुश शासन व्यवस्था के खिलाफ हजारों-हजार किसान जनता विद्रोह का बिगुल फूंक दिये। वे संगठित व हथियारबंद होकर 'खुद की समस्या खुद हल करें' की नीति अपनाकर लाखों एकड़ जमीन जब्त कर सामंती गढ़ की जड़ में जबरदस्त प्रहार किये। गांव-गांव व इलाके-इलाके में विभिन्न नामों से किसान जनता का संगठन तथा क्रांतिकारी किसान कमेटी का गठन होने लगा और स्थिति ऐसी हो गयी कि हकीकत में ये सभी किसान संगठन ही गांव इलाके की शासन-व्यवस्था का संचालन करने लगे। छोटी-मोटी समस्या सहित जनता के बीच के विभिन्न विवादों का निपटारा किसान संगठन के जरिए ही होने लगा। पुरानी सरकारी विचार-व्यवस्था यानी कोर्ट-कचहरी में नहीं जाकर लोग किसान कमेटी के पास इन्साफ के लिए आवेदन भेजने लगे। सच कहा जाए तो राजनीति, अर्थनीति, संस्कृति तथा सामाजिक जीवन के हर पहलू में एक क्रांतिकारी बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी।

अब सामंती भूस्वामी लोगों को दबंग-भूमिका जारी रखना नामुमकिन हो गया, तब वे मजबूर होकर लड़ाकू भूमिहीन-गरीब-मेहनतकशों व दलितों को 'रे' 'बे', 'गे' कहकर पुकारना बंद कर दिया और बदले में 'भाई', 'बाबू', 'नमस्ते' आदि शब्दों का इस्तेमाल करने लगा। मां-बहनों को संबोधन करने की भाषा में भी बदलाव आ गया। हकीकत में, गांवों से भागकर ज्यादा से ज्यादा सामंती भूस्वामी निकटवर्ती व दूरवर्ती दोनों शहरों में जाकर बसने लगा।

उल्लिखित तमाम कारणों के फलस्वरूप सामाजिक विन्यास या समाज में वर्ग विन्यास में भी कुछ न कुछ बदलाव परिलक्षित हो रहा है। जैसेः 50 वर्षों के पहले की सामंती शोषण, जुल्म-अत्याचार सहित सामंती उत्पीड़न के सवाल पर कुछ मात्रात्मक परिवर्तन जरूर हुआ, मगर अभी भी वर्गों के बीच विभाजन मिटाने के सवाल पर बहुत कुछ करना बाकी ही है। जोकि एक महान सामाजिक क्रांति की सफलता के जरिए ही क्रमागत रूप से समाज में मौजूदा बरकरार वर्ग-विभाजन में बदलाव लाकर वर्गहीन समाज गठन की ओर आगे बढ़ा जा सकता है।

इस बिंदु पर हमें इस मूल बात को याद रखना होगा कि जहां-ही सामंतों के गढ़ों पर आघात स्वरूप जबरदस्त क्रांतिकारी किसान विद्रोह का सिलसिला शुरू हुआ और सामंती व्यवस्था की नींव हिल गयी, तो जमींदारों की निजी सेना जैसे ब्रह्मर्षि सेना, भूमि सेना, लोरिक सेना, सनलाईट सेना व रणवीर सेना द्वारा गरीब भूमिहीन व दलित गांवों पर हमला शुरू हुआ, गांवों को आग के हवाले कर देना और मनमौजी कत्लेआम चलने लगा। और साथ ही साथ माथा के केश से लेकर पैर का नाखून तक आधुनिक अस्त्र-शस्त्र से लैस राज्यमशिनरी का प्रमुख अंग पुलिस-मिलिटरी उस विद्रोह को कुचल देने के उद्देश्य से खूंखार आक्रमण में उतर पड़े। जो आज तक न केवल जारी ही है, बल्कि उसे और तेज व आक्रामक बनाया गया है। क्रांतिकारी लड़ाईरत समूचे इलाके को पुलिसिया कैम्पों से भर दिया गया। यानी पूरे देहाती क्षेत्रों को पुलिस-छावनी

में तब्दील कर दिया गया। ऐसी आक्रामक स्थिति में चोट खाया हुआ सामंतों ने पुनः पुराना राजपाट को लौटा लाने का ख्वाब देखने लगा। कहीं-कहीं पुलिस बल की मदद से जनता द्वारा कब्जा की गयी जमीन पर पुनः अपना कब्जा जमाने का प्रयास जमींदारों ने चलाया। आज की ठोस परिस्थिति की विशेषता की बात करने से कहा जा सकता हैं कि यहां क्रांतिकारी संघर्ष प्रतिक्रांतिकारी संघर्ष के साथ लोहा ले रहा है। ऐसी स्थिति तबतक चलती रहेगी, जबतक भारत के कुछ हद तक विशाल क्षेत्रों को लेकर जनता का राजनीतिक शासन स्थापित न हो जाए। पर सच तो यह है कि अभी की स्थिति में कहीं-कहीं जनता की हुकूमत है भी और नहीं भी है जैसे सारे कुछ एक संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा है। जबतक जनता के हाथ में एक शक्तिशाली जन-सेना नहीं रहेगी तथा लाल आधार इलाका नहीं रहेगा, तबतक संक्रमणकालीन दौर जारी रहेगा।

जहां तक झारखंड का सवाल है, यहां पर बिहार जैसे खूंखार सामंती भूस्वामिओं की संख्या तो गिने-चुने एक-दो ही है, पर बड़ा-बड़ा जोतदार, महाजन, सूदखोर, व्यापारी व ठेकेदारों का भारी शोषण जारी था। पिछले 50 वर्षों के दौरान यहां पर जो क्रांतिकारी संघर्ष चला आ रहा है, उसकी एक खास विशिष्टता यही है कि झारखंड में क्रांतिकारी वर्ग-संघर्ष के साथ झारखंडी राष्ट्रीयता का शोषण-मुक्ति का संघर्ष एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, यानी दोनों के बीच ओतप्रोत संबंध है। यहां भी वर्ग दुश्मनों की जमीन और गैर-मजरूआ जमीन के विशाल हिस्से यानी हजारों एकड़ जमीन पर जनता का कब्जा हासिल है और जनता के पास जनसेना का मौजूदा स्वरूप पीएलजीए उपलब्ध है; गांव-गांव व इलाके-इलाके में क्रांतिकारी किसान कमेटी तथा कुछ जगहों पर क्रांतिकारी जन कमेटी की हुकूमत जारी है। पर, पूरे झारखंड को पुलिस छावनी में बदल दिए जाने के बाद यहां भी सब कुछ है और नहीं भी है, जैसी सक्रंमणकालीन स्थिति चल रही है।

उपरोक्त सारे विवरणों से यह स्पष्ट उजागर होता है कि जनता के लिए आत्मसम्मान व आत्ममर्यादा वोध पहले की अपेक्षा बढ़ा है, जमीन पर कुछ हद तक कब्जा हो जाने से पहले की अपेक्षा आर्थिक स्थिति में थोड़ी बेहतरी आयी है, अपनी भाषा-शिक्षा व संस्कृति की अलग पहचान बनाए रखने में कुछ हद तक सफलता मिली है, कॉरपोरेट व दलाल नौकरशाही पूंजीपति के साथ अनगिनत एम.ओ.यू. को कार्यान्वायन न कर देने में कुछ हद तक सफलता मिली है, इत्यादि, इत्यादि।। याद रखें कि ये सारे कुछ सापेक्ष या तुलनात्मक ही है। विदित है कि 2009 से लेकर 2017 तक ऑपरेशन ग्रीन हंट के तीन चरण पार कर अभी 2018 से मिशन-समाधान का खूंखार आक्रमण का मुकाबला जारी है।

सच कहा जाए तो पिछले 50 वर्षों के दौरान जनता पर निर्मम आर्थिक शोषण व बर्बर राजनीतिक उत्पीड़न में मात्रात्मक रूप से बहुत से बदलाव आए हैं। वर्गो के विन्यास में, शत्रु व मित्रों के बीच विभाजन रेखा खींचने में, मित्र शक्तियों के बीच एकताबद्ध होने की दिलचस्पी में, नई-जनवादी क्रांति के जरिए ही जनता की जनवादी व्यवस्था की स्थापना की चेतना में, वोट या चुनाव के रास्ते की धोखेबाजी को क्रमशः ज्यादा कर समझने में इत्यादि सारे कुछ में मात्रात्मक, पर सकारात्मक बदलाव आए हैं।

अब, अगले दौर की लड़ाई के जरिए ही यह तय होगा कि आखिरकार जनता जीतेगी अथवा दुश्मन की हुकूमत जारी रहेगी। अभी तक के अनुभव हमें यही सबक देता है कि अगर लड़ाई की लाइन-नीति, पद्धति व कार्यशैली ठीक रहेगी तथा वर्गीय एकता क्रमशः सुदृढ़ होती रहेगी तथा सारे कुछ का सटीक संचालन की कुंजी भाकपा (माओवादी) अगर और शक्तिशाली होगी व पीएलजीए मजबूत होगी और संयुक्त मोर्चा भी बन उठेगा, तो नई-जनवादी क्रांति में जनता की जीत निश्चित है। दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है, जो इस गतिधारा को रोक सके।

2. प्रश्नः आदिवासी जनता के वर्ग विश्लेषण व पार्टी कार्यक्रम क्या है?

उत्तरः आदिवासी समाज का वर्ग-विश्लेषण व पार्टी कार्यक्रम से जुड़ी हुई बातों को समझने के लिए इन निम्न बातों को समझना जरूरी है। वे बातें हैं;

आदिवासी जनता भारतीय आबादी के 8 प्रतिशत के करीब हैं। भारत की बाकी आबादी से इनकी आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक विशिष्टताओं में अहम भिन्नताएं है। बहुत से आदिवासी समुदाय अपनी राष्ट्रीयता के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया में हैं और इनकी भारी बहुसंख्या भारतीय समाज के सबसे दलित व उत्पीड़ित तबकों की हैं। आदिवासियों की विशाल बहुसंख्या को बिना कोई विकल्प उपलब्ध कराये लम्बे दिनों से भूमि और जीविका के दूसरे परम्परागत साधनों से वंचित कर दिया गया है। परम्परागत रूप से आदिवासियों के कब्जे में रह चुके पहाड़ व जंगल

तथा जंगल की उपज और खनिज संसाधनों को साम्राज्यवादियों, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों, सामंती वर्गो, ठेकेदारों, सूदखोरों व महाजनों, बेईमान व्यापारियों, नौकरशाहों और दूसरे शोषकों, मुख्यत: बाहरी शोषकों ने जबरन हड़प लिया है। इसके चलते उनकी परम्परागत अर्थव्यवस्था बिखर गयी है। इनके क्षेत्रों में खुली और बंद खदानों, दूसरे उद्योगों और जलाशयों का निर्माण करते हुए इन आदिवासियों की जीवन-जीविका को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा ये सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से भी उपेक्षा का शिकार हुए हैं। यह तो हुआ पूरे भारत में आदिवासी जनता की ठोस स्थिति का विवरण।

अब, चूंकि आपका सवाल विशेष रूप से झारखण्ड के बारे में है, इसीलिए झारखण्ड की स्थिति पर थोड़ा विस्तृत चर्चा करने से उक्त सवाल का जवाब को स्पष्ट रूप से समझने में सुविधा होगी। दुश्मन वर्ग यानी साम्राज्यवाद, सामंतवाद या बड़ा-बड़ा जमींदार-जोतदार, महाजन, सूदखोर, व्यापारी, ठेकेदार, जो झारखण्ड इलाके तथा देश की सम्पत्ति को लूटकर और जनता का खून चूसकर धन-दौलत व सम्पत्ति का पहाड़ बनाते जा रहा है, उनकी आर्थिक ताकत की बुनियाद कहां है, उनकी शोषण-व्यवस्था की मूल आर्थिक बुनियाद क्या है- यह जानना जरूरी है। जाहिर है कि झारखण्ड इलाके तथा देश की सम्पदा के एक विशाल हिस्से पर दुश्मन वर्ग का ही मालिकाना व नियंत्रण है, उनकी शोषण-व्यवस्था की मूल आर्थिक बुनियाद- यही है उनकी आर्थिक ताकत की मूल बुनियाद या जड़। देश की प्राकृतिक सम्पत्ति का मतलब ही है देश की सम्पत्ति या जनसाधारण की सम्पत्ति। मगर असल में झारखण्ड इलाके तथा पूरे देश की प्राकृतिक सम्पत्तियों का विशाल हिस्सा ही है इस धनिक गुट के मालिकाना व नियंत्रण में। सिर्फ प्राकृतिक सम्पदा ही नहीं, प्राकृतिक सम्पत्ति की मदद से मजदूर, किसान व मेहनतकश जनता की मेहनत से तैयार उत्पादन के साधनों या हथियारों का एक विशाल हिस्सा ही है इनके मालिकाना व नियंत्रण में। थोड़े शब्दों में, झारखण्ड इलाके तथा पूरे भारत की कृषि (खेती के) उत्पादन व उद्योग धन्धों के उत्पादन के लिए आवश्यक समस्त उपकरणों या साधनों तथा सम्पत्तियों का अधिकांश भाग ही है मुट्ठीभर 'देशी' व विदेशी बड़े-बड़े अमीर गुट तथा उनके ही सेवादास बड़े-बड़े अफसर गुट की मिलकियत व नियंत्रण में। अच्छी-अच्छी खेती की जमीन व खेती करने के आवश्यक अन्य साधन, अन्य जमीन, जल-सम्पदा, जंगल-सम्पदा, खनिज-सम्पदा, बगीचे (चाय, कॉफी, रबड़ इत्यादि चीजों को तैयार करने के बगान), विभिन्न प्रकार के कल-कारखाने व उत्पादन के केन्द्र समूह, रेल व अन्यान्य यान-वाहन, यातायात व्यवस्था इत्यादि प्राय: सब कुछ पर ही कायम है उनका ही मालिकाना व नियंत्रण। रूपए-पैसे, बैंक-बीमा, व्यापार-वाणिज्य तथा लेन-देन व्यवस्था प्राय: सब कुछ ही इनके हाथों में है। इनके हाथों में ही है बाजार की दर या भाव नियंत्रण करने की क्षमता, खेती व उद्योग-धन्धों में पैदा की गयी चीजों की बाजार दर बढ़ाने या कम करने की क्षमता। संक्षेप में, झारखंड इलाके तथा सारे भारत की उत्पादन या वितरण (बंटन) व्यवस्था ही इनके हाथों में है। यही है इसका मूल कारण जिसके लिए मजदूर-किसान तथा मेहनतकश जनता जो कुछ पैदा करते हैं या उत्पादन करते हैं। उसका विशाल हिस्सा फिर चला जाता है उनके ही मालिकाना या नियंत्रण में। सब कुछ उत्पादन या पैदा करते है मजदूर-किसान व मेहनतकश लोग, लेकिन चला जाता है उनके कब्जे में, उनके ही मालिकाना या नियंत्रण में।

हां, देहाती इलाकों में किसान जनता ने ही कठिन मेहनत करके तैयार की है खेती लायक जमीन व फसल। किन्तु अच्छी-अच्छी जमीन का अधिकांश भाग व उसमें तैयार प्राय: समूची फसल का मालिक है जोतदार-महाजन गुट। जमीन, कृषि-उत्पादन के दूसरे साधन, रूपये-पैसे व व्यापार पर मालिकाना व नियंत्रण के बल पर ही नाम मात्र मजदूरी देकर मजदूर खटाना, बटाईदारी खेती, सूद-बंधक, बेगारी (नि:शुल्क काम करवाना), बाजार दर या भाव की धोखेबाजी या चालाकी की सहायता से व्यापारियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की लूट-खसोट आदि विभिन्न तरह का शोषण ही तो चल रहा है। जंगली इलाकों में गरीब जनता को जीने के लिए एक अन्यतम उपाय या अवलम्बन है लकड़ी, विभिन्न प्रकार के फल-मूल व अन्यान्य वन-सम्पदा। लेकिन जन-साधारण का इस पर जैसे कोई अधिकार ही नही है; अपनी जरूरत के लिए एक टुकड़ा लकड़ी लाने के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बातों ही बातों में तरह-तरह के जुल्म तथा कभी-कभी मारपीट, झूठे मुकदमे व गिरफ्तारी भी होती हैं। जंगल सम्पदा है देश की सम्पदा, जनसाधारण की सम्पदा- इस तरह की अच्छी-अच्छी बातें जरूर कही जाती हैं। परन्तु असल में ये जैसे वन विभाग के बड़े-बड़े अफसरों व ठेकेदारों की ही बपौती सम्पत्ति है। ठेका प्रथा के द्वारा ये लोग जंगल उजाड़ दे रहे हैं, ध्वस्त कर दे रहे हैं। और, इसी प्रकार जंगल इलाकों

की जनता की जीवन-जिन्दगी पर वे करते हैं एक चरम प्रहार। फिर, दूसरी तरफ ये लोग जनता को ही जंगल ध्वस्त करने का जिम्मेदार ठहराते हैं। नया (बनावटी या कृत्रिम) जंगल तैयार करने के नाम पर लाखों-लाख रुपये यही लोग चोरी करते हैं।

शहर व औद्योगिक क्षेत्रों में भी एक ही बात है। कल-कारखानों, खानों, बिजली केन्द्रों से शुरू करके नाना तरह के उत्पादन केन्द्रों व संस्थाओं एवं रास्ता-घाट, रेल और अन्य यान-वाहन व यातायात व्यवस्था-थोड़े शब्दों में, उत्पादन और वितरण व्यवस्था के लिए कुछ आवश्यक है, वह सब कुछ ही तैयार करते हैं मजदूर और मेहनतकश लोग। यही लोग कठोर मेहनत करके तैयार करते हैं मनुष्यों के लिए अत्यंत जरूरी औद्यौगिक चीजों (कल-कारखानों आदि में तैयार की हुई चीजों) को। लेकिन इसके मालिक हैं मुट्ठीभर धनिक लोग और जो लोग कठिन मेहनत करके इन सब सम्पदों को पैदा करते हैं, वे ही लोग हैं इनके नौकर या गुलाम। सरकारी सम्पत्ति या राष्ट्रीय सम्पत्ति को जनता की ही सम्पत्ति कही जाती है, लेकिन असल में जनता का इन सबों के उपर कोई अधिकार या नियंत्रण ही नहीं हैं। जिस प्रकार गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं, ठीक उसी प्रकार सरकारी क्षेत्र में भी- खान, कल-कारखाना, ऑफिस-दफ्तर कहीं पर भी-हजारों-हजार, लाखों-लाख मजदूर, कर्मचारी तथा मेहनतकश जनता, जो कठोर मेहनत करके इन सब सम्पदों को पैदा करते है, उनके किसी मत या बात की कोई कीमत नहीं हैं। उनका कोई जनवादी अधिकार या राजनीतिक अधिकार भी नहीं है। सभी जगह बड़े-बड़े अफसर लोग ही सब कुछ है, सभी मामलों में हुक्म चलता है मुटटीभर बड़े-बड़े अफसरों का- जो प्रचण्ड मात्रा में जन-विरोधी, स्वेच्छाचारी, भ्रष्टाचारी व घूसखोर हैं और जो खून पीने वाले धनिक गुट के सेवादास के अलावा और कुछ भी नहीं हैं। इन सब जुल्मी-लूटेरे बड़े अफसरों की वाहिनी है सरकारी या राष्ट्रीय विभाग व दफ्तरों के कर्त्ता-धर्त्ता व विधाता। मंत्री-सभा रह सकती है और नहीं भी रह सकती है (जैसे- उनके ही घोषित तथाकथित जरूरी परिस्थिति में) मंत्री- सभा का अदल-बदल भी हो सकता है-जैसे वोट के जरिए होता है। लेकिन ये अफसर लोग टिके ही रहते हैं। मंत्रियों को पर्दे के हिसाब से सामने रखकर सरकार या राज्य का असली कामकाज का संचालन यही लोग करते हैं। हां, धनी लोगों के सेवादास बड़े-बड़े अफसरों की इस वाहिनी के माध्यम से ही-सरकारी टैक्स या कर-नीति आय-व्यय (बजट) नीति, घरेलू व विदेश-वाणिज्य नीति, तथाकथित विकास योजना (असल में जो होती है गरीबों पर टैक्स बिठाकर एवं दूसरे कायदों से जनता का खून चूसकर धनी लोगों के विकास या उनको और भी मोटा बनाने की ही योजना), सरकारी आर्थिक नीति इत्यादि सब कुछ पर ही धनिक गुट का प्रभाव व नियंत्रण कायम रहता है। उनके अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ संचालित होता है- जनसाधारण या देश के हित के लिए कतई नहीं। जनता की जेब काटकर विशाल परिमाण में टैक्स या कर वसूल कर विभिन्न विभागों में जो खर्च दिखाया जाता है-कृषि उद्योग तथा विकास योजना के विभाग में हो अथवा शिक्षा व स्वास्थ्य विभागों में ही हो या पुलिस मिलिटरी के विभाग में हो-यह समूचा खर्च ही प्रधानत: इन प्रतिक्रियावादी धनिक गुट व उनके गुर्गे व पैर चाटने वाले तत्वों इन सब अफसरों के शासन-शोषण व मुनाफे के स्वार्थ की ही रक्षा करता हैं। संक्षेप में देश की प्राय; समस्त प्राकृतिक सम्पदा, प्राय: समस्त उत्पादनों के साधन ही इनके हाथों में है। रुपए-पैसे, बैंक-बीमा, व्यापार-वाणिज्य तथा लेन-देन की व्यवस्था का प्राय: सब कुछ ही इनके हाथों में है-देश की समस्त उत्पादन व वितरण व्यवस्था तथा समूची अर्थ व्यवस्था ही है इनके मालिकाना व नियंत्रण में। और , यही है इनके मुनाफे के आधार पर तथा शोषण के आधार पर-उत्पादन व वितरण व्यवस्था की बुनियाद, यही है इनके निर्मम शोषण व लूट-खसोट व्यवस्था की आर्थिक जड़ या बुनियाद।

उपरोक्त बातों से यह पहलू साफ उजागर हो जाता है कि आदिवासी जनता के दुश्मन वर्ग कौन-कौन हैं? हालांकि, आदिवासियों के बीच भी कुछ न कुछ वर्ग-विभाजन है। वहां भी विभिन्न वर्ग-स्वार्थ के बीच विरोध रहता है। पर ये सारे कुछ अमुमन भूमिहीन, गरीब, मंझौले और इने-गिने धनी किसानों के बीच का अंतरविरोध के रूप में तो रहता है, पर दुश्मनात्मक अंतरविरोध के रूप में अक्सर नहीं आता है। आदिवासी जनता के अंदर क्लासिकी या सनातन अर्थ में या वर्गो को किताबी परिभाषा के अनुसार वर्ग-विभाजन लगभग नहीं है। और अगर है भी तो नाममात्र ही है। पर जब मध्यम वर्ग व धनी किसान वर्ग के कोई आदिवासी मौजूदा दलाल सरकार व राज्य का दलाली करने की भूमिका में उतर जाते हैं, तब उक्त लोगों को जनता का दुश्मन के बतौर चिन्हित किया जाता है और उसी ढंग से उनसे संघर्ष किया जाता है।

अब जहां तक आदिवासी जनता के लिए पार्टी कार्यक्रम कहने से वह है- पार्टी को ऐसी विशेष नीतियां सूत्रबद्ध करनी

होगी, जिससे हम इन तबकों की व्यापक बहुसंख्या को नव-जनवादी क्रांति की मुख्यधारा में सक्रिय रूप से शामिल कर सकें। खासकर आदिवासी इलाकों पर, शासक वर्गों द्वारा उनकी घोर उपेक्षा एवं साथ ही उनके रणनीतिक महत्व को देखते हुए पार्टी को लम्बे दिनों तक विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। साथ ही आदिवासियों की निरंतर साम्राज्यवाद-सामंतवाद विरोधी संघर्षों की शानदार परम्परा को देखते हुए हमें उनके बीच से क्रांति के योद्धा व नेता तैयार करने के प्रयास मजबूती के साथ करने होंगे। उनके लिए राजनीतिक स्वायत्तता को सुनिश्चित करते हुए उन्हें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और शैक्षणिक मुद्दों पर संगठित करना हमारा कार्यभार है। साथ ही हमारा कार्यभार यह भी है कि हम उनके संघर्षों का नेतृत्व इस तरह करें कि वे बिल्कुल सच्चे अर्थों में पूरी तरह मुक्ति हासिल कर सकें।

3. प्रश्नः लम्बे समय से संघर्षरत इलाके में किस प्रकार के वर्ग शोषण मौजूद हैं? उस विषय पर पार्टी का कार्यक्रम क्या है?

उत्तरः पहले के दो प्रश्नों के जवाब में जो कुछ कहा गया है उससे अभी के समय में किस प्रकार का वर्ग-शोषण जारी है, उसके बारे में भी एक स्पष्ट धारणा मिल जाती है। विगत 50 वर्षों के क्रांतिकारी संघर्षों के दौरान बहुत कुछ पहलुओं में अनेकों प्रकार के बदलाव तो जरूर आए हैं, पर वर्ग और वर्ग-शोषण का अस्तित्व न केवल मौजूद है, बल्कि पहले के अपेक्षा कहीं-कहीं और तीव्र हुआ है। स्पष्ट है कि भारतीय जनता के आज भी आम दुश्मन हैं, साम्राज्यवाद खासकर अमरीकी साम्राज्यवाद, सामंतवाद यानी बड़ा-बड़ा जमीन्दार, जोतदार, महाजन, सूदखोर, व्यापारी, ठेकेदार और दलाल नौकरशाह पूंजीपति यानी अम्बानी, मित्तल, जिंदल, अडाणी, वेदांता, टाटा इत्यादि। जहां तक इन सारे कुछ के बारे में पार्टी कार्यक्रम का सवाल है वह तो नई जनवादी क्रांति को पूरा कर नब्बे प्रतिशत जनता की जनवादी व्यवस्था स्थापित करने के सवाल पर तथा उससे भी आगे बढ़कर समाजवाद की स्थापना हेतु पार्टी के जो घोषित कार्यक्रम हैं, वही कार्यक्रम ही हमारे लिए कार्यान्वयन करना जरूरी कर्तव्य है। उपरोक्त चर्चा के साथ सामंजस्यपूर्ण हमारी पार्टी कार्यक्रमों के दो-चार बिंदु को ही यहां पेश किया जा रहा है। वे हैं:

✪ यह साम्राज्यवादी पूँजी के सभी बैंकों, व्यावसायिक उद्यमों तथा कम्पनियों को जब्त करेगा और सभी साम्राज्यवादी कर्जों को रद्द करेगा। यह साम्राज्यवादी देशों के साथ की गयी सभी असमान सन्धियों और समझौतों को भी रद्द करेगा।

✪ यह राज्य दलाल नौकरशाह पूँजीपति वर्ग के सभी उद्योगों, उनकी पूँजी और चल-अचल सम्पत्ति को जब्त करेगा। पूँजी को नियन्त्रित करने के उसूल के आधार पर इस राज्य को सभी इजारेदार उद्योगों और व्यापारों का प्राधिकार और प्रशासन अपने हाथ में ले लेना होगा। नव जनवादी राज्य अन्य व्यक्तिगत सम्पत्ति को हाथ नहीं लगायेगा और ऐसे पूँजीवादी उत्पादन के विकास को बाधित नहीं करेगा जिसके पास सार्वजनिक जीवन को नियन्त्रित करने की शक्ति न हो।

✪ यह जमींदारों और धार्मिक संस्थाओं की सम्पूर्ण जमीन को जब्त करेगा और उसे 'जमीन जोतने वालों की' के नारे के आधार पर भूमिहीन-गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरों में बाँट देगा। यह भूमि पर महिलाओं के समान अधिकार को सुनिश्चित करेगा। यह इन वर्गों के साथ-साथ मध्यम किसानों तथा अन्य मेहनतकशों के सभी कर्जों को रद्द करेगा। यह कृषि के विकास के लिए सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करेगा, कृषि उत्पाद के लिए लाभदायक कीमतों को सुनिश्चित करेगा और जहाँ भी संभव हो, कृषि-सहकारिता के विकास को बढ़ावा देगा तथा उसे प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार कृषि को नींव के रूप में रखते हुए यह एक मजबूत औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की ओर आगे बढ़ेगा।

✪ साथ ही यह सूदखोरों, महाजनों व व्यापारियों के शोषण को समाप्त करेगा, जनता को जरूरत की पूँजी उपलब्ध कराने के लिए सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा और व्यापार तथा व्यवसाय को अपने नियन्त्रण में लेगा।

✪ यह छः घंटे के कार्य-दिवस को लागू करेगा, मजदूरी-दर को बढ़ायेगा, ठेकेदारी मजदूरी की व्यवस्था तथा बाल-श्रम का खात्मा करेगा, सामाजिक सुरक्षा व सुरक्षित कार्य-परिस्थिति मुहैया करायेगा और समान काम के लिए समान मजदूरी की गारण्टी देकर लिंग के आधार पर मजदूरी में सभी असमानताओं को खत्म करेगा।

✪ यह 'जमीन जोतने वाले की' के आधार पर जमीन का बँटवारा करके और गरीब किसानों तथा भूमिहीन किसानों (जिनका बड़ा हिस्सा दलित, आदिवासी तथा दूसरी उत्पीड़ित जातियां होंगी)के नेतृत्व वाली नयी सत्ता के सहारे जाति व्यवस्था के उन्मूलन की प्रक्रिया शुरू करेगा। यह जातिगत भेदभाव तथा असमानता को खत्म करेगा और समग्र रूप से छुआछूत तथा जातिप्रथा का सम्पूर्ण विनाश करने की ओर बढ़ेगा। तब तक यह दलितों व सामाजिक रूप से सभी उत्पीड़ित जातियों की उन्नति के लिए आरक्षण सहित विशेष सुविधाओं को सुनिश्चित करेगा।

✪ यह महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा और पुरुष-प्रधानता तथा पितृसत्ता को समाप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगा। यह राज्य महिलाओं को घरेलू कामकाज की बेड़ियों से मुक्त करायेगा और सामाजिक उत्पादन तथा अन्य गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। यह सार्वजनिक कपड़ा धुलाई स्थल, शिशु-गृहों और सार्वजनिक रसोईघरों को चलायेगा। यह सम्पत्ति पर महिलाओं के समान अधिकार की भी गारण्टी करेगा। महिलाएं जिन असमानताओं का सामना करती हैं उनको तेजी से खत्म करने के लिए यह विशेष नीतियों को बढ़ावा देगा और महिलाओं की उन्नति के लिए आरक्षण सहित विशेष सुविधाओं को सुनिश्चित करेगा। यह राज्य वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं का पुनर्वास करेगा और उन्हें सामाजिक मान्यता प्रदान करेगा।

✪ यह सभी आदिवासी समुदायों के सम्पूर्ण विकास के लिए उन्हें विभिन्न स्वायत्तताएँ सुनिश्चित करेगा और तदनुसार विशेष नीतियाँ लागू करेगा।

✪ यह राष्ट्रीयताओं के अलग होने के अधिकार सहित आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देकर तथा उनकी समान मर्यादा के आधार पर देश को एकताबद्ध करेगा। यह भारत के लोक जनवादी संघीय गणराज्यों के स्वैच्छिक महासंघ की स्थापना करेगा।

✪ धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और धर्म-आधारित सभी सामाजिक असमानताओं को यह राज्य समाप्त करेगा। साथ ही यह उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष नीतियों को लागू करेगा। यह राज्य की वास्तविक धर्मनिरपेक्षता की गारण्टी करेगा और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म के इस्तेमाल पर रोक लगायेगा। यह धार्मिक मामलों में राज्य की दखलअन्दाजी को समाप्त करेगा। यह धर्म को मानने और न मानने की व्यक्तिगत आजादी की गारण्टी करेगा। साथ ही यह कुसंस्कारों व अन्धविश्वासों को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक तथा तर्कसंगत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करेगा और सभी किस्म के धार्मिक रूढ़िवाद का विरोध करेगा।

✪ यह राज्य सभी राष्ट्रीयताओं की भाषाओं को समान दर्जा देगा। यह बिना लिपि की भाषाओं के विकास में सहायता करेगा। राष्ट्रभाषा या सम्पर्क-भाषा के नाम पर या किसी भी रूप में यह राज्य दूसरी राष्ट्रीयताओं पर किसी भी भाषा को नहीं थोपेगा।

✪ यह पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयासों के द्वारा क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करने की ओर बढ़ेगा। यह राष्ट्रीयताओं के बीच नदी जल बँटवारा, सीमा विवाद जैसे मुद्दों को आम सहमति से हल करेगा।

4. प्रश्नः भूमि को लेकर संघर्ष का अथवा जमीन कब्जा का संघर्ष कितना प्रासंगिक है?

उत्तरः भूमि-संघर्ष की जरूरत आज भी उतना ही है जो पहले भी थी। क्योंकि जनता के हाथ में जबतक राजनीतिक सत्ता नहीं आएगी तबतक जमीन पर हमेशा के लिए जनता का कब्जा नहीं रह सकता है। इसलिए जमीन के सवाल पर लड़ाई सत्ता कब्जा करने की लड़ाई के साथ ओतप्रोत है तथा और स्पष्ट कर करने से जमीन पर कब्जा जमाने की लड़ाई का लक्ष्य केवल कुछ जमीन प्राप्त करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई के लक्ष्य के अधीन ही जमीन-संघर्ष का संचालन करना चाहिए। विदित है कि क्रांतिकारी किसान आंदोलन का शुरूआती दौर में हमारा नारा था 'सही किसानों के हाथ में जमीन' और ''क्रांतिकारी किसान कमेटी के हाथ में राजनीतिक शासन या हुकूमत'' और बाद में लड़ाई के उन्नत स्तर में जहां छापामार जोनों और आधार क्षेत्रों की स्थापना हो सकती है वहां पर हमारा नारा है ''जोतने वालों को जमीन और क्रांतिकारी जन कमेटियों के हाथ में राजनीतिक सत्ता''।

फिर, समूचे भारत के विभिन्न प्रांतों में जल-जंगल-जमीन और इज्जत-आजादी सहित तमाम आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों की आवाज पर संघर्ष जारी है, जो क्रमशः तीव्र से तीव्रतर हो रहा है।

उपरोक्त तमाम कुछ की पृष्ठभूमि में यह बात जोरपूर्वक कहा जा सकता है कि न केवल जमीन लेकर संघर्ष मौजूदा समय में प्रासंगिक है, बल्कि हमारा ये प्रमुख कार्यभार भी है। चाहे वह आंदोलन बिहार में हो या झारखंड में या पूरे भारत में, हर जगह पर जमीन का संघर्ष हमारा एक प्रमुख कार्यभार रहना चाहिए।

5. प्रश्नः बिहार-झारखण्ड में जात-पात का सवाल किस रूप से शोषण का हथियार के बतौर इस्तेमाल हो रहा है? इसे लेकर पार्टी का कार्यक्रम क्या है?

उत्तरः इस बात पर संदेह की कोई गुंजाईश नहीं है कि बिहार व झारखंड और खासकर व विशेषकर बिहार में शासक वर्गों की पुरानी नीति यानी 'फूट डालो व राज करो' की नीति के अनुसार जात-पात के सवालों को लेकर आम जनता के बीच तनाव उत्पन्न कर एक जाति के लोगों के साथ दूसरे जाति के लोगों को आपस में लड़वा देना यह हथकंड़ा आज भी अपनाया जा रहा है। इसके अलावा, हिन्दू-मुसलमान, दलित-गैरदलित, आदिवासी-गैर आदिवासी, इत्यादि भेदभाव को भी उकसाया जा रहा है। तब पार्टी का कर्तव्य क्या होना चाहिए? पार्टी की मूलगत सोच व कार्यभार

निम्नरूप है। वे हैं:

हालांकि दलितों का सवाल अपनी अन्तर्वस्तु में एक वर्गीय सवाल है, फिर भी पार्टी को चाहिए कि वह नव-जनवादी क्रान्ति के एक हिस्से के बतौर दलितों व अन्य पिछड़ी जातियों पर जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ संघर्षों का नेतृत्व करे और जाति व्यवस्था के उन्मूलन की ओर बढ़ते हुए जातिगत भेदभाव तथा जातिगत उत्पीड़न के सभी रूपों से लड़ने के दौरान सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में उनके लिए बराबरी का दर्जा हासिल करने के लिए संघर्ष करे।

पार्टी को दलितों और अन्य पिछड़ी जातियों के समान अधिकारों, आरक्षण और अन्य खास विशेषाधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। साथ ही साथ इससे सम्बन्धित शासक वर्ग की पार्टियों और राज्य की नीतियों के खोखलेपन का भण्डाफोड़ करना होगा। हमें उन अवसरवादी दलित नेताओं का भण्डाफोड़ करना होगा, जो दलितों के मुद्दों को उठाने के नाम पर अपना चुनावी भविष्य संवारते हैं। हमें अपने वर्गीय संगठनों के माध्यम से दलितों पर हिंसा और भेदभाव के सभी रूपों के खिलाफ संघर्षों की पहल करनी चाहिए और नेतृत्व करना चाहिए। समाज के नये जनवादी रूपान्तर के अंग के रूप में छुआछूत व जातिगत भेदभाव से लड़ने और जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए संगठनों का निर्माण करने की भी तत्काल फौरी आवश्यकता है। साथ ही पार्टी को राजनीतिक, विचारधारात्मक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ तब तक संघर्ष जारी रखना होगा, जब तक कि जातिवादी सोच पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती।

6. प्रश्न: बड़े प्रोजेक्टों के साथ इलाके के सामंत वर्गों के स्वार्थ संबंध किस प्रकार के हैं?

उत्तर: सीधे तौर पर उक्त प्रश्न का उत्तर देना है तो एक बात में कहा जा सकता है कि बड़े-बड़े प्रोजेक्टों के साथ आंचलिक या स्थानीय सामंतवर्गो का घनिष्ठ संबंध है। बिहार व झारखण्ड को पुलिस छावनी में बदल कर और उसके बल पर इलाके के अंदर ही चाहे बिहार के मैदानी क्षेत्र हो अथवा झारखण्ड के पहाड़-जंगल क्षेत्र, बड़ा-बड़ा सामंत, जमींदार और महाजनों के सांठगांठ से इलाके के भूमिहीन, गरीब व आदिवासी तथा मध्यम वर्ग के किसानों की जमीन भूमि अधि ग्रहण कानून के अध्यादेश को जोर जबरन लागू कर उन्हें यानी विशाल संख्या में जनता को विस्थापित कर बड़ा-बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का प्रयास जारी है। टाटा व वेदांता का स्टील सहित अन्यान्य प्रोजेक्ट, अडाणी का पवार प्लांट प्रोजेक्ट, बड़ा-बड़ा सौर उर्जा का प्रोजेक्ट इत्यादि अनेकों प्रोजेक्ट बनाने की योजना है। पर, माओवादी पार्टी की रहनुमाई में जनता की लड़ाई लगातार चलते रहने के कारण इस योजना का कार्यान्वयन सभंव नहीं हो पा रहा है।

यह भी जगजाहिर है कि गांवों के सामंत वर्ग और दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के बीच हर तरह का घनिष्ठ संबंध यानी आर्थिक व राजनीतिक संबंध मौजूद है। प्रशासनिक व पुलिस विभाग के बड़ा-बड़ा आला-अफसर उसी वर्ग के घर के लोग होते है, विभिन्न शासक पार्टी के अधिकांश नेता लोग वही वर्ग के होते है और मंत्री लोगों के अधिकांश भी वही वर्ग के लोग होते हैं। इसलिए, वर्गीय शोषण व शासन तथा वर्गीय विचार व्यवस्था बदस्तूर जारी है। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट का सवाल हो उक्त शोषक-शासक वर्ग का सांठगांठ के जरिए उनके वर्गीय हित की रक्षा की जा रही है और मौजूदा व्यवस्था रहने तक ऐसा-ही होता रहेगा- यह बात निश्चित है। इसे उलट देना है तो सशस्त्र कृषि-क्रांतिकारी लड़ाई को और तेज करते हुए गुरिल्ला युद्ध को चलायमान युद्ध में, पीएलजीए को पीएलए में, छापामार इलाके को आधार इलाके में बदल डालने की प्रकिया को तेज करते हुए भारत में नव-जनवादी क्रांति को सफल बनाकर जनता की जनवादी व्यवस्था स्थापित करना होगा। तभी जनता व देश की मूल-मूल समस्याओं का हल निकालकर समाजवाद की ओर कदम आगे बढ़ाया जा सकता हैं। भविष्य उस दिशा की ओर ही आगे बढ़ने का स्पष्ट संकेत कर रहा है। आवें, उस दिशा की ओर हम सभी चल चलें।

★ संसदीय चुनाव का बहिष्कार करें, जनता की जनवादी व्यवस्था कायम करें;

★ आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करें, विकल्प जनता की जनवादी सत्ता निर्माण करने के पथ पर आगे बढ़ें।

फासीवादी भाजपा सरकार द्वारा लागू एन. आर. सी. जैसी साम्प्रदायिक फूटपरस्त नीति का जोरदार विरोध करें!

(विदित है कि असम में ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा सरकार द्वारा एनआरसी जैसी साम्प्रदायिक फूटपरस्त नीति को लागू कर लगभग 40 लाख लोगों को विदेशी घोषित कर रखा है, इसका भण्डाफोड़ करते हुए इसके विरोध में हमारी पार्टी की पूर्वी रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता कामरेड संकेत ने 31 अगस्त, 2018 को बांग्ला भाषा में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था। इस प्रेस विज्ञप्ति के महत्व को देखते हुए इसका हिन्दी अनुवाद करके हम यहां दे रहे हैं। -संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

फिलहाल, फासीवादी भाजपा सरकार एन. आर. सी. व नागरिक कानून संशोधनी बिल (अध्यादेश), 2016 को केन्द्रित कर भारत की जनता खासकर मेहनतकश जनता के अंदर फूट डालने व भेदभाव पैदा करने के लिए एड़ी-चोटी एक की हुई है। सुनने में आ रहा है कि असम में करीब 40 लाख लोगों को एन. आर. सी. के दायरे से बाहर रखा गया है। भाजपा सरकार जिन्हें भारत के गैर नागरिक होने का ठप्पा लगाकर, दास जैसा जीवन बिताने के लिए मजबूर कर रही है। यह बात सिर्फ असम राज्य का ही नहीं है; बल्कि भाजपा सरकार प. बंगाल-झारखण्ड-ओड़िशा-छत्तीसगढ़ सहित देश भर की जनता को एन. आर. सी. की धमकी देकर आतंकित कर रखी है। ज्ञात रहे कि आम तौर पर गरीब जनता खासकर मेहनतकश व निर्धन जनता खानदान के कागजात या परिवार के दस्तावेज हिफाजत के साथ सुरक्षित नहीं रखते हैं। इसलिए, उन्हें खुद को नागरिक प्रमाणित कर पाना बहुत ही कठिन व पेचीदा काम बन जाता है। इस प्रसंग पर उल्लेखनीय है कि असम सरकार के उंचे पद पर बैठे अनेकों सरकारी अफसर-कर्मचारी, ऐसा कि सुरक्षा विभाग के अफसरों का भी नाम एन. आर. सी. में पंजीकृत नहीं हो पाया है। बात यह है कि समाज के अमीर लोगों का ही सरकारी विभाग में बेरोक-टोक आना-जाना रहता है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने की क्षमता रहती है। दूसरी ओर, देश की मेहनतकश जनता जिसका ज्यादातर हिस्सा ही निम्न वर्ण के हिन्दू व धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए सरकारी विभाग में आने-जाने का मतलब ही है हैरान-परेशान व अपमानित होना, घुस देना आदि का सामना करना।

इधर भाजपा अपने साम्प्रदायिक कार्यसूची के साथ तालमेल रखकर नागरिक कानून संशोधनी बिल, 2016 के जरिए मुस्लिम जनता की शरणार्थी का मर्यादा छीन लेना चाह रही है तथा अन्यान्य धार्मिक सम्प्रदाय के शरणार्थी को 12 साल के बाद नागरिक होने के लिए आवेदन करने के कानून को बदल कर 6 साल के बाद नागरिक बनने का प्रावधान रखी है। इसके जरिए मुस्लिम जनता को भगाने का षड़यन्त्र के साथ ही साथ हिन्दू जनता को भी आतंकित कर उक्त बिल को हिन्दू राष्ट्र के एजेंडा के साथ तालमेल करने का प्रयास चला रही है। देशभर में भाजपा का हिन्दुत्ववादी फासीवादी कार्यक्रम के साथ तालमेल रखकर ही असम में पहले दफे सत्ता पर आकर सर्वानन्द सोनवाल सरकार जनता की किसी भी बुनियादी समस्यायों का हल नहीं कर पायी बल्कि उनके राज में जनता की रोजमर्रा की जिन्दगी की समस्या और बढ़ते ही गयी। वे लोग आज फिर एन. आर. सी. व नागरिक कानून संशोधनी बिल, 2016 के जरिए जनता को उक्त समस्यायों से गुमराह कर रहे हैं। साथ ही साथ भाजपा की विभाजन व फूटपरस्त राजनीति को असम सहित पूरे देशभर में और तीव्र करने पर तुले हुए हैं। जिन सभी जनवादी शक्तियां भाजपा के उक्त विभाजन व फूटपरस्त राजनीति का विरोध कर रही हैं, उन पर भाजपा सरकार तीव्र दमन-उत्पीड़न चला रही है। अब तक अनेकों जनवादी अधिकार आंदोलन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। असम में अनगिनत जनता को बतौर घुसपैठिया चिन्हित कर डिटेन्शन कैम्प में अमानवीय जिन्दगी बिताने के लिए मजबूर किया गया है। आफ्सपा कानून को और कुछ दिनों के लिए पुनः लागू किया गया है। बराक घाटी इलाका सहित असम के विभिन्न जगहों में व्यापक रूप से सेनावाहिनी को तैनात किया गया है।

ऐतिहासिक रूप से देखने पर देखा जायगा कि असम कभी भी भारत का अभिन्न अंश नहीं था। 1228 में चीन के

यूनान प्रदेश के अंतर्गत मंग माओ के राजकुमार चाउलूंग सुकाफा पर्वत लांघ कर ब्रह्मपुत्र घाटी इलाका में प्रवेश किए थे तथा करीब 6 सौ वर्ष तक मंगोलिया शान राष्ट्रीयता के अहम वंश के शासन की शुरूआत किए थे। मुगल साम्राज्य भी अहम राज्य को नहीं पराजित कर पाए थे। 1769 को अहम राजा के खिलाफ मोयामोरिया विद्रोह का आगाज हुआ था, फलस्वरूप अहम राज्य की क्षमता कुछ घट गयी थी। 1805 में बर्मा का फौजी आक्रमण के फलस्वरूप अहम राज्य बर्मा (वर्तमान में म्यानमार) के अंतर्गत हो गया था। 1824 में पहला ब्रिटिश-बर्मा युद्ध हुआ था। पराजित बर्मा के राजा 1826 में ब्रिटिश राज के साथ यान्दावू समझौता करने में मजबूर हुए और क्षतिपूर्ति के रूप में मणिपुर व आराकान सहित पूरा अहम राज्य को ब्रिटिश राज को सौंप दिए, इसी रूप से ही असम ब्रिटिश शासित भारत में शामिल हुआ। शुरूआत से ही अहम राज्य को बंगाल प्रेसिडेंसी के दायरे में रखा गया। इस समय से ही असम में बंगाली लोगों का प्रवासन शुरू हुआ, मूल रूप में प्रशासन कार्य के अधिकारी, अफसर पद का जिम्मा देकर ही बंगाली लोगों को असम में भेजा गया था। साथ ही साथ शिक्षक-अध्यापक व डॉक्टर के बतौर भी उनलोग असम को गए। 1823 को असम के जंगल में राबर्ट ब्रुस चाय का पौधा का आविष्कार किए। 1828 को उनके भाई चार्ल्स अलेक्जेंडर असम में पहला चाय बगीचा का निर्माण किए। चाय बगीचा के काम में नए सिरे से बंगाली व आदिवासी लोग असम जा कर बैठ गए। चाय बगीचा के मजदूर के बतौर छोटानागपुर के आदिवासियों को लाने के साथ ही साथ चूंकि उनलोगों के खाद्य सामग्री के सप्लाई की समस्या का हल करने के लिए कृषि के विकास की जरूरत पड़ी। तब तत्कालीन पू. बंगला के मैमनसिंह और आस-पास के जिले के किसानों को असम में आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। चूंकि ब्रह्मपुत्र के दियारा इलाका साल में चार महीना पानी में डुबे हुए रहते थे और असमिया जनता बाढ प्रभावित दियारा क्षेत्र में खेती करने की पद्धति नहीं जानते थे, इसलिए इस पद्धति के जानकार मैमनसिंह के किसानों को उक्त जमीनों में खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उस समय बांग्ला देश में खेती योग्य जमीन की अत्यधिक कमी थी इसलिए स्वाभाविक रूप से ही उनलोग कृषियोग्य जमीन मिलने की आस में भिन्न-राज्य असम में व्यापक रुप से चले आये। 1874 में ब्रिटिश सरकार द्वारा असम को एक प्रमुख प्रमंडल के बतौर घोषणा की गयी। उस समय ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के श्रीहट्ट जिला को भी असम राज्य में शामिल कर लिया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया, तब असम को पूर्वी बंगाल (अभी बांग्ला देश) में शामिल कर लिया गया। इस समय मुख्यतः पूर्वी बंगाल से बहुत बांग्ला भाषी जनता असम चले आए। 1911 में दोनों बंगाल प्रदेश को एकत्रित किया गया और असम को अलग प्रदेश के रूप में घोषणा किया गया। लेकिन बंगाल के श्रीहट्ट जिला असम में ही रह गया। 1911 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। उस समय ही सेन्सस रिपोर्ट (जनगणना) में तथाकथित प्रवासन का सवाल पेश किया गया था। यद्यपि, सरकारी लेखा-जोखा का भी समीक्षा किया जाय, तो देखा जायेगा कि उक्त प्रवासन के समस्या 1971 से 2018 तक बहुत ही कम थी। क्योंकि उपरोक्त समय में असम में जनसंख्या की वृद्धि दर पूरे देश भर की तुलना में 7.53 प्रतिशत कम हुई थी। फलस्वरूप आसु (अखिल असम छात्र यूनियन) और केन्द्रीय सरकार के 'असम सर्वसम्मत समझौता' को मान्यता देकर अगर 1971 को डेड लाइन (अंतिम समय) निर्धारित किया जाता है, तब असम में इस समयकाल के अंदर बांग्ला देश से प्रवासन बहुत कम ही हुआ है। इस तथ्य से ही समझ में आ जायगा कि एन. आर. सी. के जरिए जिन संख्या में लोगों को निकाल बाहर किया जा रहा है, वह किसी हालत से ही सही नहीं है। बहुत जनसाधारण के पास हर तरह के नागरिक प्रमाणपत्र न रहने के फलस्वरूप और असम के एक जगह से अन्य जगह में स्थानांतरित नागरिकों को विदेशी के बतौर चिन्हित करने की सम्भावना के कारण से उक्त संख्या इतनी ज्यादा हुई है। असम के बहुचर्चित प्रवासन संबंधित वर्तमान समस्या की इसी वास्तविकता की कसौटी पर देखना निहायत जरूरी है।

प्रवासन एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। म्यानमार सरकार द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों पर म्यानमार के फौजी अत्याचार व उत्पीड़न से अमेरीका की फिलहाल की प्रवासन नीति या मध्यपूर्व से युद्ध के कारण व्यापक जनता को यूरोप में प्रवासी होकर काफी तकलीफ से दिन गुजारना- यही वास्तविकता को उजागर कर रहा है। साम्राज्यवाद अपने दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों की मदद से गरीब देशों के अधिशेष शोषण कर उन देशों को पिछड़े बनाए रखते हैं। फलस्वरूप आजीविका के लिए उन सभी देशों की जनता प्रवासी बनने के लिए मजबूर हो जाती है। अथवा प्रतिक्रियावादी शोषक-शासक वर्ग खुद के विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए जोर-जबरन जनता को

विस्थापित कर उन्हें प्रवासी बनने को बाध्य करते हैं। प्रवासी बनने के लिए मजबूर जनता को मोल-तोल करने की क्षमता न रहने के फलस्वरूप उनलोग दलाल पूंजीपतियों को अति मुनाफा कमाने की लालच का शिकार बन जाते हैं। उक्त प्रवासी मजदूर लोग सम्पदा सृजन करने के काम-काज के साथ जुड़े हुए हैं। फलस्वरूप अमीरों की सम्पदा में उनलोगों का पसीना-खून मिले रहते हैं।

प्रवासन सिर्फ धार्मिक कारणों से ही नहीं होते हैं, इसलिए हम मेहनतकश जनता को देशी-विदेशी, नागरिक-गैर नागरिक, हिन्दू-मुस्लिम आदि विभिन्न नामों से विभाजित करने का घोर विरोधी हैं। हमारी मांग है कि एन. आर. सी. में शामिल नहीं किए गए सभी प्रवासियों को पुनर्वासित करना होगा। किसी को भी नागरिक अधिकार हीन अपमानित हालत में सस्ते मजदूर के रूप में जीने के लिए मजबूर करना नहीं चलेगा। ऐसा नहीं करने का मतलब ही दास व्यवस्था लागू करना होता है तथा यही प्रयास चलाया जा रहा है।

भारत एक बहुराष्ट्रीयता का देश है। उन राष्ट्रीयतासमूह समाज विकास की धारा में अलग-अलग स्तर में है। साम्राज्यवादी पूंजी और भारत के दलाल नौकरशाह ने राष्ट्रीयता समूह के मजदूर- किसान के खून-पसीना से सृजित सम्पदा के अधिशेष को लूट लेते है। इसी मकसद के बतौर वे लोग चाहते है कि राष्ट्रीयता समूह का मौजूदा समाज पूर्व-पूंजीवादी पिछड़ा हालत में ही फंसे रहे। यानी वे लोग राष्ट्रीयताओं के समाज में अर्ध-सामन्तवादी उत्पादन संबंध को दुरूस्त रखने के लिए मुस्तैद रहते हैं। फलस्वरूप उपरोक्त राष्ट्रीयताओं की जनता उनके आर्थिक बदहाली, भाषा-संस्कृति की क्रमशः विलुप्ति को लेकर शंकित रहती है। भारत के विभिन्न राष्ट्रीयताओं में व्याप्त उपरोक्त शंका ही आत्मनियंत्रण के अधिकार हासिल करने के संग्राम को जन्म दिया है। भारत राष्ट्र इस राष्ट्रीयता संबंधित समस्या का जनवादी समाधान के राह पर न चलकर हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान की राष्ट्रवादी बड़प्पन का वर्चस्व को उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं पर जोर-जबरन थोप दिए। साथ ही साथ वे लोग आंदोलनकारी राष्ट्रीयताओं पर आतंकवादी ठप्पा लगा के फौजी मुकाबला के पथ अख्तियार कर परिस्थिति को और पेचीदा बना दिया है। भारत राष्ट्र केवल नाम के वास्ते दिखावटी संघीय राष्ट्र है। दरअसल यह एक अति केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था है। 'अखंड भारत,' 'श्रेष्ठ भारत' 'डिजिटल भारत' आदि, आदि असल में अंध (कट्टर) राष्ट्रवादी घमंडी/अहंकारी घोषणा की आड़ में भारत के दलाल नौकरशाह पूंजीपति व उनके आका साम्राज्यवादियों का प्रमुख लक्ष्य देश भर के विशाल बाजारों पर एकपक्षीय बेरोकटोक कब्जा जमाना ही है। इसी मंशा से वे लोग किसी भी राष्ट्रीयता के आत्म नियंत्रण के अधिकार के आंदोलन को खून की बाढ़ में बहाकर ध्वस्त करना चाहते हैं। दरअसल भारत उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं का एक जेलखाना बन गया है। साथ ही साथ देश का विभाजन या एक इलाके के साथ दूसरे इलाके को संयुक्त करना, कर (टैक्स) देने वाले राज्यों को कब्जा करना; इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में जनता की राय-सलाह नहीं ली जाती है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उसके नौकर दलाल नौकरशाह पूंजीपति अपने स्वार्थ में देश का विभाजन किए या देशों को जोड़े हैं। इस मामले में कांग्रेस-आरएसएस-जनसंघ-भाजपा; गांधी-नेहरू-पटेल-श्यामा प्रसाद उनके सहभागी बने थे। राष्ट्रीयता की जनता की आकांक्षा को कभी भी मान्यता नहीं दिया गया बल्कि उनके आंदोलन को गुमराह करना, जाति-सम्प्रदाय का दंगा उकसाना तथा दंगा लगा देना, एक राष्ट्रीयता के साथ अन्य राष्ट्रीयता की लड़ाई भड़काना, आदि विभिन्न तरह के षड़यंत्र रचा गया है। 1985 के असम एकर्ड (समझौता) दरअसल भारतीय राष्ट्र व्यवस्था के फंदे में फंसने के अलावे और कुछ भी नहीं है। जिसका मूल मकसद असम के राष्ट्रीयताओं की जनता को बुनियादी समस्यायों के समाधान के रास्ते से गुमराह करना ही था। उपरोक्त समझौता राष्ट्रीयता समूह के आत्मनियंत्रण के मर्यादा को मान्यता तो नहीं दी है; बल्कि असली दुश्मन को सुचिन्हित न कर राष्ट्रीयताओं के अंदर फूट डालना, एक राष्ट्रीयता को दूसरे के खिलाफ लड़वाना आदि संकीर्ण अवधारणा को उकसावा देकर आंदोलन को गुमराह करने में मददगार बना। लेकिन लम्बे अर्से तक उक्त समझौता कार्यान्वित नहीं हुआ। आज उसी समझौता को केन्द्र की भाजपानीत एनडीए सरकार और असम राज्य की भाजपानीत सरकार (जिसका प्रमुख भागीदार है असम गण परिषद) हथियार के बल पर इस्तेमाल कर रही है। वे लोग एक ओर एनआरसी के जरिए असमिया व अन्यान्य राष्ट्रीयताओं के भारतीयकरण करने के पथ को फौलादी बना रहा है; दूसरी ओर राष्ट्रीयता विरोधी घृणा-द्वेष तथा धार्मिक भेद-भाव का एक वातावरण प्रस्तुत कर असम की जनता के खाद्य, वस्त्र, वासस्थान, आजीविका जैसी बुनियादी समस्यायों की ओर से नजर घुमा देने की कोशिश कर रहा है।

पृष्ठ संख्या 36 पर शेष...

बीजे सैक सरकुलर-01/2018

पत्थलगड़ी आंदोलन का भरपूर समर्थन करने के साथ-साथ उसे ग्रामीण क्षेत्र में जनता की जनवादी राज की स्थापना करने की दिशा पर आगे बढ़ाने के लिए हमारी कार्यनीति

भूमिका

विदित है कि आदिवासी समुदाय के विकास के नाम पर पूरे देश के पैमाने पर पाँचवी व छठी अनुसूची को अमल में लाने पर जोर दिया गया है तथा दिया जा रहा है। हमारे झारखण्ड में भी झारखण्ड-प्रेमी कई संगठन और झारखण्ड-प्रेमी कई वुद्धिजीवी लोग भी इस मुद्दा को लेकर आवाज उठा रहे हैं और कमोबेश आंदोलन भी चला रहे हैं। हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) की रहनुमाई में जारी क्रांतिकारी आंदोलन के इलाके में भी इसका प्रभाव पड़ा है। पिछले डेढ़-दो वर्षों के दौरान भारतीय संविधान द्वारा अनुमोदित पाँचवी व छठी अनुसूची को लागू करने के उद्देश्य से आदिवासी रीति-रिवाज व परम्परा के अनुसार पत्थलगड़ी का भी बतौर एक आंदोलन उभार हुआ है। खूंटी जिला से शुरू होकर उससे सटा हुआ राँची जिला के कुछ इलाका होते हुए प. सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां के विस्तृत इलाके में इसका विस्तार होते हुए सिमडेगा, गुमला, लातेहार इत्यादि जिलों में भी फैल गया। ऐसा कि झारखण्ड से सटा हुआ ओड़िशा व उ. छत्तीसगढ़ में भी फैल गया।

ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए तथा हमारी कार्यनीति क्या होनी चाहिए-ऐसा सवाल आम कार्यकर्ता व गांवों के सक्रिय केकेसी व जनसंगठन के कार्यकर्ता व आम सदस्यों से उठना लाजिमी था और वास्तव में वैसा उठा भी है। इसी उद्देश्य से ही हमारी कार्यनीति क्या होगी- इसे बीजे स्पेशल एरिया कमेटी की ओर से एक सरकुलर के बतौर पेश किया जा रहा है। आप सभी साथी से आह्वान है कि इसे अध्ययन करें और परिस्थिति व इलाके की विशिष्टता के अनुसार इसे लागू करने के लिए जी-जान से प्रयास चलाएं।

इस आंदोलन के साथ शोषक-शासकों का संबंध तथा उसका इरादा व स्वार्थ क्या है -इस बारे में एक-दो बातें

हमें इस बात को भली-भांति समझना है कि माओवादी प्रभावित इलाके में यह आंदोलन अचानक या एकाएक नहीं उठा है। बल्कि साम्राज्यवाद-सामंतवाद व दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग की दलाल सरकार तथा शासक पार्टियों द्वारा अपनायी गयी एक सोची-समझी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। जाहिर है कि दुश्मन शोषक-शासक हमारी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य-से अमरीकी साम्राज्यवाद निर्देशित कम तीव्रता वाला युद्ध (एल. आई. सी.) पॉलिसी के तहत बहुमुखी हमला चला रहा है। उसका और एक मकसद है कि जनता को माओवादियों से अलग करना। इस बुरे इरादे से ही हमारे संघर्षशील क्षेत्र में उसके दिखावे लुभावनी नारों को वास्तविक रूप में लागू किया जा रहा है व करवाया जा रहा है। देश के कुछ प्रगतिशील बुद्धिजीवी लोग आदिवासियों के हित में पाँचवी अनुसूची पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य भी सच्चा ही लगता है। वहीं कुछ एनजीओ भी इसको लेकर सामने आये है जिनका उद्देश्य सही नहीं है, कहा जाय तो गलत है। वह आदिवासी के विकास और समाज सेवा के नाम पर आदिवासियों को क्रांतिकारी आंदोलन से व अपने मूल मकसद से दूर करने की गहरी साजिश यों कहें कि सरकारी दमन एजेंडा का एक हिस्सा बनकर काम कर रहे हैं। वह इस मामले को केवल आर्थिक फायदा तक न रखते हुए सैद्धांतिक, वैचारिक और राजनीतिक स्तर पर अमली जामा पहना रहे हैं। यह एक खतरनाक कुचक्र के तौर पर सामने आ रहा है। यदि हम सही वक्त पर सही हस्तक्षेप नहीं करें तो हमें इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। पूंजीवादी व्यवस्था के सेवा में रहने वाले एनजीओ के भ्रमजाल में हमारी भोली-भाली प्रिय जनता फँस जायगी। इससे क्रांतिकारी आंदोलन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम इस मामले को अच्छे से जानें और सही कार्यनीति अपनायें।

झारखण्ड के लगभग सभी जिलों में हमारा सशस्त्र कृषि-क्रांतिकारी आंदोलन फैल जाने के कारण राज्य सरकार, जो अभी भाजपा-नीत रघुवर दास सरकार है, हमें खत्म करने

के लिए जबरदस्त दमनात्मक मुहिम जारी रखी है और व्यापक व बर्बर सैनिक अभियान चला रही है। साजिश व समझौता कर, पैसा का लोभ-लालच देकर, दबाव डालकर, फूट व विभेद नीति के जरिए विरोध पैदा कर यानी सभी प्रकार के तौर-तरीके अपनाकर झारखंडी जनता को धोखा देने का प्रयास जारी रखी है। गरीबों के लिए मकान, रोजगार, जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना या गांव-गांव तक बिजली पंहुचाना, लवली-लाडली योजना, सस्ता दर में राशन, सस्ता भाव में चावल-गेहूँ का बांटना, जन-वितरण प्रणाली के जरिए बहुत कुछ देने का वादा करना, धोती-साड़ी-कम्बल, थाली-बर्तन, फुटबॉल-हॉकी खेल का सामान बांटना इत्यादि बहुत प्रकार के सामानों का वितरण किया जा रहा है। साथ-ही, व्यापक मानसिक युद्ध जैसा 'माओवादी आज लगभग खत्म है'; 'नेता लोग सब अकूत धन कमाने में व्यस्त है'; 'शहरों में जमीन खरीद कर आलीशान मकान बनाया है'; 'नेताओं के बेटा-बेटी सब विदेश जाकर पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं' इत्यादि दुष्प्रचार चलाया जा रहा है, इसीलिए जनता के पास जाकर इन चालबाजी का व्यापक भंडाफोड़ करना बहुत जरूरी है। इसका उद्देश्य है जनता को साथ में लेकर इस चालबाजी को परास्त करना।

हमें पाँचवी-छठी अनुसूची के प्रावधानों को जानने के समय तथा किसी भी कानून को जानने के समय एक बुनियादी बात को ध्यान में रखना है कि सारे कानून दलाल पूंजीपतियों और जमींदार वर्ग की सत्ता को बरकरार रखने के लिए ही होते है। अभी के समय में सत्ता शोषक वर्ग की होती है। जैसे राजसत्ता किसी न किसी वर्ग की होती है। भारत की मौजूदा राजसत्ता साम्राज्यवाद परस्त दलाल नौकरशाह पूंजीपति और जमींदार वर्ग की है। राजसत्ता का चरित्र उसके आर्थिक नीतियों से अथवा आर्थिक एजेंडे से समझ सकते है। भारत सरकार सत्ताधारी वर्ग के लिए ही नीतियां बनाती है। जनता का शोषण करना, जल-जंगल-जमीन की लूट इसका उद्देश्य होता है। बाकी जो भी दिखावा कल्याणकारी नीतियां सरकार बनाती है, वह उसके मूल आर्थिक नीतियों के कारण जनता को जो नुकसान होता है उसका तथा जनता का गुस्सा या असंतोष होता है, उसे ठंडा करने के लिए यह नीतियां बनाते हैं न कि जनता का वास्तविक विकास करने के लिए। यह बात हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। जनता के असंतोष को ठंडा करने या जनता के आंदोलन को शांत करने के लिए कभी-कभी सरकार जनता के हित करने वाली नीतियों को भी कानून के रूप में बनाते हैं। पर इन कानूनों पर कभी पूरा अमल नहीं करते। राजसत्ता के राज चलाने की मशिनरी जिनमें कानून, कार्य प्रणाली, न्याय व्यवस्था और चौथा पुलिस-मिलिटरी आते हैं। इन अंगों को चलाने वाली अफसरशाही सत्ताधारी वर्ग के खास चुने हुए लोग होते हैं। वे जनता के हित में कानून को अमल नहीं करते। जन आंदोलन के दबाव से उनकी कभी इतनी मजबूरी हो जाती है कि उनको कुछ हद तक जनता के लिए सहुलियत देना पड़ता है, केवल तब ही कानूनों को अमल करते है। इसमें भी सत्ताधारी वर्ग का ही हित होता है। एक तरीका यह भी है कि ऐसा दिखावा करें कि वह जनता के हित में है। यह बिना हथियार से व्यापक जनता को कन्ट्रोल करने का तरीका है। यह वैचारिक तौर पर जनता की मानसिकता को कैद करने के लिए किया जाता है। इसलिए हर कोई लूट या शोषण करने के समय विकास, भलाई, उत्थान ऐसे शब्दों का प्रयोग किया करते है। कानूनों के बाहरी आवरणों को जोर-शोर से प्रचारित किया जाता है। इस प्रकार की मिठाई में जो जहर है, उससे जनता को बचाना है।

पाँचवी-छठी अनुसूची की पीछे की हकीकत को जानें

विशाल जंगली क्षेत्र में ही पीढ़ी दर पीढ़ी से आदिवासी और अन्य निवासी यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। यह भारत का विशाल भूमि है। जिसके उपर और अंदर भारी मात्रा में वन सम्पदा, खनिज सम्पदा, जल सम्पदा तथा प्राकृतिक सम्पदा मौजूद है। भारत में जो भी शासक बने, उन्होंने यह भूमि अपने कब्जे में करनी चाही। तमाम कानूनों का यही एक मात्र और मूल मकसद है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से शासकों को पाँचवी-छठी अनुसूची को भी अस्तित्व में लाना पड़ा। इसके पीछे आदिवासियों के हक-अधिकार, अस्तित्व और अस्मिता की जबरदस्त लड़ाई रही है। हालांकि उस लड़ाई की मूल मांग कतई यह नहीं थी, फिर भी आदिवासियों के प्रतिरोध से हर दलाल शासक व दलाल सरकारों को पीछे हटना पड़ा। उस कारण से कुछ रियायतें देनी पड़ी। इन रियायतों का ही कानूनी जामा भारतीय संविधान में पाँचवी-छठी अनुसूची के रूप में दर्ज है।

जाहिर है कि मौजूदा केन्द्र व राज्य सरकार न तो पाँचवी व छठी अनुसूची के मूल प्रावधानों को लागू कर रही है और न ही पेसा कानून को लागू कर रही है। बल्कि पाँचवी व छठी

अनुसूची व पेसा कानून के अनुसार जो अधिकार दिया गया है, उसे वास्तव में लागू करने खातिर जिनलोग जोरदार आंदोलन चला रहे हैं, उनपर देशद्रोही का लेबल लगाकर गिरफ्तार, मारपीट व कुर्की जब्ती के नाम पर सारे कुछ लूट लेना इत्यादि बर्बर अत्याचार ढाया गया है तथा ढाया जा रहा है। और आज जब आदिवासी-मूलवासी व दलित जनता भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में अपना जल-जंगल-जमीन सहित तमाम आर्थिक-राजनीतिक अधिकार तथा अस्मिता के लिए लड़ाई को तेज की है, तब यह लड़ाई सीधा पहाड़-जंगल क्षेत्र में रहने वाली जनता और दलाल सरकार के बीच की हो गयी है। यह कुछ मामूली मांग या आर्थिक मांगों की प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पहाड़-जंगल क्षेत्र पर कब्जा पुनर्स्थापित करने की राजनीतिक लड़ाई है।

पत्थलगड़ी आंदोलन के बारे में हमारा दृष्टिकोण

विदित है कि मौजूदा समय में झारखंड सहित कई राज्यों में युग-युग से आदिवासी परम्परा के अनुसार पत्थलगड़ी आंदोलन बड़ा ही जोर-शोर से चल रहा है। अभी के समय में इस आंदोलन का काफी जोर पकड़ने के पीछे ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी केन्द्र की मोदी सरकार और झारखंड की रघुवर दास सरकार द्वारा भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची, अनुच्छेद 13(3), 19(5)(6), अनुच्छेद 244(1) और पेसा अधिनियम के अनुसार ग्रामसभाओं को प्राप्त अधिकारों को छीन लिए जाने की साजिशपूर्ण व आक्रामक कार्रवाई का कड़ा विरोध जताना ही खास कारण है।

इस पत्थलगड़ी आंदोलन में निहित ग्रामसभाओं के हाथ में राजनीतिक शासन सहित जनता की इच्छा के अनुसार अर्थनीति, राजनीति व संस्कृति का निर्माण करने की आवाजों को ध्यान में रखकर ही उक्त आंदोलन के पथ व पद्धतियों में अनेक कमजोरियां रहने के बावजूद हम भाकपा (माओवादी) की तरफ से इस आंदोलन के प्रति समर्थन व सहानुभूति जता रहे हैं। साथ ही साथ इस आंदोलन पर चल रहा तमाम दुष्प्रचार व दमनात्मक कार्रवाइयों व इस आंदोलन के नेता व कार्यकर्ताओं को देशद्रोही का आरोप लगा कर जेल की काली कोठरी में डाल देने की कार्रवाइयों की तीव्र निंदा व कठोर भर्त्सना कर रहे हैं। साथ ही साथ इस आंदोलन की सफलता के लिए हम कहना चाहते हैं कि अगर आदिवासी जनता सहित तमाम मेहनतकश जनता के लिए सच्ची स्वाधीनता, सच्चा जनवादी अधिकार और सच्ची मुक्ति हासिल करना हो तो अवश्य ही पत्थलगड़ी आंदोलन के साथ जुड़ी हुई तमाम उत्पीड़ित जनता को गोलबंद होकर अपनी संगठित शक्ति पर निर्भर करके हिम्मत व धैर्य के साथ कठिन संघर्ष के दौर से पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़ा हुआ तमाम इलाके को अर्थनीतिक शोषण व राजनीतिक उत्पीड़न से मुक्त इलाका की स्थापना के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। हमारा कहना है कि आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में सही मायने की मुक्ति हासिल किए बिना अर्थात स्थानीय प्रतिक्रियावादी शोषक वर्ग सहित 'देशी-विदेशी' शोषकों द्वारा पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े हुए तमाम इलाके की व्यापक जनता पर जो बर्बर शोषण व शासन की व्यवस्था लम्बे समय से चली आ रही है, उसे जड़ से उखाड़ फेंके बिना तथा आदिवासी जनता, मजदूर, किसान, मंझोला तबका तथा व्यापक उत्पीड़ित जनता का राज व शासन-व्यवस्था स्थापित किए बिना केवल मौजूदा संविधान के द्वारा स्वीकृत अधिकारों की आवाज उठाने मात्र से ही आदिवासी-मूलवासी जनता सहित व्यापक जन-समुदाय की सही मायने की मुक्ति हासिल कर पाना संभव नहीं है और आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में हो अथवा भाषा, शिक्षा व संस्कृति के क्षेत्र में हो जनता की सच्ची स्वाधीनता, सच्चा जनवाद और सच्ची मुक्ति हासिल करना संभव नहीं हो सकता। क्योंकि मौजूदा भारतीय संविधान पूरे तौर पर शोषक वर्गों के हित की रक्षा करता है। इसीलिए निम्नलिखित कई बातों पर ध्यान देना व अमल करना जरूरी है, वे हैं:

प्रथमतः आदिवासी जनता सहित आम जनता के सामान्य दुश्मन के रूप में साम्राज्यवाद, सामंतवाद व दलाल नौकरशाही पूंजीपति को चिन्हित करना चाहिए और सामान्य दुश्मन के खिलाफ अपनी एकता को मजबूत वनाना चाहिए। साथ ही साथ जनविरोधी, वर्णवादी, धर्म व भाषा संबंधी भेदभाव को दूर कर तमाम शोषित-उत्पीड़ित जनता को गोलबंद हो जाना चाहिए और सामान्य दुश्मनों के खिलाफ जिनको-जिनको गोलबंद करना संभव हो, उनके-उनके साथ बड़े किस्म की एकता स्थापित करनी चाहिए।

द्वितीयतः दुश्मन को शिकस्त देने हेतु और अपनी मुक्ति हासिल करने हेतु सही मार्ग से दृढ़तापूर्वक क्रमशः आगे बढ़ना होगा। दुश्मन वर्ग की पुलिस-मिलिटरी ही उसकी शासन व्यवथा का मूल अंग है। अगर दुश्मन की शोषण-शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना हो तो, इस पुलिस-मिलिटरी या सैन्य शक्ति को निर्मूल करना ही होगा। यानी हमें महान

सिद्धू-कन्हू व महान विरसा मुंडा के दिखाए हुए रास्ता में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ना होगा। याद रखना होगा कि धरना देकर अथवा दया, मेहरबानी व रिलिफ की भीख मांग कर समस्याओं का हल न कभी हुआ है और न होगा। चुनाव अथवा किसी भी तरह के शान्ति मार्ग से मौजूदा शोषण व शासन व्यवस्था को उखाड़ा नहीं जा सका है और न उखाड़ा जाना संभव है।

तृतीयतः इस आंदोलन में नकाबपोश झारखंड-प्रेमी या क्रांतिकारी सहित अन्य किसी प्रकार के गलत तत्वों का घुसपैठ न हो सके इसके लिए काफी सर्तकता अपनानी होगी। नहीं तो दुश्मन ऐसे गलत तत्वों को घुसपैठ करवाकर पूरा आंदोलन को बदनाम करेगा और जुल्म ढाना शुरू करेगा। जैसा कि फिलहाल कोचांग क्षेत्र में महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर असली दोषीदारों को नहीं पकड़कर उल्टे पत्थलगड़ी आंदोलन के नेता, कार्यकर्ता व जनता पर व्यापक जुल्म व अत्याचार ढाया जा रहा है। अब ऐसे कुकर्म करने वालों को पकड़कर जनअदालत में विचार करते हुए उचित सजा देने का जिम्मा पत्थलगड़ी आंदोलन के नेतृत्व के कंधे पर ही आ पड़ा है।

विभक्त न हों, एकताबद्ध हों; सही दुश्मनों के खिलाफ सही दोस्तों को गोलबंद करें; हथियार उठाने में साहसी हों; विजय हासिल करने में समर्थ हों; फूटपरस्त शक्तियों को पराजित करें और पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े हुए इलाके की जनता की जनवादी शासन व्यवस्था वाला 'ग्रामसभा' तथा क्रांतिकारी जनकमेटी का राज वाला इलाके में बदल डालें -यही पत्थलगड़ी आंदोलन का मूल नारा होना चाहिए।

हमारा व्यावहारिक कर्तव्य

पत्थलगड़ी आंदोलन को सही दिशा पर आगे बढ़ाना है तो हमें अवश्य-ही उक्त आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा तथा शामिल होकर ही सरकारी दमन व साजिश तथा फूट डालने की नीति इत्यादि का मुकाबला करने का उचित तरीका व कार्यक्रमों पर लचीला शैली अपनाकर बहस व चर्चा कर सकते हैं। हमें समझना है कि 1973-74 के समय के झारखण्ड आंदोलन की अपेक्षा अभी का पत्थलगड़ी आंदोलन और कई नई विशेषता के साथ उभर कर आया। जैसे कि, जनता की विकल्प व्यवस्था के बतौर ग्रामसभा की व्यवस्था, अलग आर्थिक व्यवस्था के बतौर बैकिंग व्यवस्था, विकल्प शिक्षा व्यवस्था के बतौर अपना स्कूल, पुलिसिया आक्रमण का मुकाबला करने के लिए अपना पल्टन या सेना इत्यादि। पर, हमें यह भी याद रखना है कि आंदोलन को नेतृत्व देने लायक संगठित शक्ति का अभाव और स्वयंस्फूर्तता का व्यापक असर, एक इलाके के साथ दूसरा इलाका का तालमेल का अभाव, यही कमी व्यापक रूप से दिखाई पड़ी। अभी तो सब कुछ तितर-बितर की स्थिति में है। ऐसी स्थिति से उबर पाने के लिए उन्हें चाहे शेल्टर देकर हो अथवा अन्य किसी भी प्रकार की मदद कर हो, हमें उक्त मदद यथासंभव देना चाहिए। तब उक्त आंदोलन को पुनः सही दिशा पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

कार्यनीति

ग्रामसभा पूरी तरह गाँव की जनता के अधीन ही रहना चाहिए। इसमें किसी तरह का गैर-सरकारी संगठन का हस्तक्षेप नहीं रहना चाहिए। पेसा कानून के हिसाब से ग्राम स्वशासित है। इसलिए गाँव की जनता के अलावा कोई जवाबदेही नहीं है। इसलिए अधिकारियों को जाकर हिसाब दिखाना या उनके कन्ट्रोल को स्वीकारने की कोई जरूरत नहीं है। हिसाब-किताब में पारदर्शी रहना चाहिए। खर्च और पूरा हिसाब ग्रामसभा के सामने रखकर मंजूर कराना जरूरी है। इसका रिकॉर्ड गाँव में ही रखना है। गाँव की जनता में होशियार लोग आम जनता को गुमराह कर अपना स्वार्थ साधने की कोशिश करेंगे, इस पर सतर्क रहना चाहिए। गाँव की जनता की चेतना बढ़ाकर ही इसे सही मायनें में कन्ट्रोल में रख सकते है। ग्रामसभा की जिम्मेदारी संभालने वाली कमेटी में सामूहिक निर्णय एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारी के नियम पर काम करना चाहिए। ग्राम सभा को मिलने वाली आमदनी से मूलभूत कार्य जैसे खेती का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक विकास के लिए अधिक खर्च करने पर प्रमुखता से चर्चा होनी चाहिए। अन्य मामलों में भी ग्राम सभा में विस्तृत चर्चा करते हुए निर्णय करना चाहिए। तुरन्त निर्णय करने के बजाय उस पर गाँव की सारी जनता अच्छी तरह समझकर निर्णय करना चाहिए। इसलिए समझदारी प्राप्त करने के लिए समय लेना चाहिए। तुरन्त निर्णय करने में गाँव के सयाने और चालबाजों के हाथों फँसने की संभावना रहती है। पेसा कानून के अनुसार आर्थिक, सांस्कृतिक तथा गाँव के सारे कार्य ग्राम सभा के ही अंतर्गत है। इसमें कोई अन्य संस्थाएं, सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोई कानून भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता।

गाँव की भूमि या इस पर परंपरागत रूप से जो मान्यता है उसे ही मानना है। प्रत्येक गाँव की सीमा पहले से ही पूर्वजों

द्वारा तय है। वह नदी, नाला, जंगल से चिन्हित होती है। सरकार ग्राम सभा को सीमित व अपने स्वार्थ में यानी शोषकों के स्वार्थ में करना चाहती है। यह तो आदिवासियों के जंगल पर अधिकार को छीनने की बात है। सरकार ने 1950 में जमींदारी खत्म करने के नाम पर जंगल का यह कानून लाकर रिजर्व फॉरेस्ट ऐसी सीमा बनाई। यह परंपरागत नहीं है। यह सरकार की साजिश है। यह आदिवासियों को जंगल से बेदखल करने के लिए है। हमें ऐसी कोई सरकारी सीमा को नहीं मानना है। सारा जंगल हमारा है, इस पर डटकर संघर्ष करना है। जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों का अधिकार अवश्य ही रहना है।

सारे ग्रामसभा के संचालन के लिए सचेत लोगों को और मजबूत करना बहुत जरूरी है। यह नहीं रहने पर ग्राम सभा सरकार के अधीन, सयानों और चालबाजों के अधीन, ठेकेदारों के अधीन व गैर-सरकारी संगठनों के अधीन चले जाने का खतरा रहता है। साथ ही भ्रष्टाचार भी भारी पैमाने पर होने की संभावना रहती है। अन्य संगठन जो इमानदार है और जनता के हित में कार्य करते हैं, उनसे अपना व्यवहार रणनीतिक संयुक्त मोर्चा के अनुसार रखना है। राजनीतिक परिस्थिति के मुताबिक कार्य करना है। रणनीतिक दृष्टि से कठोर रहना व कार्यनीतिक दृष्टि से लचीला रहना हमारे लिए जरूरी है। जनता की भूमिका को सर्वोपरि रखना है। आज की परिस्थिति में दमन और विस्थापन यह झारखंड में महत्वपूर्ण दो मुद्दे है। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षण का बहुत बुरा हाल है। इन विषयों को जन प्रतिरोध संघर्ष के हिस्से के रूप में ही जोड़कर उठाना है। पुलिस द्वारा सामान बाँटना, 'कल्याणकारी' योजनाओं का व्यापक प्रचार; यह दमन के रूप हैं। यह कुछ लोगों को दबाकर व्यापक जनता को दबाने की नीति है। जनयुद्ध से जोड़कर इस पर प्रत्यक्ष कार्य करते समय राजनीतिक रूख का प्रचार तो साफ रखने का सवाल वहाँ की जनता का स्तर, चेतना की स्थिति पर ही निर्भर रहेगा। अन्य जो भी विषय रहेगा उनको जन प्रतिरोध संघर्ष के साथ जोड़कर ही उठाना है। उससे जोड़कर ही जनता को जागरुक करना है। हर मामले में अपने मजबूत चेतना वाले कार्यकर्ताओं को पहलकदमी लेकर जनता की भूमिका बढ़ाने के दृष्टि से ही कार्य करना होगा।

जनता में निम्न पूँजीवादी तबका बढ़ रहा है। उनकी आकांक्षाएं बहुत प्रकार की रहती है। यह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप में स्थान पाने के लिए व्यक्त होती रहती है। यह तबका क्रान्ति का दोस्त है। इनको सही मायने में स्थान सच्चे जनवादी व्यवस्था में ही प्राप्त हो सकता है। इस व्यवस्था में उनको कैसे दबाया जा रहा है, यह उनको बताना है। इस व्यवस्था का विकल्प नवजनवादी क्रान्ति है यह चेतना उनमें जगाना है। हमारा व्यवहार इन तबकों को जीतने की तरफ रहना चाहिए। इसलिए हमारे कार्यक्रमों में इनकी भूमिका निश्चित करना होगा। इनसे जो हो सकते हैं, वैसे छोटे-छोटे कार्य देकर उनकी भूमिका आगे की ओर बढ़ाई जा सकती है। उनके गलतियों पर संकीर्णता से निर्णय नहीं करना है।

'ग्रामसभा और आदिवासियों के हक' और 'बहुमुखी दमन और आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व', 'जनवादी संस्कृति व मूल्य और मूल्यहीन व्यवहार' इन विषयों पर छात्रों-नौजवानों को नियमित क्लास चलाते रहना है। गाँवों के अंदर ही क्लास लेने के लिए शिक्षक या गुरूजी तैयार करना है। इसलिए पहले गुरूजी निर्माण अभियान चलाना चाहिए। ग्राम सभा की मीटिंग नियमित और स्वयंसम्पूर्ण हो, इसके लिए जनता को सचेतन करना चाहिए। इसमें पहले हमें क्रान्तिकारी चेतना से लैस कार्यकर्ताओं को तैयार करना है, फिर वे अन्य को करेंगे।

प्रत्येक ग्रामसभा में पर्चा-पोस्टर पढ़कर बताने वाले को तैयार करना है। यह एक व्यवस्था के तौर पर पूरे झारखंड में जितनी जल्द हो बन जाना चाहिए। इसकी रिपोर्ट समय-समय पर उच्च कमेटियों को अनिवार्य रूप से भेजते रहना चाहिए। जनता की सोच है कि प्रतिरोध तीव्र किए बगैर हम लड़ाई को आगे नहीं ले जा सकते। आज तक किए गए प्रतिरोध से भी और तीव्र प्रतिरोध संघर्ष जरूरी है। जनता हर जगह लड़ रही है। अन्य जगहों के उदाहरण को बताते हुए जनता को प्रतिरोध संघर्ष में ज्यादा से ज्यादा गोलबंद करना है।

★ वोट के जरिये केवल सरकार का रंग बदलता है, शोषण-शासन बंद नहीं होता है;
★ चुनाव के जरिए सरकार बदल कर जनता की एक भी बुनियादी समस्या का हल नहीं होता है;

गोड्डा में जमीन की लूट व अडानी का आतंक

(जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश में ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा की मोदी सरकार अपने मालिक पूंजीपतियों को औने-पौने दाम पर जमीन देने या कहा जाए तो किसानों से उनकी जमीन लूट लेने के लिए लगातार भूमि अधिग्रहण कानून में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। उसी के नक्शेकदम पर चलते हुए झारखंड की ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा की रघुवर सरकार भी एक तरफ तो सीएनटी-एसपीटी कानून में संशोधन व भूमि अधिग्रहण कानून में लगातार संशोधन का प्रयास चला रही है। वहीं दूसरी तरफ अपने मालिकों को जमीन बांट भी रही है, जिसके खिलाफ लगातार आंदोलन जारी है। गोड्डा जिला में भी ऐसी ही जमीन लूट को अपने मालिक अडानी के लिए अंजाम दिया जा रहा है और किसानों पर लाठियां बरसायी जा रही है। इसी जमीन लूट व पुलिस-कम्पनी गठजोड़ के द्वारा आम जनता पर दमन को बयां करता चार रिपोर्ट हम यहां दे रहे हैं (चारों रिपोर्ट में जमीन के आंकड़े में कुछ अंतर है), जो कि विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं से साभार लिया गया है। -संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

1.

2016 में झारखंड सरकार ने बहुत जोर-शोर के साथ गोड्डा जिले में एक पावर प्लांट स्थापित करने के लिए अडानी समूह के साथ समझौता किया था। झारखंड जनाधिकार महासभा, जो कि 30 से अधिक संगठनों का एक मंच है, के एक दल ने हाल में ही इस परियोजना का तथ्यान्वेषण किया। जांच में पता चला कि पिछले दो सालों में परियोजना की कई उपलब्धियां हैं, जैसे- जबरन भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की प्रक्रियाओं का व्यापक उल्लंघन, किसानों की फसलों को बर्बाद करना, संभावित लाभों के बारे में झूठ बोलना, प्रभावित परिवारों पर पुलिस बर्बरता, केस-मुकदमे करना तथा अन्य हथकंडों से डराना।

कंपनी की सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, थर्मल पावर प्लांट के लिए गोड्डा जिले के दो प्रखंडों के 10 गांवों में फैली हुई 1364 एकड़ भूमि को अधिग्रहित किया जाना है। इस प्लांट से 1600 मेगावाट बिजली की उत्पादन होगी। झारखंड सरकार और कंपनी का दावा है कि यह एक लोक परियोजना है, इससे रोजगार का सृजन और आर्थिक विकास होगा तथा इस परियोजना में विस्थापन की संख्या 'शून्य' है। कुल बिजली उत्पादन का 25 प्रतिशत झारखंड को दिया जाएगा।

जमीनी वास्तविकता इन दावों से विपरीत है। भूमि अधि ग्रहण कानून 2013 के अनुसार, निजी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति एवं ग्राम सभा की अनुमति की आवश्यकता है। लेकिन क्षेत्र के अधिकांश आदिवासी और कई गैर-आदिवासी परिवार शुरूआत से ही परियोजना का विरोध कर रहे हैं। 2016 और 2017 में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) के लिए जनसुनवाई आयोजित की गई थी। कई जमीन मालिक जो इस परियोजना के विरोध में थे, उन्हें अडानी के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन ने जनसुनवाई में भाग लेने नहीं दिया। प्रभावित ग्रामीण दावा करते हैं कि गैर प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुनवाई में बैठाया गया था। ऐसी ही एक बैठक के बाद जिसमें प्रभावित परिवारों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया था, ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी और पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार व उन पर लाठी चार्ज किया था।

कम्पनी की सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में कई तथ्यात्मक व वैधानिक त्रुटियां है, जैसे प्रभावित गांवों में कोई तकनीकी रूप में कुशल और शिक्षित व्यक्ति न होना, शून्य विस्थापन, प्रभावित गांवों के सभी ग्रामीणों का धर्म हिन्दू बताना आदि। बटाईदार खेतिहर पर होने वाले प्रभाव का कोई जिक्र नहीं है। न ही इसमें वैकल्पिक जमीन की बात की गयी है। परियोजना से सृजित होने वाली नौकरियों की संख्या रिपोर्ट

में स्पष्ट नहीं है। साथ ही भूमि अधिग्रहण के लिए सहमति की वीडियो और जमीन मालिकों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र उपलब्ध नहीं है। यह गौर करने की बात है कि अधिनियम के अनुसार प्रभावित परिवारों का हिस्सा जमीन मालिक, मजदूर व बटाईदार खेतिहर होते हैं, सरकार ने चार गांवों में लगभग 500 एकड़ भूमि अधिग्रहित की है। इसमें से कम से कम 100 एकड़ जमीन संबंधित 40 परिवारों की सहमति के बिना जबरन अधिग्रहण किया गया है। कम्पनी ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से माली गांव के मैनेजर हेम्ब्रम सहित अन्य पांच आदिवासी परिवारों की 15 एकड़ जमीन में लगी फसलों, कई पेड़-पौधों, श्मशान घाटों और तालाब को बर्बाद कर दिया। मोतिया गांव के रामजीवन पासवान की भूमि को जबरन अधिग्रहण करने के दौरान अडानी कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें धमकी दी कि 'जमीन नहीं दी, तो जमीन में गाड़ देंगे।'' पुलिस ने अडानी के अधिकारियों के खिलाफ उनकी शिकायत दर्ज करने से इंकार कर दिया।

जब माली के लोगों ने उनकी सहमति के बिना जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण के खिलाफ गोड्डा के उपायुक्त से शिकायत की तो उन्होंने कार्रवायी करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनकी भूमि अधिग्रहित कर ली गयी है इसलिए उन्हें मुआवजा लेना चाहिए। प्रभावित गांव के लोग दावा करते हैं कि अगर सभी दस गांवों में जमीन अधिग्रहित की जाती है तो 1000 से अधिक परिवार विस्थापित हो जाएंगे। इससे उनके आजीविका और रोजगार पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही आदिवासी परिवारों के लिए जमीन उनकी संस्कृति, परंपरा और अस्तित्व से जुड़ा है, जिसे वे गंवाना नहीं चाहते हैं। यह गौर करने की बात है कि संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम की धारा 20 के अनुसार किसी भी सरकारी या निजी परियोजना (कुछ विशेष परियोजनाओं के अलावा) के लिए कृषि भूमि हस्तांतरित या अधिगृहित नहीं की जा सकती है।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, हर वर्ष प्लांट में 14-18 मिलियन टन कोयले का उपयोग किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आस-पास के वातावरण को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। प्लांट में प्रतिवर्ष 36 एमसीएम पानी की आवश्यकता होगी, जिसे स्थानीय चिर नदी से लिया जाएगा। यह वर्षा आधारित नदी इस जल-अभाव क्षेत्र के लिए जीवनरेखा समान है।

प्लांट से उत्पादित बिजली बांग्ला देश में आपूर्ति की जाएगी। हालांकि अडानी कंपनी को कुल उत्पादन का कम से कम 25 प्रतिशत बिजली झारखंड को उपलब्ध कराना है। लेकिन इसके सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में इस 25 प्रतिशत के स्त्रोत का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। हाल के एक न्यूज रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि झारखंड सरकार ने अडानी कंपनी से उच्च दर पर बिजली खरीदने के लिए 2016 में अपनी उर्जा नीति में बदलाव की थी। इस बदलाव के कारण सरकार से अडानी समूह को अगले 25 वर्षों में सामान्य भुगतान के अलावा 7000 हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त भुगतान भी मिल सकता है।

जांच से यह स्पष्ट है कि इस पूरी परियोजना में अभी तक कई कानूनों का घोर उल्लंघन हुआ है। इस परियोजना से स्पष्ट है कि सरकार लोगों का शोषण व उनके संसाधनों का दोहन करके कॉर्पोरेट घरानों के मुनाफे को प्राथमिकता दे रही है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस परियोजना के भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिकांश दस्तावेज जिला प्रशासन की बेवसाइट पर उपलब्ध नहीं है, जैसा कि अधिनियम अंतर्गत अनिवार्य है। झारखंड जनाधिकार महासभा सभी संगठनों और कार्यकर्ताओं की ओर से निम्न मांग करता है:

(क) अवैध तरीके से लगाई जा रही परियोजना को तुरंत रोका जाए। प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण को तुरंत बंद किया जाए और अवैध तरीके से अधिग्रहित की जा रही जमीन को वापस किया जाए, (ख) चूंकि इस परियोजना में कानूनों का उल्लंघन हुआ है, इस परियोजना का न्यायिक जांच करवाया जाए तथा लोगों के शोषण के लिए अडानी कम्पनी और जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कारवाई की जाए व (ग) सभी प्रभावित परिवारों को अभी तक हुए फसलों और आजीविका के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाए।

2.

माली गांव की लुखुमोयी मुर्मू का जन्म भारत की आजादी के बाद हुआ है। उन्होंने गुलामी नहीं देखी, सिर्फ इसकी कहानियां सुनी है। इसको लेकर उनकी जानकारी सिर्फ इतनी है कि तब अंग्रेजी हुकूमत अपनी बातों को मनवाने के लिए लोगों का दमन करती थी। अब आजाद भारत में वह कथित तौर पर उसी तरह के दमन को महसूस कर रही है। इसकी वजह बना है यहां बन रहा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट।

आठ-आठ सौ मेगावाट के इन प्लांटों के निर्माण के लिए

झारखंड सरकार और अडानी पावर (झारखंड) लिमिटेड ने फरवरी 2016 में एक करार किया था। इसके तहत इससे उत्पादित 1600 मेगावाट बिजली विशेष ट्रांसमिशन लाइन से सीधे बांग्ला देश को भेजी जानी है। इसके लिए अडानी समूह करीब 15000 करोड़ रूपये का निवेश करने वाला है। इसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में बांग्ला देश दौरे में की थी। बाद में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिल्ली दौरे के दौरान इसपर आगे की सहमति बनी। इसके लिए अडानी पावर लिमिटेड और बांग्ला देश पावर लिमिटेड बोर्ड के बीच औपचारिक करार हो चुका है।

लुखुमोयी का दर्द

लुखुमोयी मुर्मू ने बीबीसी से कहा, हमने पावर प्लांट के लिए अपनी जमीन नहीं दी है। फिर जाने कैसे मेरी जमीन का अधिग्रहण हो गया। 31 अगस्त को अडानी कम्पनी के लोग सैकड़ों पुलिसवालों और लठैतों के साथ मेरे गांव आए और मेरे खेत पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। उन लोगों ने मेरी धान की फसल बर्बाद कर दी और बुलडोजर चलाकर सारे पेड़-पौधे उखाड़ दिये। मैंने उनका पैर पकड़ा। फसल नहीं उजाड़ने की मिन्नतें की, लेकिन वे अंग्रेजों की तरह दमन पर उतारू थे। उन लोगों ने हमारी जमीन पर जबरन बाड़ लगा दिया। हमारे पुरखों के श्मशान को तोड़कर समतल कर दिया।

''उन लोगों ने कहा कि अब यह जमीन अडानी कंपनी की है, मेरी नहीं। हमें बताया गया कि इन जमीनों का अधिग्रहण हो चुका है और इसका मुआवजा सरकार के पास जमा करा दिया गया है। आप बताइए कि अब जब हमनें जमीन ही नहीं दी, तो इसका अधिग्रहण कैसे कर लिया गया। हमको अपनी जमीन चाहिए, मुआवजे का रूपया नहीं।''

कौन है लुखुमोयी मुर्मू

माली गांव में आदिवासियों के डेढ़ दर्जन घर है। 100 लोगों की आबादी वाले इस गांव में एक घर लुखुमोयी मुर्मू का भी है। पिछले दिनों जमीन पर कब्जे के वक्त अधिकारियों का पैर पकड़कर रोती उनकी तस्वीरें और फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। वे और उनके गांव के आदिवासी पावर प्लांट के लिए जमीन के अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। इन आदिवासियों की यहां करीब पौने सत्रह बीघा पुश्तैनी जमीन है, जिसपर खेती कर वे अपनी आजीविका चलाते हैं।

कहां-कहां हुआ है अधिग्रहण

अडाणी समूह के प्रस्तावित पावर प्लांट के लिए गोड्डा प्रखंड के मोतिया, गंगटा गोविंदपुर, पटवा और पोड़ैयाहाट के माली, गायघाट और सोनाडीहा गांवों की जमीनें अधिग्रहण की प्रक्रिया में है। सरकार का दावा है कि मोतिया, गंगटा गोविंदपुर, पटवा और माली गांवों के अधिकतर रैयतों ने अपनी जमीनें देकर उसका मुआवजा ले लिया है। जबकि इन गांवों के आदिवासियों का आरोप है कि सरकार ने उनकी जमीनें अवैध तरीके से अधिग्रहित की है। लिहाजा वे इसका मुआवजा नहीं ले सकते। अडाणी समूह ने मोतिया गांव में अपने प्रस्तावित पावर प्लांट का बोर्ड लगाया है। यहां एस्बेस्टस और ईटों से दफ्तरनुमा कुछ शेड बनाए गए हैं। बाहर कुछ सिक्योरिटी गार्ड तैनात है, जो प्रारंभिक पूछताछ के बाद ही हमें इसकी तस्वीरें उतारने की इजाजत देते हैं। इन गांवों में घुमने के दौरान मैंने अडाणी फाउंडेशन द्वारा बनाए गये चबूतरे और कुछ और निर्माण देखे। जो इस बात की मुनादी करते हैं कि अडाणी समूह इन कोशिशों के जरिये स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल करना चाह रहा है।

फिर क्यों विरोध

मोतिया में मेरी मुलाकात रामजीवन पासवान से हुई। वे रिटायर्ड शिक्षक है। उन्होंने अपनी जमीन के जबरन अधिग्रहण और मारपीट के आरोप में अडाणी समूह के कुछ अधिकारियों पर मुकदमा किया है। वे मानते हैं कि अडाणी समूह की झारखंड सरकार से मिलीभगत है। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड की सरकार 'प्रो पीपुल' न होकर 'प्रो अडाणी' हो चुकी है और उसे अवैध तरीके से मदद कर रही है। रामजीवन पासवान ने बीबीसी से कहा- '' सरकार झूठ बोल रही है। गलत तथ्य के आधार पर हमारी जमीनों का अधि ग्रहण कर लिया गया है। जबकि हमने अपनी सहमति का पत्र सौंपा ही नहीं है। वे लोग दलालों (बिचौलिया) की मदद से लोगों को डराकर जमीनें अधिग्रहित करा रहे हैं।'' वे रोते हुए कहते हैं- ''फरवरी महीने में अडाणी समूह के कुछ लोग मेरे खेत पर आए। मुझे मेरी जाति (दुसाध) को लेकर गालियां दी और कहा कि इसी जमीन में काटकर गाड़ देंगे। मेरी जिंदगी में पहले किसी ने ऐसी गाली नहीं दी थी। मैं इस घटना को भूल नहीं पाता हूं। मेरे घर में ईट-पत्थर से हमला कराया गया और अब पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।''

मरा बताकर जमीन ले ली

इसी गांव के गणेश पंडित का अलग दर्द है। सरकार द्वारा जमीन के अधिग्रहण के लिए बनाई गई रैयतों की सूची में उन्हें मृत बताकर उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई। उन्होंने बीबीसी से कहा, ''मुझे कम्पनी अडाणी के लोगों ने मार दिया। तीन बेटा है, दो का ही नाम दिखाया और मेरी जमीन को मेरी सहमति के बगैर अधिग्रहित कर लिया। मैंने मुआवजा का पैसा नहीं लिया है। इसके बावजूद मेरी जमीन पर बाड़ लगाकर घेराबंदी कर दी गई है।'' गंगटा गोविंदपुर गांव के सूर्यनारायण हेम्ब्रम की भी ऐसी ही शिकायत है। उन्होंने बताया कि जुलाई में धान का बिचड़ा लागते वक्त अडानी कम्पनी के कथित मैनेजरों ने उन्हें अपना खेत जोतने से रोक दिया। उन्होंने मुआवजा नहीं लिया है, क्योंकि वे पावर प्लांट के लिए अपनी जमीन देना नहीं चाहते हैं। सरकार ने उनकी जमीन का जबरदस्ती अधिग्रहण कर लिया है। सूर्यनारायण हेंब्रम (गंगटा), राकेश हेंब्रम, श्रवण हेंब्रम, मैनेजर हेंब्रम, अनिल हेंब्रम, बबलू हेंब्रम, चंदन हेंब्रम, मुंशी हेंब्रम, पंकज हेंब्रम (सभी माली गांव के) और रामजीवन पासवान व चिंतामणि साह (मोतिया) ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2017 में जनसुनवाई के वक्त अडाणी समूह के अधिकारियों ने कथित तौर पर फर्जी रैयतों को खड़ा कर खानापूरी कर ली। गांधीवादी एक्टिविस्ट चिंतामणि साह ने कहा- ''इसमें प्रवेश के लिए कभी पीला कार्ड तो कभी सफेद गमछा जारी किया गया। जनसुनवाई के दौरान ऐसे ही लोग अंदर ले जाए गए। जिनके पास ये पहचान थी। असली रैयत अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लिए रह गए लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। बाद में उसी कथित जनसुनवाई और मुंबई के एक कम्पनी द्वारा कथित तौर पर किये गये सोशल इंपैक्ट सर्वे के आधार पर जमीनें अधिग्रहित कर ली गई।''

सरकार का पक्ष

गोड्डा के अपर समाहर्ता (एसी) अनिल तिर्की ने मीडिया को बताया कि सरकार ने अडाणी पावर (झारखंड) लिमिटेड के गोड्डा प्लांट के लिए 517 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। अडणी समूह को 900 एकड़ से कुछ अधिक जमीन चाहिए। इसके लिए पोड़ैयाहाट प्रखंड के सोनडीहा और गायघाट गांवों की करीब 398 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई थी। तय समयसीमा में अडाणी समूह उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका, लिहाजा उस जमीन के अधिग्रहण के लिए उन्हें पूरी प्रक्रिया फिर से दोहरानी होगी। जमीनों के जबरन अधिग्रहण और आदिवासियों और दूसरे ग्रामीणों के अन्य आरोपों के संबंध में पूछे गए सवालों पर उन्होंने यह कहकर जवाब नहीं दिया कि वह इसके लिए अधिकृत नहीं है। वहीं, गोड्डा की डीसी कंचन कुमार पासी ने मीडिया के समक्ष दावा किया कि जमीनों के अधिग्रहण में भूमि अधिग्रहण कानूनों का पालन किया जा रहा है।

अडाणी समूह के एक अधिकारी से मेरी मुलाकात गोड्डा में हुई, तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हालांकि अडाणी समूह के रांची स्थित हेड (कॉर्पोरेट अफेयर्स) अमृतांशु प्रसाद ने एक मीडिया बयान में कहा कि गोड्डा में पावर प्लांट का विरोध करने वाले लोग विकास विरोधी है। उन्हें नहीं पता कि उस प्लांट के खुल जाने से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी कुछ महीने पहले कहा था कि अडाणी समूह के पावर प्लांट से रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे। बहरहाल, विवादों में चल रहे अडाणी समूह को अपने पावर प्लांट के लिए बाकी की जमीनों के अधिग्रहण में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

3.

झारखंड सरकार पर गरीब आदिवासियों की जमीन बलपूर्वक उद्योगपति अडानी के हवाले करने का आरोप है। आरोप के मुताबिक झारखंड की सरकार ने नियमों की अनदेखी करते हुए गोड्डा जिले के माली (आदिवासी गांव) और उसके आस-पास के गांवों की खेती योग्य भूमि अडानी समूह की एक कम्पनी को दे डाली। इस दौरान संशोधित भूमि अधि ग्रहण कानून का बड़े स्तर पर उल्लंघन किया गया। 2016 से शुरू हुआ यह मामला आज की तारीख में ज्वलंत हो चुका है। इस केस को लेकर मई 2016 में प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा आदिवासियों से संबंधित कानून में संशोधन भी सवाल के घेरे में है। क्योंकि अडानी ग्रुप ने जिन जमीनों का अधि ग्रहण किया है, वे सभी आदिवासी बहुल गांवों की है। गांव वाले आज भी अपनी खोई हुई खेतिहर जमीन को पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडियास्पेंड समेत तमाम मिडिया रिपोर्ट्स में प्रशासनिक मिलीभगत के जरिये ग्रामीणों की जमीन हथियाने की बात कही गयी है।

बिजनेस स्टैंडर्ड ने इंडियास्पेंड के हवाले से गांवों के किसानों की पूरी दास्तान अपनी रिपोर्ट में बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक माली गांव के किसानों का कहना है कि पुलिस बल

के साथ कम्पनी के लोग अपने साजो-सामान के साथ गांव में दाखिल हुए और खेतों पर कब्जा जमा लिया। इस दौरान उनके विरोध को पुलिस ने बल-पूर्वक दबा डाला। संथाल आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले किसानों ने बताया कि अधिग्रहण के वक्त गांव में एक आदमी पर तकरीबन 10-10 पुलिस बल तैनात किये गये थे। इस दौरान फर्जी तरीके से उनकी सहमति के बगैर खेतों पर कब्जा जमाया गया। जब गांव में कम्पनी के कर्मचारी कंटीले तारों से अधि ग्रहित जमीन को घेर रहे थे, तब उन्होंने जिला के एसपी और जिला अधिकारी से भी संपर्क किया। लेकिन इस दौरान एसपी ने स्थानीय थाना से संपर्क करने के लिए कहा। (जबकि स्थानीय पुलिस जमीन खाली कराने में पहले से ही जुटी हुई थी) वहीं जिला अधिकारी ने कहा कि जमीन के बदले आर्थिक मुआवजा जिला कार्यालय में रखा हुआ है और प्रभावित किसान वहां से अपना हिस्सा ले सकते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक जमीन अधिग्रहण के दौरान ग्रामीण औरतों ने रोते हुए कम्पनी के अधिकारियों के पैर तक पकड़ लिये। लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गयी और पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक हटा दिया। इस दौरान एक शख्स ने पूरा वाकया अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड भी कर लिया। लेकिन पुलिस ने सारे फुटेज मोबाइल से डिलीट करा दिये।

गांव वालों का आरोप है कि उनके दर्द को कोई नहीं महसूस कर रहा है। कम्पनी के कर्मचारियों ने उनकी खड़ी फसलें तबाह कर दी। जबकि, उन्होंने कई महीनों तक दिन-रात मेहनत करके उसे सींचा और बोया था। फसल उजड़ जाने से वह दाने-दाने को मोहताज है। 31 अगस्त 2018 को जमीन को लेकर हिंसक विरोध-प्रदर्शन भी हो चुके हैं। गांव वालों का कहना है कि वे अपनी आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि यहां पैसे की बात नहीं है, बल्कि जमीन की है और जमीन ही उनके लिए सब कुछ है।

मामले का इतिहास

अडानी समूह के साथ माली और इससे जुड़े प्रभावित गांवों की लड़ाई 2016 से शुरू होती है। राजधानी रांची से करीब 380 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में अडानी समूह की 'अडानी पावर (झारखंड) लिमिटेड' ने करीब 2000 एकड़ जमीन पर कोल फायर प्लांट लगाने का फैसला किया। भारत के धाकड़ उद्योगपतियों में शुमार गौतम अडानी की कम्पनी ने इस बाबत जमीन की मांग झारखंड सरकार के सामने रखी। अडानी इस जगह पर आस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से आयात किये हुये कोयले से 1,600 मेगावाट का विद्युत प्लांट लगाने का मसौदा प्रदेश सरकार को भेजा, जिसे हरी झंडी दे दी गयी। अडानी की कम्पनी का लक्ष्य इस प्लांट से 2022 तक विद्युत का उत्पादन शुरू कर देना है। यहां से पैदा हुई सारी बिजली बांग्लादेश को बेची जाएगी। गौरतलब है कि अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के दौरान बिजली बेचने का मसौदा तैयार हुआ था। इस दौरान पीएम मोदी के साथ बांग्लादेश गये उद्योगपतियों में अडानी भी शामिल थे।

जमीन अधिग्रहण में नियमों की अनदेखी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आदिवासी बहुल माली समेत मोतिया, नयाबाद और गंगटा गांव की जमीनों का अधि ग्रहण नियमों को ताक पर रखकर किया गया है। सितम्बर 2013 में संसद के पास नये जमीन अधिग्रहण कानून 'राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपैरेंसी इन लैंड एक्यूजिशन रिहैब्लिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट (एलएआरआर)' का यहां पूरा उल्लंघन किया गया। दरअसल, नंदीग्राम, कलिंगनगर समेत देश के तमाम हिस्सों में अधिग्रहण के दौरान हुए खूनी विद्रोह को देखते हुए पुराने ब्रिटिश काल से चले आ रहे विवादित कानून 'भूमि अधिग्रहण कानून, 1894' को खत्म कर दिया गया था। संशोधित हुए कानून में गांव की बहुसंख्यक आबादी की रजामंदी सुनिश्चित की गयी। लेकिन आरोपों के मुताबिक अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया ही गलत तरीके से हुई। जो किसान जमीन अधिग्रहण के खिलाफ थे, उन्हें संज्ञान में ही नहीं रखा गया, जबकि इक्का-दुक्का लोगों की रजामंदी को दिखाकर पूरी प्रक्रिया को वैध ठहराने की कोशिश की गई। इंडियास्पेंड का कहना है कि उसने इस संदर्भ में जिला अधिकारी किरण पासी से जब सवाल पूछे तो उन्होंने लिखकर भेजने की बात कही। मगर उन्होंने एक भी पड़ताल भरे सवालों के जवाब नहीं दिया। जमीन गंवाने वाले आदिवासी और दलित किसानों समेत प्रभावित ग्राम सभाओं ने बकायदा सभी सरकारी विभाग को चिट्ठी लिखी। यहां तक कि राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू से भी पत्र लिखकर गुहार लगाई। लेकिन किसी ने भी उनकी समस्याओं पर गौर नहीं फरमाया। जबकि राज्य के पास आदिवासी समुदाय से जुड़े मामलों में दखल देने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

अडानी का बिजनेस और सरकार की भूमिका

जब भूमि अधिग्रहण का नया कानून (एलएआरआर) बना था, तब तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा था कि कॉरपोरेट सेक्टर को जमीन चाहिए, तो सीधे किसान के पास जाएं और खरीद लें। लेकिन, इंडियास्पेंड के हवाले से बताया गया है कि गोड्डा में अडानी के पावर प्लांट को लगाने में राज्य सरकार की भूमिका काफी अहम रही है। 6 मई 2016 और अगस्त 2016 को अडानी ग्रुप ने झारखंड सरकार को चिट्ठी लिखी। इसे गोड्डा जिले के दस गांवों से 2,000 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने की मांग की गयी। (मई 2016 में ही झारखंड सरकार ने आदिवासी कानून में संशोध न किया था। जिसके मुताबिक आम जन के हितों को देखते हुए कामर्शियल इस्तेमाल के लिए आदिवासियों की जमीन खरीदी जा सकती है।) जिसके बाद मार्च 2017 में राज्य सरकार ने छः गावों से 917 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की बात कही। जिसमें संथाल आदिवासी बहुत माली, मोटिया, गंगटा, पटवा, सोनडीहा और गायघाट गांव शामिल है। प्रशासन ने तब तक चार गांवों से 519 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर लिया। लेकिन, अधिग्रहण का नोटिस अगस्त 2018 में लैप्स कर गया, क्योंकि इस दौरान दो गांवों से अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हो पाया। अपनी रिपोर्ट में इंडियास्पेंड ने अडानी समूह के इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य पर भी सवाल खड़े किये हैं। बताया गया है कि इस प्लांट से पैदा होने वाली सारी बिजली अडानी समूह बांग्लादेश को बेच देगी।

4.

आपको याद होगा कि 31 अगस्त 2018 को अर्थमूविंग उपकरण के साथ अडाणी के लोग गोड्डा के एक संथाल गांव माली पहुंचे थे और एक खेत के मूल्यवान ताड़ के पेड़ों को उखाड़ना और धान के खेत को रौंदना शुरू कर दिया था। खेतों में धान कुछ दिन पहले ही लगाए गये थे, संथाली किसान अनिल हेम्ब्रम बताते हैं, ''हमने अडाणी के लोगों से रूक जाने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी जमीन अब उनकी है। सरकार ने उन्हें हमारी जमीन दे दी है। ग्रामीणों ने गोड्डा के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) से मदद मांगने के लिए तत्काल फोन कॉल किये। एसपी ने हमें बताया कि स्थानीय थाना (पुलिस स्टेशन) पर जाएं और शिकायत दर्ज कराएं। ग्रामीणों ने उनसे कहा, हम थाने में शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, जब वहां की पुलिस अडाणी के साथ यहां है। डीसी का कहना था, आपका पैसा (जमीन के लिए मुआवजा) सरकारी कार्यालय में पड़ा है, जाओ इसे ले लो।''

इस बीच अडाणी के लोग, खेत और तालाब में बाड़ लगाने के लिए कॉन्सर्टिना तार लगाते रहे। संताली समाज में मरे हुओं को अपनी ही भूमि में दफन करने की प्रथा है। अर्थमूवर ने कबीले के उन जमीनों को खोद दिया, जहां संतालों के परिजन दफन थे। इस विनाश लीला को देखकर कई महिला किसान अडाणी के लोगों के चरणों में गिर गयी और उनकी जमीन छोड़ देने के लिए उनसे अनुरोध किया, वे रो रही थी, कह रही थी कि जमीन बिना वे जीवित नहीं रह सकती। कई लोगों ने उन दृश्यों को अपने सेलफोन पर फिल्माया और कहानी गोड्डा स्थित हिन्दी न्यूज आउटलेट द्वारा चलाई गयी, लेकिन भारत के बड़े मीडिया संस्थानों की ओर से इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। महिलाओं के विरोध से नाराज अडाणी टीम और पुलिस ने उस दिन अंततः भूमि अधिग्रहण के प्रयास को बंद कर दिया।

अडाणी समूह के खिलाफ ग्रमीणों की लड़ाई वर्ष 2016 में शुरू हुई, जब राज्य कि राजधानी रांची से 380 किमी पूरब गोड्डा से सटे माली और इसके आसपास के नौ अन्य गांवों में विवाद शुरू हुआ था। यही वह समय था, जब अडाणी समूह की सहायक कंपनी अडाणी पावर (झारखंड) लिमिटेड नें झारखंड में बीजेपी सरकार से कहा कि वह इन गांवों में 2,000 एकड़ भूमि (निजी खेत और आम जमीन) पर कोयले से चलने वाले प्लांट का निर्माण करना चाहता है। अडाणी समूह का नेतृत्व भारत के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली पूंजीपतियों में से एक, गौतम अडाणी कर रहे हैं। गोड्डा में प्रस्तावित 1,600 मेगावाट (मेगावाट) प्लांट के आस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से कोयला आयात होगा। संयंत्र के पूरा होने पर (पूरा होने का वर्ष 2022 है) बांग्लादेश को हाई वोल्टेज तारों के माध्यम से बिजली बेचा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की यात्रा के बाद प्लांट के लिए प्रस्ताव अगस्त 2015 में आया था। मोदी के साथ जाने वाले उद्योगपतियों में से एक अडाणी थे और एजेंडे में पावर ट्रांसमिशन शामिल था।

लेकिन माली, मोतिया, नयाबाद और गंगटा के गांवों के किसानों का अनुभव है कि प्लांट के लिए भूमि का जबरन अधिग्रहण हो रहा है -भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम (एलएआरआर अधिनियम) में उचित मुआवजे

और पारदर्शिता के अधिकार हैं, जिससे किसानों को निवार्सित किया जा रहा है, एलएआरआर अधिनियम पर भारत के ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने तर्क दिया था कि राज्य को कानून द्वारा दिये गये प्रतिष्ठित डोमेन की शक्ति का शायद ही कभी आह्वान करना चाहिए और इसके बजाय, बाजार तंत्र का चयन करना चाहिए। यह सिद्धांत विशेष रूप से निजी निगमों के लिए भूमि अधिग्रहण पर लागू होता है। उस समय उद्योग को संबोधित करते हुए रमेश ने कहा था, ''आप जमीन चाहते हैं? जाइए जाकर खरीद लीजिए।''

इंडियास्पेंड द्वारा समीक्षा किये गये दस्तावेजों के अनुसार, हालांकि गोड्डा में अपने प्रस्तावित बिजली प्लांट के लिए अडाणी समूह ने 6 मई, 2016 और 2 अगस्त 2016 को झारखंड राज्य को लिखा था, जिसमें जिले के दस गांवों में 2,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के लिए कहा गया था। मार्च 2017 में सरकार ने कहा कि वह छह गांवों में 917 एकड़ जमीन अधिकृत करेगा। मोतिया, गंगटा, पटवा, माली, सोनडीहा और गायघाट। पहले चार गांवों में प्रशासन ने अभी तक 519 एकड़ निजी भूमि अधिग्रहण की है। प्लांट के लिए अगस्त 2018 में शेष दो गांवों में अधिग्रहण नोटिस समाप्त हो गया। गोड्डा की चीर नदी को जल स्त्रोत के रूप में उद्धृत करते हुए कंपनी ने अगस्त 2017 में प्लांट के लिए पर्यावरण मंजूरी हासिल की। अब यह कहता है कि वह पास के साहिबगंज जिले में गंगा से पानी खींचना चाहता है और पानी के परिवहन के लिए 92 किलोमीटर की पाइप लाइन के लिए 460 एकड़ जमीन का अधिकार चाहता है। कम्पनी कोयला परिवहन के लिए रेलवे लाइन के लिए 75 एकड़ भी चाहता है। अगर सरकार ने अडाणी समूह के अनुरोध को नहीं माना होता, तो कम्पनी को जमीन खरीदने के लिए किसानों से संपर्क करना पड़ता था और मुर्मू, हेंब्रम और ऐसे ग्रामीण तय करते कि अपनी जमीन बेचनी है या नहीं। लेकिन 24 मार्च 2017 को एक 11 पेज के नोट में जिसका खुलासा झारखंड सरकार ने नहीं किया है, गोड्डा डीसी ने प्रस्तावित बिजली प्लांट को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए घोषित किया जिसका अर्थ है कि सरकार किसानों की जमीन का अधिग्रहण अडाणी समूह के लिए करेगी।

एलएआरआर अधिनियम के तहत, भले ही सरकार एक निजी परियोजना को ''सार्वजनिक उद्देश्य के रूप में घोषित करें, फिर भी इसे कम से कम 80 फीसदी भूमि धारकों की ''सहमति'' चाहिए। 7 मार्च और 8 मार्च, 2017 को जिला अधिकारियों ने नौ गांवों में एक के बाद एक नौ सहमति बैठकें निधारित की, जहां भूमि अधिग्रहण की जानी थी। प्रशासन के अनुसार इन बैठकों में और 15 दिनों की ''अनुग्रह अवधि'' के दौरान 84 फीसदी भूमि मालिक अपनी जमीन सरकार को देने के लिए सहमत हुए। इस तरह सरकार ने सहमति प्रक्रिया एक पखवाड़े के भीतर समाप्त कर दी। अगले दिन 23 मार्च, 2017 को गोड्डा के सरकारी वकील ने जिला प्रशासन को कानूनी राय प्रदान की। चूंकि 80 फीसदी से अधिक भूमि मालिकों ने सहमति दी थी, इसलिए संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम (एक कानून जो आदिवासियों की रक्षा करता है) का ''प्रभाव खत्म हो गया है'' और ''क्षेत्र एसपीटी अधिनियम के तहत आने के बावजूद भूमि अधि ग्रहित की जा सकती है।'' 24 मार्च 2017 को गोड्डा प्रशासन ने 11 पेज का नोट जारी किया कि सरकार अडाणी के लिए 917 एकड़ भूमि अधिग्रहित करेगी। 24 मार्च और 25 मार्च 2017 को उसने अधिग्रहण के लिए एलएआरआर नोटिफिकेशन जारी किया। 1949 में संताल परगना टेनेन्सी अधिनियम (एसपीटी) का उद्देश्य तत्कालीन संताल परगना जिले में कई तरह के प्रतिबंध लगाकर आदिवासियों की जमीन पर हो रहे कब्जे को रोकना है। संताल परगना जिला अब गोड्डा समेत छः जिलों में बंटा हुआ है। जमीन संबंधित मामलों के विशेषज्ञ और रांची के वकील लक्ष्मी कात्यायन बताते हैं, ''सरकार की ओर से किसी कम्पनी को हस्तांतरित करने का कोई प्रावधान एसपीटी एक्ट में नहीं है। गोड्डा के सरकारी अधिवक्ता का यह कहना गलत होगा कि इस अधिनियम का प्रभाव खत्म हो गया है। ऐसा कहना एक कानूनी झूठ था, जो अडाणी को फायदा पहुंचाने के लिए कहा जा रहा था। एसपीटी अधिनियम के तहत गांव की आम संम्पत्ति (गैरमजरूआ) भूमि जैसे कि गांव में गोचर भूमि पर गांव के प्रधान को हक दिया गया है न कि सरकार को। लेकिन ऐसी आम भूमि भी प्रशासन द्वारा ली गई है और 30 साल के पट्टे पर अडाणी समूह को दिया जा रहा है, जबकि किसानों की भूमि कम्पनी के नाम पर स्थानांतरित किये जा रहे है।''

कहानियां

1.
धूमिल यादें

रोमा दीदी बिना लाठी की नहीं चल सकती, क्योंकि उनके घुटनों में दर्द है। अब तो कुछ दूर चलने पर ही वह थक जाती है। लाठी उनका सहारा है। इसके अलावा आंखों की रौशनी भी तो मद्धिम है। शाम आते ही उन्हें आंखों से कम नजर आने लगता है, कई बार तो अपनी सीट का ठीक-ठीक भान भी नहीं हो पाता। तेज धूप में भी परेशानी होती है। यहां लोग अपनी कमजोरियों को भी दूर भगा लेते हैं, पर अब उम्र के इस ढलान पर ऐसा संभव है क्या? शायद नहीं। दीदी खुद को यही जवाब देती है और सर्द हवाओं की आवाज सुन और ढंडक महसूस कर तुरंत अपने कानों को स्कार्फ से बांध लेती है, कानों में हवा घुसने से भी उन्हें दिक्कत जो है। कम सुनने के कारण उनसे बात करने वालों को थोड़ा तेज बोलना पड़ता है और यदि कभी कुछ बोले जाने के बाद वह कुछ और सुन लेती है, तो सब मिलकर हँस भी लेते हैं। वह भी हंसती है और कभी-कभी हंसते-हंसते उन दिनों को याद भी करने लगती है, जब वह ऐसी नहीं थी। हां, आज का खाना खाकर जब वह अपनी सीट पर बैठी, तो उनके आंखों के सामने पुरानी तस्वीर उभर रही थी।

अपने गरीब घर की अकेली बेटी थी वह और परिवार में सबसे बड़ी भी। काका के देहांत के बाद जब घर में कोई कमाने वाला नहीं था, गांव की उन लड़कियों के साथ वह भी रेजा का काम करने शहर गई थी और वहीं से आगे बढ़ते हुए वह कोयले के खदान भी गई थी। जहां से जिंदगी का सबसे अहम पहलू शुरू हुआ था। रोमा दी शुरू से ही बेवाक बोलने वाली रही थी। उनके इस बेवाकपन के कारण उसके कुछ पड़ोसी चिढ़ते थे और इसी बेवाकपन के कारण कोई परिवार की ओर बुरी नजर से ताकता भी नहीं था। जाहिर सी बात थी कि उनका बेवाकपन परिवार के लिए मजबूती थी, तो गांव के बूरे तत्वों के लिए खतरा। इस खदान में वे सारी लड़कियां और बाकी सारे मजदूर छः महीने काम करते रहे, मगर छः महीने काम करने के बाद भी उन्हें एक महीने की भी मजदूरी अब तक नहीं मिली थी। एक दिन रोमा दीदी ने सब मजदूरों को एकजुट की और अपने मेहनताने के लिए आवाज उठाने की बात की। मालिक से मजदूरी मांगने पर भी जब कोई फायदा नहीं हुआ, तो रोमा दीदी ने सबको एकजुट कर आंदोलन का रूप दे दिया। सभी मजदूरों ने काम बंद कर दिया और धरने पर बैठ गई। उनपर लाठियां भी बरसी, कई भागे, कई जमे रहे। रोमा दीदी ने सबसे पहले लाठी चलाने वाले कांस्टेबल की लाठी छीनकर उसे ही एक डंडा दे मारी थी। फिर क्या था? इस का अनुसरण सबने किया। सबने पुलिस वालों के छक्के छुड़ा दिये। उनकी लाठी छीनकर उन्हें ही पीटा। इस तरह बहुत गहमा-गहमी के माहौल से रोमा दीदी वाकिफ हुई। यहां से शुरू हुआ रोमा दीदी का आंदोलनात्मक सफर और आगे तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को ही आंदोलन, हड़ताल, भाषण, रैली आदि में कुर्बान कर दिया।

आज वह साठ की हो चुकी हैं। तीस वर्षो के लम्बे संघर्ष के बाद भी मन से न थकने वाली रोमा दीदी अपने कानों को स्कार्फ से बांधती हुई गांव से आई कामरेडों से बात करने के लिए तैयार हो रही हैं। कल उन्हें उन कामरेडों से बातें करनी थी, इसलिए आज वह कुछ किताबों पर नजर डाल रही थी, जिसमें आंकड़े अंकित थे। सूरज ढल चुका था। अंधकार ने डेरा डाल लिया था। सर्द हवांऐ सन्न-सन्न की आवाज के साथ बह रही थी। बहुत से कामरेड पतली हल्की चादर ओढ़कर लेटे हुए थे, तो कुछ कम्बल में घुसकर अपने टॉर्च की रौशनी से कुछ पढ़ रहे थे। रोमा दीदी भी कम्बल के अंदर टॉर्च जलाकर किताबों पर नजर डालना चाह रही थी, पर आंखों में हल्की जलन से पढ़ नहीं पा रही थी। जब आगे और नहीं पढ़ा जा सका, रोमा दीदी ने टॉर्च बंद कर किताब रख दी और कंबल में सर घुसाकर अपनी आंखों की हुई कमजोर रौशनी के बारे में सोचने लगी। वह आज से दस साल पहले के समय को देख रही थी। अपनी यादों को ताजा कर रही थी। इतिहास के पन्ने पलट कर पीछे की ओर चली गयी थी, जहां जेल है, कैदी है, जेलर है....और रिमांड गृह.....

''कैदी नंबर 203''

''क्या नाम है!''

''रोमा''

''जुर्म क्या है!.... अच्छा नक्सली.....!''

''....ठीक है रिमांड पर लिया जाय!''

अंधेरे कमरे के अंदर हल्की-सी रौशनी जल रही थी। रोमा दीदी सामने दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। सामने दो हट्टे-कट्टे पुरूष पुलिस वाले कुर्सी पर बैठे थे, उनके बगल में एक लेडी पुलिस भी बैठी थी। एक पुलिस वाला हाथ में एक मोटा डंडा लिये रोमा दीदी के सामने खड़ा था।

''आप पार्टी के बारे में क्या जानते हो?'' -उसने पूछा।

रोमा दीदी ने मुंह फेर ली।

''देखिए आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप महिला हैं, मुझे पीटना अच्छा नहीं लगेगा। बताइए! क्या जानते हैं?.. ...''

''....मैं जो जानती थी बता चुकी हूं। उससे आगे मैं कुछ नहीं जानती।'' -रोमा दीदी ने कहा।

''...आपने अब तक सिर्फ अपना नाम बताया है और कुछ नहीं.....!''-पुलिस वाले ने चीखते हुए कहा। रोमा दीदी ने फिर मुंह फेर लिया। उसने लाठी उठाई और उनके घुटनों पर दे मारा। वह झुकी, तो उनके कंधे पर दे मारा। रोमा दीदी जो अब तक इस खतरनाक पल के बारे में सोच रही थी, समझ गई कि वह आ गया है। हां, वह रिमांड पर है और उन्हें अब अपने आप को फौलाद की तरह बना लेना होगा। उनके मुंह से कुछ नहीं निकली, सिवाय चीख के। उन्होंने मुठ्ठी बांध लिया।

''ये ऐसे नहीं मानेंगी.....'' -पुलिसवाले ने डंडा हवा में नचाया और रोमा दीदी पर अंधाधुंध बरसाने लगा। वह असहनीय दर्द से कराह उठी। पर बेरहम ऑफिसरों ने कोई रियायत न बरती और जमीन पर गिरी पड़ी रोमा दीदी के तलवे पर, पैरों पर, पीठ पर मोटे लाठी से ठहर-ठहर कर ताकि दर्द का अहसास ज्यादा हो, असहनीय वार करता रहा।

जब वह बेहोशी की हालत में आ गई, तो उन्हें घसीटकर उनके कमरे में पहुंचा दिया गया। रिमांड के अब सात दिन पूरे हो गये थे। पैर के तलवे फूलकर फोड़े बन गये थे, जमीन पर पांव रखना मतलब जलते आग में चलने के बराबर था। पर अगला दिन फिर रिमांड पर ले जाने के लिए उन्हें उन्हीं चोटिल तलवों पर घसीटकर ले जाया गया। इस बार उन्हें कुर्सी पर बैठाया गया। क्या कुछ राहत है, उनके मन में एक विचार पनपा। नहीं, इन लोगों से, इन दरिंदों से रहम की उम्मीद ठीक नहीं। रोमा दीदी की कुर्सी के बगल में एक ऑफिसर बैठ गया। वह नया था, उसके चेहरे पर वह क्रूरता तो नहीं झलक रही थी, पर शातिरता जरूर टपक रही थी।

''....बताइये आप क्या जानते हैं?'' -उसने पूछा। रोमा दीदी कुछ न बोली। उस ऑफिसर ने तेज लाइट उनके चेहरे की ओर घुमाया, तीखी रौशनी से उनकी आंखें चौंधिया गई। लाइट तीखा था, पर उससे भी तीखा था उसका फोकस, जो सीधे आंखों पर पड़ रहा था और आंखों में सिकुड़न पैदा कर रहा था। पुलिस वाले ने मुट्ठी बांधी और फिर वही सवाल किया। पर, रोमा दीदी के कुछ न कहने पर आंखों के बगल में सर के दोनों हिस्सों पर मुक्का से जोर से मारा। एक पल को लगा कि पूरा दिमाग हिल गया हो। रोमा दी ने खुद को संभाला, नहीं कुछ भी हो, उन्हें कमजोर नहीं पड़ना है। वह बार-बार सवाल पूछ रहा था और गुस्से से मुक्का उनके माथे पर मार रहा था। रोमा दीदी के लिए यह निरंतरता असहनीय होती जा रही थी। उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे और मन में उन बेशर्मो के लिए नफरत फैल रहा था। पर अपनी पार्टी के खिलाफ एक शब्द न निकले। पूरा रिमांड उनके उपर सवालों की झड़ी लगाई गई।

''नाम....? पार्टी में कब से हैं...? किस-किस से संबंध है. .....? फलाना से कैसा संबंध है.....? इस बार के नक्सली हमले में आप भी शरीक थी....? कौन-कौन था.....? मास्टर माइंड कौन थे....?''

''दीदी कभी हां कभी ना और अक्सर मुझे नहीं मालूम कह रही थी। सवालों के इन जवाबों से वे तिलमिला रहे थे और अपने डंडे कभी उनके फूले हुए तलवे पर चला रहे थे तो, कभी अपना मुक्का उनके सर पर, कभी कान पर थप्पड़ लगा रहे थे, कभी बाल पकड़कर झकझोड़ रहे थे और उसके बाद भी जब वे रोमा दीदी के विश्वास को तोड़ नहीं पाए तो, हारकर गालियों की बौछार लगा रहे थे। आज इस सिलसिले का आठवां दिन था। रिमांड के लिए उन्हें सात दिन रखने थे, पर वह अवधि बढ़कर अब दस दिन हो गयी थी।

''आप यदि हमें सच-सच बता दीजिएगा, तो आपको तुरंत रिहा कर दिया जाएगा और आपके लिए घर-बंगले का भी बंदोबस्त कर दी जाएगी। यहां आपको क्या मिल रहा है। रोज-रोज क्या यह अच्छा लगता है। हमारी मां-बहनों जैसी हैं आप, आपपर हाथ उठाना हमें अच्छा नहीं लगता। आखिर किस कारण आप चुप हो? .....आप यहां इस हालत में हो और बाहर आपकी सुध लेने वाला कोई नहीं। पार्टी आपके लिए कुछ नहीं करेगी, आप सड़ जाएंगी यहीं कालकोठरी में, इससे अच्छा....।'' - वह ऑफिसर जो नया था, बोल रहा था। रोमा दीदी समझ रही थी कि ये सारी बातें उन्हें तोड़ने के लिए कही जा रही थी। पार्टी के बारे में ऐसी बातें सुनकर

उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था।

ऑफिसर के अंतिम शब्द के खत्म होते ही उन्होंने पूरे गुस्से में कहा- ''....हाथ उठाना अच्छा नहीं लगता तो इतना मारते हो, बेरहमों की तरह मारकर कहते हो मारकर अच्छा नहीं लगता,.. मां बहन जैसी हैं आप, यही सलूक करते हो अपनी मां-बहन के साथ..।''

''माफ कीजिएगा। नहीं! नहीं!... ऐसा नहीं होना चाहिए था, दीपू'' -उस ऑफिसर ने कांस्टेबल को आवाज लगाई और कुछ इशारा किया। वह दवा लेकर आया- ''यह लीजिए, इसे लगा लीजिए..'' -उसने दवा बढ़ाते हुए कहा।

''नहीं चाहिए मुझे ये दवा! पहले घाव देते हो, फिर मरहम लगाते हो! डॉक्टर की जरूरत होती है, तो डॉक्टर को नहीं दिखाते। ड्रामा करते हो।...'' -रोमा दीदी पूरी हिम्मत और निर्भिकता के साथ बोली। उनकी आवाज में एक मजबूती थी, एक गुस्सा था और घृणा थी, जिससे रिमांड पर लेने वाले ऑफिसर घबड़ा रहे थे।

''ये कुछ नहीं बोलेगी।'' -एक बुदबुदाया।

''कोशिश करो!'' -दूसरा बुदबुदाया।

रोमा दीदी का सर चकरा रहा था, कानों में तेज दर्द हो रहा था, आंखों में जलन हो रही थी और पैर दर्द से फट रहे थे। मगर इन सारे दर्द की छोटी-सी झलक भी वह अपनी आवाज में नहीं आने दे रही थी। वह जान रही थी कि वह अपनी सूचनाएं जितनी गुप्त रखेंगी, वे उन्हें जानने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे, वे बरगलाने की कोशिश करेंगे, वे डराने की कोशिश करेंगे, वे हमदर्दी की भी कोशिश करेंगे। उन सब समय बस उन्हें अडिग रहना है अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी जुबान पर ताले जड़कर। कुछ भी हो जाए, वह पार्टी की एक भी सूचना इन दुश्मनों के साथ साझा नहीं करेगी... ..'' -उन्होंने निर्णय ले लिया था और उसके लिए हर तरह के टार्चर को वे बर्दाश्त करती जा रही थी। यह एक पक्ष था। दूसरा पक्ष जो था रोमा दीदी को वह सकारात्मक लग रहा था, पार्टी की गोपनीयता शुरू से अंत तक बनाए रखने पर, कुछ न कहने पर उन्हें विश्वास हो जाएगा कि किसी भी कीमत पर वह सूचना नहीं देगी, ऐसे उनके लिए जो फैसले होंगे, वह जल्दी ही निर्णायक होंगे, यह अच्छा होगा, कब तक असफल टार्चर किया जाएगा। मैं तो न हारूंगी, ये जरूर हार जाएंगे... '' -अपनी जीत और उनकी हार पर रोमा दीदी खुश थी। भले ही दर्द से जान जा रही थी, पर वह संतुष्ट थी।

दस दिनों तक लगातार रिमांड पर लेने के बाद व सारे तरीके अपना लेने के बाद भी जब रोमा दीदी नहीं टूटी तो उनके रिमांड की अवधि समाप्त कर दी गई और जेल भेज दिया गया। जैसे-जैसे दिन बीतता रहा, उनके घाव भरते गए और दर्द जाता रहा। घाव मिलते समय कभी भी इस समय की कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि एक दिन ये घाव भरेंगे, उनके पैरों का सूजन कम होगा, उनके तलवे के फोड़े नर्म होंगे.. पर समय का इंतजार और अपनी अडिगता के साथ समय का इंतजार एक दिन यहां तक पहुंचा देता है, दृढ़ रहने वालों की कभी हार नहीं होती। रोमा दीदी कुछ राहत महसूस कर रही थी। अब वह अपने तलवे पर चल सकती थी। हालांकि कानों में दर्द और सूजन-सा और आंखों में भी जलन और दर्द-सा महसूस हो रहा था, जिसके लिए उन्होंने मेडिकल सुविधा की बात की थी, पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उपर से जेल के माहौल से उनके दर्द और बढ़ जाते थे। वह जेल सच में एक कैदखाना था, एक ऐसा कैदखाना जहां 100 लोगों के रहने की जगह पर 150 लोगों को ठूंस दिया गया था। गर्मी में एक-दूसरे के पसीने सूंघकर सड़ने के लिए, ठंड में सिकुड़ने के लिए। उनके कमरे में भी डेढ़ सौ महिलाएं थी, सब 'अपराधी' थी, किसी ने अपनी बहू का दहेज के लिए कत्ल किया था, किसी ने दहेज प्रताड़ना से बचने के लिए किसी का, कोई चोरी के जुर्म में कैद थी, कोई क्यों कैद थी, उसे ठीक से मालूम भी नहीं था। वहां ऐसे ही ढेर सारे अव्यवस्थित लोगों का झुंड था, जो अपने-अपने मुद्दों को लेकर अक्सर एक-दूसरे से झगड़ती रहती थी या शायद जेल के माहौल ने उन्हें हद से ज्यादा झगड़ालू और चिड़चिड़ा बना दिया था। रोमा दीदी को कभी-कभी उन सारी चीजों से बड़ी विरक्ति होती थी, मगर अंततः वह खुद में संयम बरतती और जो सच था उसी बातों को सोचकर उनसे दोस्ती गांठने की कोशिश करती। रोमा दीदी इस बात पर दुखी हो जाती कि इन अव्यवस्थित लोगों की यह भीड़ भी इस कुव्यवस्था की ही शिकार हैं, इनसे लड़ने के बजाय अगर इनमें समझदारी का दरवाजा खोला जाय, तो वह बेहतर होगा। रोमा दीदी उनसे नफरत नहीं कर सकती थी, वे समाज के प्रभावित अंग ही तो थी। रोमा दीदी की बातें सच भी होती थी, कैदी औरतें उनकी बातों से प्रभावित भी होती थी सिवाय कुछ को छोड़कर। उन कुछ को छोड़कर जिनमें से कुछ जेल बंदी के रूप में सरकार की दलाल थी, जो रोमा जैसी राजनीतिक बंदियों और 'नक्सली' पर नजर रखने और जेल में फायदे-नुकसान का एक व्यापार चलाने और इसे चलाने के

लिए कैदियों के बीच फूट डालने का काम करती थी। वे कभी नहीं चाहती थी कि ये लोग एकजुट हों और जेल की बदतर व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाए। रोमा दी के प्रयास पर उनकी पैनी नजर रहती थी और कई बार तो रोमा दी के खिलाफ बाकी कैदियों को भड़काने का काम भी वे बखूबी करती थी। रोमा दी के जैसे-जैसे कष्ट दूर होते रहे, उनका ध्यान जेल को पाठशाला बनाने की ओर जाने लगा था और उन्होंने दो-तीन किताबें मंगवाकर पढ़ना भी शुरू कर दिया। यह एक अच्छा तरीका था। बुरे वक्त को अच्छा वक्त बनाने का। जेल को, बंदी जीवन को अध्ययनशाला बनाने का। पर शुरू-शुरू में इस काम में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रात के वक्त जब वह लाइट जलाकर किताबों के पन्ने पलटती थी, अक्सर सांवरी उठकर लाइट बंद कर देती। रोमा दीदी के दोबारा जलाने व इसका विरोध करने पर बहुत-सी औरतें सांवरी के पक्ष में उठ खड़ी हो जाती थी और मजबूरन रोमा दी को अपनी किताबें बंद करनी पड़ जाती थी। मगर आखिर कब तक यह चलेगा, रोमा दीदी उनसे भिड़ती, उनका डटकर जवाब देती, विरोध करती। पहले तो जो उनसे बातें करती थी और उनकी बातों को सुनती थी, उन्होंने धीरे-धीरे उनका विरोध करना बंद कर दिया। उनकी अच्छी बातें, सबके लिए कहीं गयी बातें बहुतों को प्रभावित करती थी, पर कुछ हठी किस्म की औरतें उनसे लड़ती, रोमा दी भी पूरी मजबूती से उनसे लड़ती, उनकी शिकायत अफसरों से भी करती, उनकी दृढ़ता के आगे जब वे टिक न सकी तो उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया और रोमा दी रात के वक्त देर तक लाइट जलाकर किताबें पढ़ती। किताबें पढ़ते वक्त वह भूल जाती कि वे जेल में हैं, उन्हें अपना काम याद आता, गांव-गांव की जन-मिलिशिया, पार्टी, पार्टी के कामरेड याद आते और फिर एक उम्मीद जगती वापस जाकर फिर से जनता के पक्ष में काम शुरू करने की और उसी वक्त एक सवाल भी नजर आता ''अगर रिहा न हो सकी तो....'' यह सवाल आते ही उनके चेहरे की चमक कहीं गुम जाती और कुछ देर के लिए वह मौन बैठी रहती। आज भी जब ऐसे ही खयाल उनके मन में आई, उन्होंने किताब बंद कर दिया और गहरी सोच में डूब गई- ''कब तक रहना होगा यहां.....।'' -वह सोच रही थी कि तभी किसी के गुस्से की आवाज सुनाई पड़ी- ''ठंड से पैर जमता जा रहा है ....।''

''जमता जा रहा है तो क्या करोगी, यहां जरूरत से कुछ नहीं मिलता, घर नहीं है यह जेल है जेल....'' -किसी ने कही, यह माला की आवाज थी।

''हां सुहानी बहना! यहां लोग जानवर की तरह रखे जाते हैं। तुम अभी नई हो इसलिए परेशानी लग रही है, धीरे-धीरे आदत पड़ जाएगी..'' -किसी तीसरे ने कही, जो विमला थी।

''अरे हल्ला बंद करो...सोने दो!''- किसी चौथे, जोकि पूनम थी, की चीख सुनाई पड़ी। फिर सन्नाटा छा गया। रोमा दी के चेहरे की चमक लौट आई- ''रिहा न हो सकी तो इसे ही गांव बना दूंगी, जितना समय भी रहना पड़े, यहीं काम करूंगी। गांव की तरह इनके बीच इनकी समस्या पर.... और उस उम्मीद के साथ उन्होंने जेल जीवन को सजीवता से जीना शुरू किया। धीरे-धीरे एक कैदी दूसरे के दोस्त बन गये। छुप-छुपकर वे अपने मसलों पर बातें करते, कई अपनी जेल कहानी सुनाती, कई अपनी परेशानी बताती, कई अपने घर के हालात बताती। रोमा दी को सबकी जिंदगी में इंट्रेस्ट आने लगा था, उन्हें जानना-समझना और उनके गलत, सही की बातें करना इतना रोचक हो गया था कि शायद उस वक्त जेल से बाहर आना उन्हें खल जाती। उनकी बातें भी बाकियों को प्रभावित करती थी।

''मैं बाहर निकलकर आपके संगठन से जुड़ जाउंगी...'' -एक दिन माला ने दीदी से कही, जिसपर मालिक के घर से पैसा चोरी के इल्जाम लगे थे, उस वक्त वह काफी दयनीय स्थिति में थी।

''रिहा होकर मैं अपने संपर्क की औरतों को आपकी बातें समझाउंगी....।'' -एक दिन अर्पना ने कही। इस तरह और भी औरतें थी, जो रोमा दीदी से पूरी तरह प्रभावित थी।

उन्होंने कैदी साथियों से जेल की बदतर हालत के खिलाफ आवाज उठाने का भी आह्वान किया और उसी की शुरूआत करते हुए एक दिन उन्होंने 15 कैदी साथियों के साथ खाना के खराब क्वालिटी के खिलाफ भूख हड़ताल कर दिया। आधी कच्ची जली रोटी और पानी-सा दाल, सब्जी के नाम पर आलू के दो-चार टुकड़े उन्होंने खाना बंद कर दिया था, वे कैदी साथियों से कहती- ''हम जानवर तो नहीं! .... यह आंदोलन सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रही आप सबों के लिए कर रही हूं, यहां कितनी सारी छोटे बच्चे की मां है, यह खाना उनके शरीर पर कितना खराब असर डालेगा, कितनी बूढ़ी औरतें हैं, उनका पेट बर्दाश्त कर पाएगा क्या? हम कैदी हैं, अपराध में जाने-अंजाने या फंसाई गई हैं, मुकदमे के लिए कैद हैं, सजा भुगतने आए है मगर जीवन बर्बाद तो नहीं होने देंगे न! आप सबको हमारा साथ देना चाहिए, साथ देंगे तो

अच्छा खाना मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही ठगते जाएंगे।''

रोमा दीदी की बातों ने बहुतों को प्रभावित किया। हालांकि उनके बीच पुलिस के दलाल बार-बार उन्हें डराने और पीछे हटाने की कोशिश करते रहे, मगर अंततः ढेरों कैदियों ने जेल में हंगामा कर दिया। अंततः उनकी बातें माननी ही पड़ी, थोड़ा ही सही सुधार हुआ। इस तरह बात-बात पर रोमा दीदी लड़ती रही और उनके पीछे बाकी कैदी साथी भी उठती रही। रोमा दीदी बहुतों को अच्छी लगने लगी थी। क्योंकि उनकी पते की बातें जीवन से सीधे जुड़ी हुई थी और सच थी। दिन बीतते उनके तलवे का घाव ठीक हो गया, मगर कान का दर्द और आंखों का जलन बढ़ता गया। घुटने पर भी गहरे चोट के कारण दर्द था और जेल का खराब खाना के कारण उनके पेट में भी दर्द होता रहता था। डॉक्टर ने जो दवा दिया था, वह काफी दिन से खत्म होने के बाद मांगने पर भी नहीं मिलता था। काफी हो हंगामा के बाद फिर से डॉक्टरी सुविधा दी जाती। वह भी कितना कारगर था, मालूम नहीं, पर नहीं में जो हो जाता वह काफी था। दवा ने दर्द थोड़ा कम किया था, मगर परेशानी बनी रह गयी।

अदालत में पेशी के वक्त उन्हें कुछ ठीक कपड़े दिये गये। डॉक्टर ने कहा था ठंड से कान और घुटने को बचाने के लिए, मगर न ही गर्म कपड़ा उन्हें मिला था और न ही कानों को ढकने के लिए कोई मफलर। वह ठंड में सिकुड़ती, दर्द से कराहती। आज जब अदालत में पेशी का समय था, उन्हें अच्छे कपड़े मिले और एक मफलर भी मिला। पेशी के समय उन्हें मालूम पड़ा कि उनपर कितने सारे केस थोप दिये गये हैं। गिरफ्तारी के समय जो एक केस का जिक्र था, अब बढ़कर दस हो गये थे। रोमा दीदी को हैरानी नहीं हुई क्योंकि यह प्रशासन का पुराना तरीका था, वह जानती थी। और भी कितने सारे कामरेड रहे हैं, जिनपर ऐसे ही समय के साथ-साथ केस की संख्या बढ़ा दी जाती थी। रोमा दीदी की आवाज न रिमांड के समय कभी फीकी पड़ी थी, न अदालत में पेशी के समय।

जज के पूछने पर क्या आप अपना गुनाह कबूल करती हैं।'' वह मजबूती से बोली- ''अपने मजदूर-किसान भाई बहनों के लिए हक की बात करना, जायज मांगों को पूरा करने के लिए मालिकों से कहना और नहीं मानने पर आंदोलन करने को आप अपराध कहते हैं? मेरी नजर में यह अपराध है ही नहीं? गौर कीजिएगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि यह अपराध नहीं है।'' आगे भी उन्होंने अदालत में अपने गर्म जोशीले और धिक्कारती आवाज में जज को कहा था- ''आप न्याय के लिए यहां बैठे हो, हम न्याय पाने के लिए यहां लाए गये हैं। मैं पचपन साल की बूढ़ी महिला हूं, इतने सारे सिक्योरिटी में मैं यहां अंदर हूं, सबके पास बंदूक भी है, रिमांड के समय की चोट के कारण घुटनों में दर्द है, ठीक से चल नहीं पाती, लाठी के सहारे की जरूरत है, यह कल्पना करना कि मैं कूदकर भाग जाउंगी, हंसी की ही बात होगी, पर ऐसे जगह पर भी मुझे ये चार लोग पकड़े हुए हैं, कैसा न्याय है यहां? ऐसी जगह पर भी जब मुझे ये पुलिस वाले लोग पकड़े हुए है और आप चुप हो, मैं आपसे न्याय की उम्मीद कैसे करूं?'' -उनकी बातें सही भी थी, कोई सबूत नहीं होने के बाद भी उन्हें जमानत नहीं दी गई, उन्हें वापस जेल में ठूंस दिया गया। उनकी पेशी होती, सबूत कुछ नहीं रहता, फिर दोबारा उन्हें कालकोठरी में भेज दिया जाता। काफी दिनों बाद एक केस में बेल मिली भी तो तुरंत उन्हें जेल गेट से ही पकड़कर जेल में डाल दिया गया। दिन गुजरे..... और गुजरते-गुजरते कब दस साल गुजर गए, आज तो कुछ पता नहीं चलता। बस उस वक्त के दिये हुए जख्म जो अब लाइलाज हो गये थे या इलाज मुश्किल था, उन दिनों की याद दिला देते थे। कान का इलाज उस समय न होने के कारण उनकी श्रवण क्षमता कम हो गई थी, चोट ने आंखों की रौशनी कम कर दी थी, डंडों ने घुटने में न मिटने वाला दर्द पैदा कर दिया था। पर यह सब याद करते हुए भी रोमा दी मुस्कराती हैं। कैसे उन कठिन दिनों में भी वह अपनी हिम्मत बनाए रख पायी। पर इस कहानी के लिए वह अकेली कहां हैं, इतिहास में जिसने भी क्रांति की राह को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उनकी जीवनी ऐसी ही घटनाओं से भरे हुए होते हैं। जो जंग के मैदान में अपने प्राणों का बलिदान देता है, वह तो महानता की शिखर पर होता है। --''उन्हें इस बात का गर्व नहीं था कि उन्होंने इतने कष्ट सहकर अपनी दृढ़ता बनाए रखी बल्कि उन्हें इस बात का गर्व था कि आज इतनी परेशानियों के बाद भी अपनी पार्टी में योगदान देने के लिए वह यहां है अपने साथियों के साथ...।''

2.
एक छोटी सी भूल

कामरेड लता और कामरेड वीणा अपनी टीम के साथ एक गांव की ओर जा रही थी कि रास्ते में ही दुश्मन का हमला

हो गया। उनसे मुकाबला करने के क्रम में दोनों टीम से अलग हो गयी। हालांकि दुश्मन तुरंत ही वहां से हट गया था, साथियों की सूझ-बूझ ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। पर समस्या यह थी कि अब वे दोनों टीम से बिछड़ी हुई थी और अपने आप को थोड़ा भटकी हुई सा महसूस कर रही थी। क्योंकि यह इलाका उनके लिए अंजान था।

कुछ दूर निकलने के बाद उन्हें एक ग्रामीण दिखा, ''कहीं ये दुश्मन का आदमी तो नहीं'' -यह सोचकर वे सतर्क हुई और झाड़ियों में छुपने को हुई कि उन्होने देखा वह आदमी उनकी ओर ही दौड़ा चला आ रहा था। उसके चेहरे पर जो भाव झलक रहे थे, उसके ग्रामीण साथी होने का प्रमाण दे रहे थे। पास आकर उसने हांफते हुए कहा- ''दीदी! बाकी की दीदी और दादा लोग लपनी गांव में गये हैं, आपलोग यहां से चले जाओ। यहां अभी पुलिस वालों की गश्ती चल रही है। खतरा है यहां। आपलोग को लपनी तक अकेले नहीं जाना है, यहां से दो-चार किलोमीटर आगे जाने पर झिकना गांव हैं, उस गांव में थोड़ा आगे निकलने पर रास्ते में एक टूटा हुआ चापाकल है। वहां हमारे दो आदमी हैं, वह आपको लपनी गांव पहुंचा देंगे। पर आपलोग यहां से निकलिये, माटो गांव में पुलिस पहुंच चुकी है। यहां से अगले गांव डीकना में भी जल्दी पहुंच जाएंगी और वहां से यह गांव ज्यादा दूर नहीं इसलिए जल्दी कीजिए। अच्छा मैं चलता हूं, किसी ने देख लिया मुझे झाड़ियों में, तो आपलोगों की भनक लग जाएगी दुश्मन को, मुखबिर खबर कर देगा।''

इतना कहकर वह तेजी से भाग निकला। अब उसकी बात पर यकीन करें या नहीं, दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। कहीं यह पुलिस का आदमी होगा, तो हमें फंसाना चाह रहा होगा और अगर ग्रामीण होगा तब सही रास्ता बताया होगा। पर उसके चेहरे के जो निश्छल भाव थे, वह एक ग्रामीण के ही थे। अंतत उन्होंने उसपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया।

चलो, लता दीदी! चलते हैं!'' -वीणा ने कहा।

हां! -इतना कहकर लता ठिठक गई- ''मगर हम जाएं कहां, किस ओर? दिशा तो उसने बताया ही नहीं। हमने भी पूछा नहीं।'' दोनों कुछ देर तक मौन खड़ी रही।

कामरेड लता बोली- ''कामरेड वीणा अब क्या करोगी? किस दिशा में कौन गांव पड़ेगा, क्या मालूम? उसने तो बताया चार किलोमीटर आगे जाने पर झिकना गांव है। चलो चलकर देखें, कहां क्या है?''

रास्ता न था, सिवाय इसके कि किसी एक दिशा को चुन ले। उन्होंने पूरब की ओर बढ़ने का निश्चय किया। वे बढ़ चली, अभी वे कुछ दूर निकली थी कि रोड के किनारे उन्हें एक हरा बोर्ड दिखाई पड़ा, जिसमें शायद गांव का नाम था।

''ठहरो'' -वीणा दी ने जोर देकर धीरे से कहा।- ''वह देखो बोर्ड पर कुछ लिखा है।''

''क्या लिखा है! शायद सही गांव है, पूरा पढ़ते तो नहीं बन रहा। पर लग रहा है झिकना लिखा है।'' -लता दी बोली।

''नहीं दीदी! वहां डिकना लिखा है यानी दुश्मन इसी ओर है। जल्दी वापस चलो।'' -वीणा तुरंत बोली और दोनों एक पल गंवाए बगैर पीछे मुड़ गयी। जिस रफ्तार से वे आई थी, उसके दोगुने रफ्तार से वापस लौट रही थी। अब जब वे उस इलाके से काफी दूर निकल आई थी, उन्होंने राहत का सांस ली।

अब वे सही दिशा में थी और शांत होकर अपने मंजिल की ओर बढ़ रही थी। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए लता ने वीणा से पूछा- ''वीणा दीदी एक बात कहूं।''

''हां कहिए।'' -वीणा बोली।

''तुम तो मेरे बाद पार्टी में आई हो, अभी हाल में सेना में भर्ती हुई हो, फिर भी तुमने तुरंत बोर्ड पर लिखे शब्द को पढ़ ली। क्या तुम पहले से पढ़ना जानती थी?'' -लता दी ने अपनी बातें पूरी की।

''नहीं मेरे गांव में तो लड़कियां पढ़ती ही नहीं हैं। मैं बिल्कुल अनपढ़ थी। पार्टी में आने के बाद पढ़ने का मौका मिला और लगा पढ़ना जरूरी है इसलिए मैंने पढ़ना सीख लिया। पार्टी में भी तो हमें यही सिखाया जाता है कि हम अच्छे से पढ़ना सीखना चाहिए।'' -वीणा बिना किसी लाग लपेट के बोली।

''इसलिए आज तुम बहुत जल्दी उसे पढ़ ली। मैं तो ड और झ में उलझ गई थी।'' -लता दी ने कहा और दो पल के लिए सन्नाटा छा गया।

अबकी उस सन्नाटे को तोड़ती हुई वीणा बोली- ''अब मैं आपसे एक बात पुछूं।''

''हां पूछो।'' -लता ने हामी भरी।

आप तो मुझसे पहले से पार्टी में है न! फिर आपने जल्दी पढ़ना अब तक क्यों नहीं सीखी, जबकि हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अच्छे से पढ़ना सीखें।'' -उसकी बात सुनकर लता झेंप गयी।

सर झुकाकर बोली- ' मैं बंदूक अच्छे से चलाना जरूरी समझती थी, उसमें पारंगत हूं। पर, पढ़ना को उसका जरूरी नहीं समझी, इसलिए पीछे हूं कामरेड। और यह मेरी एक बहुत बड़ी भूल है। आज तुमने साबित भी कर दिया कि अच्छे से पढ़ना आना कितना जरूरी है।''

''मैंने आपको शर्मिंदा करने के लिए यह नहीं पूछा।''

''पर मैं शर्मिंदा हूं, क्योंकि आज मुझे पढ़ने में तेजी लाने का महत्व पता चल गया है। अगर हम तेजी से पढ़ने सीखेंगे, तो किसी भी चीज को आसानी से और जल्दी पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे। अगर पढ़ने में पीछे रहेंगे तो अक्षर को समझते-समझते बहुत देर हो जाएगी। पढ़ना जरूरी है अच्छे से, आसानी से चाहे वह पार्टी का कोई मैटर हो चाहे दुश्मन का कोई संकेत।'' -लता दी ने बेझिझक कहा। उन्हें अपनी इस छोटी भूल का एहसास हो रहा था।

वीणा बहुत खुश हुई।

''देखिए दी सामने झिकना है।'' -वीणा ने चहकते हुए कहा। वे झिकना पहुंच चुकी थी, कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें टूटा चापाकल और उनके साथी भी मिल गये, जो उन्हें रिसीव करने के लिए खड़े थे। पास पहुंचते ही उन्होंने हाथ मिलाया, लाल सलाम किया और फिर आगे बढ़ गये। लपनी गांव की ओर जहां बाकी के सारे कामरेड थे।

3.
एकता

सुबह का समय था, आरती कुएं के पास बैठी बर्तन धो रही थी कि उसकी नजर सामने रास्ते से गुजर रहे सीआरपीएफ कंपनी पर पड़ी। पहले तो उसे उतनी दूर से कुछ समझ में नहीं आया, लोगों की छोटी-छोटी आकृतियां उसे दादा लोगों जैसी लगी। पर, जब उसने गौर से देखा तो एक बड़ी फौज गांव की ओर आती नजर आयी। आरती ने बर्तन उठाया और तेज कदम से दौड़ती हुई घर की ओर बढ़ी। दरवाजे पर काका बैठे अखबार के पन्ने पलट रहे थे। आरती ने आते ही उन्हें आगाह किया।

''वह भारी संख्या में है।'' -आरती ने सारी बात बतायी।

तुरंत ही पूरे गांव में यह खबर फैल गयी। ''आज फिर कुछ होने वाला है!'' -गांव वाले समझ रहे थे। कुछ दिनों पहले की ही बात थी। मुठभेड़ के नाम पर पास वाले गांव के चार लोगों को मारा डाला गया था और उसके बाद नक्सली कहकर गांव से पांच लोगों को मार-पीट कर पकड़ ले गये थे। इसका विरोध करने वाले गांव के हर व्यक्ति की जमकर पिटाई भी की गई थी और अब इस गांव पर नजर थी। जब भी पुलिस किसी गांव की ओर आते हैं, लोग समझ जाते हैं कि अब गांव में तबाही मचने वाली है। उनके डर से उस गांव के लोग अपने-अपने घरों को छोड़कर भाग भी जाया करते थे। पर, अपना घर-जमीन छोड़कर कोई कब तक भागे और क्यों भागे? इसलिए जब अभी फौज वालों के आने की खबर मिली, तो सारे लोग अपना-अपना काम छोड़कर एक जगह एकत्रित हो गये। हरिधर दादा ने पूरे गांव वालों को संबोधित करते हुए तुरंत कहा- ''इससे पहले कि वे लोग यहां पहुंच जाए, हमें तुरंत कोई निर्णय लेना होगा। आप लोग क्या कहते हैं?''

''हम लड़ने के लिए तैयार हैं दादा! मगर हमारे इस छोटे से गांव में अगर वे सौ की संख्या में आएंगे, तो हम क्या कर पाएंगे?'' -गांव के रघु दादा ने झट से समस्या रखी।

''उनके पास बंदूक है, हथियार है, हमारे पास पारंपरिक हथियार और हमारे गांव की संख्या भी इतनी छोटी-सी है, लड़कर भी हम उन्हें भगा नहीं पाएंगे'' -दीनू ने कहा।

''तो क्या इस बार भी हम चुपचाप उनके अत्याचार को सहते रहेंगे। पिछले बार इसी तरह पास वाले गांव से वे चार लोगों को पकड़ कर लेते गये। पांच को बहुत पीटा। कब तक चलेगा यह सब। अभी तो हरिधर दादा भी हमारे साथ है, कोई उपाय तो निकाल ही लेंगे हमलोग मिलकर।

''यदि आप लोग सहमत हो तो हमारे पास एक उपाय है. .....।'' -हरिधर दादा बोले।

वहां मीटिंग चल ही रही थी और इधर सीआरपीएफ की पूरी फौज गांव में घुसकर घरों में हड़कंप मचाने लगी। उन्हें आते देख लोग तितर-बितर हो गये। पहले तो वे जबरन लोगों के घरों में घुसने लगे और जिन्होंने विरोध किया, उसके उपर लात-घूसे बरसाने लगे। पहले तो लोग चुपचाप साइड में खड़े हो गये। पर जब उनका जुल्म बढ़ने लगा, गांव वाले आगे बढ़कर उन्हें रोकने लगे।

''आप ऐसे हमारे घरों में नहीं घुस सकते, तोड़-फोड़ नहीं कर सकते।'' -राको ने हिम्मत करके कहा। एक जवान ने उसे बंदूक के कुंदे से मारते हुए बोला-'' बहस लड़ाओगे। हतनी हिम्मत।'' उसके ऑफिसर ने राको का कॉलर पकड़ा- ''इसे उठाकर ले चलो। अब सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा।''

''आपलोग इसे नहीं ले जा सकते। इसने कुछ नहीं किया है।'' -गांव के बाकी लोग बोले।

''लगता है तुमलोगों को कुछ चाहिए। इसे तो झूठा केस बनाकर जेल में सड़ाउंगा ही, तुम लोगों को भी अच्छा सबक दूंगा।'' -ऑफिसर ने अपने जवानों को आगे बढ़कर सब कुछ तोड़-फोड़ देने का आदेश दिया। भीड़ को डटकर खड़ा देख एक बार उनके कदम ठिठके। पर, अगले ही पल पूरी फौज आगे बढ़ी। इससे पहले की वे आगे बढ़कर लोगों पर लाठियां चलाते, दूसरी ओर से भीड़ की तेज आवाज सबके कानों में पड़ी।

''यह क्या?'' -उन्होंने मुड़कर देखा। उत्तर की ओर से लोगों की भारी भीड़ चीखती-चिल्लाती आ रही थी। ये पास के चार-पांच गांवों के लोग थे। सबके हाथ में अपने परंपरागत हथियार थे। सीआरपीएफ का ऑफिसर, जो कारो का कॉलर पकड़े हुए था, अपने हाथ को झट से ढील दी।

''अब चलाओ लाठी, है हिम्मत है तो मारो हम सबको। आगे बढ़कर देखो हम भी क्या कर सकते हैं।'' -कोई चीखकर बोला।

ऑफिसर ने उसकी बात को अनसुना करते हुए तेज आवाज में कहा- ''वापस चलो! इनसे बाद में निपटेंगे।'' अपने आपको चारों ओर से भारी भीड़ से घिरा देखकर वे तेजी से लौट चले। उन्हें डर था कि कहीं ये लोग लौटने का रास्ता भी न बंद कर दें।

उनके लौट जाने के बाद हरिधर दादा ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा-''आगे से इन अत्याचारियों का मुकाबला हम गांव के लोग ऐसे ही करेंगे। अब तक ये किसी गांव में घुसकर उत्पात मचाते थे और उनके डर से पूरा गांव अपने-अपने घरों को छोड़कर भाग जाते थे। ये किसी को भी पीट देते, किसी को भी गिरफ्तार कर लेते, मगर अब हमें चौकन्ना रहना है, अगर हमारे गांव के लोगों की संख्या पचास है और वे दोगुने हैं, तो हम तीन-चार गांव के लोग मिलकर उन्हें भगाएंगे। अगर वे दो सौ हैं, तो हम चार-पांच गांव के लोग मिलकर उनका मुकाबला करेंगे लेकिन उनके डर से भागेंगे नहीं। हमारे इस मुकाबले से वे डरेंगे और वे भागेंगे। याद रखिए हम जनता हैं और संख्या में भी हम उनसे ज्यादा हैं। भले ही छोटे-छोटे गांव में बसे हों, मगर हम पूरी जनता बंटे हुए नहीं हैं। जरूरत पड़ने पर हम सब एक है।'' -हरिधर दादा ने एक बार फिर उस भीड़ को संबोधित करते हुए कहा जिसने उन्हें घेर रखा था। दरअसल सुबह की मीटिंग में यही फैसला लिया गया था कि पास के गांव वालों की मदद ली जाए और गांव के तीन-चार लोग उन्हें बुलाने चुपके से निकल पड़े थे। तभी तो ऐन मौके पर चार-पांच गांव के लोग मदद के लिए पहुंच गये थे।

''दुश्मन का मुकाबला जैसे हमारे दादा लोग मिलकर करते हैं, हम गांव वाले भी मिलकर करेंगे। उन्हें यहां से भगाएंगे ताकि यहां पर हम चैन-सुख से रह सकें, हमारे अपने दादा लोग आ सकें और हमारी अपनी पार्टी काम कर सके।'' -धीरू दादा ने भी कहा। आज के परिणाम और उन लोगों की बात सुनकर गांव वालों का हौसला बहुत बुलंद हुआ। जो लोग कल तक डरे हुए थे, आज हिम्मत और उत्साह के साथ खड़े थे। कुछ देर में सारे लोग अपने-अपने घरों को लौट गये थे। गांव वालों की इस जीत पर हरिधर दादा काफी खुश थे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी ने उन्हें इस गांव में काम के लिए भेजा था और अपने तरीके को इतना सफल होता देख, उन्हें काफी खुशी मिल रही थी।

पृष्ठ संख्या 16 का शेष...

हमारे विचार से राष्ट्रीयताओं की स्वेच्छा-सहमति से एकजुटता की बुनियाद पर एक सही संघीय राष्ट्रीय व्यवस्था, जहां हर राष्ट्रीयता के समानाधिकार और आत्मनियंत्रण के पूर्ण अधि कार (अलग होने का अधिकार सहित) स्वीकार किया जायगा- ऐसी एक राष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण कर ही भारत के हर उत्पीड़ित राष्ट्रीयता के आत्मनियंत्रण के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

मजदूर वर्ग के अगुवा अंश भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में व्यापक मजदूर-किसान जनता को गोलबंद कर कृषि क्रांतिकारी संघर्ष कदम ब कदम आगे बढ़ते जा रहा है। उस आंदोलन के असम-उत्तर-पूर्वी भारत-कश्मीर सहित व्यापक उत्पीड़ित राष्ट्रीयता की जनता का आत्मनियंत्रण के अधिकार की मांग पर निर्मित सशस्त्र आंदोलन का व्यापक एकजुटता कायम करनी होगी तथा एक नयी व्यवस्था निर्माण करने के लक्ष्य पर एक सही क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चा गठन करना होगा। सिर्फ और सिर्फ तभी नयी जनवादी देश निर्माण करने के दरम्यान ही वह लक्ष्य पूरा हो सकता है। उक्त लक्ष्य पर ही कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन और उत्पीड़ित राष्ट्रीयता के आंदोलन को एकताबद्ध होना आज की फौरी मांग है।

कविताएं

(मालूम हो कि हमारे देश के प्रतिष्ठित क्रांतिकारी कवि कामरेड वरवर राव को महाराष्ट्र पुलिस ने नवंबर, 2018 में फर्जी मुकदमे के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उन्हें 1 जनवरी, 2018 को भीमा कोरेगांव में एल्गार परिषद द्वारा आयेजित कार्यक्रम का मुख्य संचालक के बतौर ही गिरफ्तार किया गया है, जबकि वे उस कार्यक्रम में उपस्थित भी नहीं थे। अब तक इस फर्जी मुकदमे में हमारे देश के 9 प्रतिष्ठित मानवाधिकार कर्मियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

इन फर्जी गिरफ्तारियों के खिलाफ कई देशों समेत हमारे देश के लगभग तमाम राज्यों की राजधानी समेत कई जिला मुख्यालयों पर भी विरोध-प्रदर्शन हुए हैं। का. वरवर राव की गिरफ्तारी के बाद जेल से उनकी एक कविता बाहर आयी है, जिसे फेसबुक से साभार लेकर हम यहां दे रहे हैं। साथ-ही, उनकी गिरफ्तारी के बाद कई कवियों ने कविता के माध्यम से विरोध दर्ज कराया है, वैसी तीन कविताएं भी हम यहां दे रहे हैं।- संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

कामरेड वरवर राव की एक कविता
कलम का सिपाही

मुझे लॉक करते हुए
गार्ड ने अपनी भाषा में
कुछ पूछा,
मैंने कहा
'हिन्दी में बोलिये'
'किस केस में आए हो?'
'ऐल्गार'
उनकी भाषा में ही मैंने जवाब दिया।

'वो कोई केस है?
वो तो पुकार है,
'आवाज'
उसका सवाल था।

'मैं वही कहना चाहता था
कि वो एक कवि की आवाज है
जनता को पुकारती हुई।'

'लेकिन क्राइम क्या है?'

'मैं कवि हूं'

'ओ..ऐसे कहो..
कि तुम कलम के चोर हो।'

'नहीं मैं कलम का सिपाही हूं।'

वो सिपाही यह समझे
वह समय भी आएगा
वह समय फिर से आएगा।

कामरेड वरवर राव की गिरफ्तारी के विरोधस्वरूप लिखी गयी कविता

1.
वे डरते हैं हमसे

वो लोग डरते हैं हमसे
इसलिए कभी हमारा पुलिस पीछा करती है
तो कभी हमारा पीछा कराया जाता है
कभी फोन ट्रेसिंग पे डाले जाते हैं
तो कभी हमें सीधे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है।

जानते हो क्यों?
क्योंकि असल में वो हमसे नहीं हमारी सोच से डरते हैं
हमारे जज्बे से डरते हैं
हमारे बुलंद इरादों से डरते हैं
और हम जैसे ही और पैदा होने से डरते हैं।

इस डर से वो हमें खत्म कर देना चाहते हैं
मार देना चाहते हैं हमें
चुन-चुन कर
पकड़-पकड़ कर
ठोक-ठोक कर।

पर हम कहते हैं हमें पकड़ो
आओ पकड़ो
मारो भी
हम भी देखते हैं
कि ये सत्ता, नीतियों और जन के बीच की लड़ाई
कब तक चलेगी
तुम मारो हमें।

पर असली जड़ तो बढ़ रही है
हम जाएंगे तो हम जैसे और आएंगे
ये राज्य का दमन
हम जैसों को और जन्म देगा।
तुम शोषण करते जाओगे
हम जैसी और सोच वाले भी आते रहेंगे।

जो आएंगे रौंदने तुम्हारे राज्य को
तुम्हारे शासन को
तुम्हारी गद्दी को
तुम्हारे वर्षों से किये गये शोषण को।

और तुम डरते थे, डरते हो
और जब तक ये उंच-नीच कम होकर
समाज में बराबरी नहीं आएगी
जब तक सबको रोजगार
मूल जरूरतें पूरी नहीं कराई जाएगी
जब तक ये खाई बढ़ती रहेगी।

तब तक
तुम यूं ही डरते रहोगे
और हम जैसे तुम्हें यूं ही
बराबरी की आग लिए सीने में
अपनी सोच से
तुमको डराते रहेंगे।।

2.
जनता का कवि

तुमने गिनी है सलाखें
लहू में डूबी अंगुलियों से
एक उम्र तक।

जेल की उदास दीवारों पर
लिखे है इंकलाब के गीत
रौशनी पिरोयी है
अंधेरी सख्त रात के खिलाफ।

सत्ता के डरावने ख्वाबों में
एक हुजूम की तरह
देते हो दस्तक
उनकी उचट नींदों
की बेचैनी बढ़ा देते हो।

इस समझौता परस्त समय में
तुम्हारे कविता में कवि होकर रहना
नहीं सुहाता कवियों को
तुम चापलूस कवियों और वहशी सत्ता के होने पर
बार-बार प्रश्नचिन्ह लगाते हो।।
तुम उनके होने के लिए
सबसे बड़ा खतरा हो वरवर राव।।

3.
कलम की धार

इस व्यवस्था को कुरेदने की खातिर
तुमने बंदूक नहीं थामे हैं
तुम्हारे हाथों में कलम है
पर तुम्हारी कलम की धार से
बंदूकधारी भी डरते हैं कामरेड।

उन्हें डर है कि तुम्हारे हाथ
भर न दे कलम में बारूद
और बंदूकधारियों के बंदूक से भी

बन न जाए घातक तुम्हारी कलम।

इसलिए वे तुम्हारे हाथों को
कैद कर देना चाहते हैं
इसलिए तुम्हारी कलाइयों में
हथकड़ी लगाना चाहते हैं
तुम तो डरते नहीं बोलने से
तुम तो स्पष्ट बोलते हो
तुम्हारी बोली में भी उन्हें
गोली नजर आती है
इसलिए वे बेचैन है, परेशान है।

पर उनका डर हकीकत से छोटा है
क्योंकि कामरेड, तुम न सिर्फ
कलम को बंदूक बनाते हो
बल्कि कलम को बंदूक
बनाने का यह कौशल
हमें भी सिखाते हो।।

पीएलजीए के बहादूर योद्धाओं की कलम से लिखी गयी कविता

गुरिल्ला जीवन

आसान नहीं है जंगलों में रहना
आसान नहीं है जंगलों के बीच
दुश्मनों से बचकर
अपने स्वास्थ्य को बचाए रखकर
हर परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाना।

आसान नहीं है कीड़े-मकौड़ों,
जीव-जंतुओं की बस्ती में
मानव की बस्ती बसाना
हमारी बस्ती, जिसमें होते हैं
प्लास्टिक सीट के हमारे घर
बिना छत, बिना चारदिवारी के
पेड़ों के बीच
जमीन की मिट्टी को थोड़ा कुरेदकर
करते हैं उसे समतल बिस्तर की तरह
चारों ओर से छोटे-छोटे पत्थर लगाकर
बीच में सीट बिछा
मानते है उसे कमरे की तरह।

जाड़े के मौसम में भी
महज एक चटाई और एक चादर से
आसान नहीं हैं ठंडी रात बिताना
जब धूप न निकले और मौसम बर्फ बिछाए
आसान नहीं है पथराई हाथों को संभालना
आसान नहीं है
बरसात के मौसम में
महज एक प्लास्टिक सीट से
छत तैयार कर लेना
आसान नहीं है रातों को
आसमान में हेलिकॉप्टर व ड्रोन की
निगरानी से बचकर
अपने अध्ययन को बरकरार रख पाना
आसान नहीं है रात में
चादरों के बीच से
भागती रोशनी को पकड़ना
आसान नहीं हैं अंधेरी रात में उठकर
झाड़ियों के बीच बैठकर
कीड़े-मकौड़े, जंगली जीवों को भूलकर
दुश्मन की चौकसी पर ध्यान लगाना।

आसान नहीं है बेशर्म दुश्मनों के
अत्याधुनिक उपकरणों के साथ
चलाए जा रहे ऑपरेशनों के बीच
अपने सुरक्षा घेरे को बनाए रखना
रिट्रीट के समय
अपने सारे सामान से लदे पिट्ठू को लेकर
कई किलोमीटर दूर
एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाना।

आसान तो कुछ भी नहीं है
पर बनाते हैं हम इसे आसान
अपने शरीर को फौलाद बनाकर
जनता के सहयोग व प्यार का सहारा पाकर

निरंतर मजबूती का अभ्यास चलाकर
क्योंकि, हमारा उद्देश्य महज
दुश्मनों से बचकर जंगलों में
टिकना ही नहीं है
बल्कि जनता के शोषकों को
जड़ से उखाड़ फेंकना है।

हम रहते हैं जंगलों में ताकि
जंगलों से खोल सकें
गांव जोड़ने का रास्ता
बना सकें गांव-गांव में जन मिलिशिया
कर सकें जनता को जागरूक
उनके अधिकार से, उनकी ताकत से,
और कदम से कदम बढ़ाकर
बना सकें जनता की सरकार
गांव-गांव में हो जनताना सरकार
कर सकें गांव-गांव को
मालेमा सिद्धांतों से लैश
और इस तरह गांव से घेरें शहर को
और ध्वस्त कर दें शोषकों की सत्ता को।

इतने ऊंचे सपने के साथ
बसते हैं हम जंगलों में
चूंकि आसान नहीं है जंगलों में बसना
एक सुंदर सपना, एक उंचा लक्ष्य
बना देता है आसान
हमारे गुरिल्ला जीवन को।।

हम बेहतर हैं

हम बेहतर हैं क्योंकि हम लड़ना जानते हैं
हम बेहतरी के लिए मरना जानते हैं
हम स्कूल नहीं गए, पर पढ़ना जानते है
समाज की बुनियाद को गढ़ना जानते हैं
हम बेहतर है उन लोगों से
जो बोलना नहीं सीखे,
जो खपाते हैं माथा मोटी किताबों पर
पर समझना नहीं सीखे
जो दौड़ते हैं गुड एजुकेशन के नाम पर
पर एजुकेशन को परखना नहीं सीखे
भटकते हैं रोजगार के लिए
पर व्यवस्था से भिड़ना नहीं सीखे
जो आज हैं शिक्षा व्यापारियों के खरीदार
और कल हो जाएंगे बेरोजगार
जो झल्लाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं कि
पूरी जिंदगी पाने की चाह में ही बीत गई
सपने उंचे थे, पर हकीकत तंगहाली में पिस गई।
जो तंगहाली का दर्द झेलते
पर जड़ नहीं समझते
सारी परेशानियां झेलते हुए भी
असली हल नहीं समझते
जो मालेमा का मतलब नहीं पहचानते
पीएलजीए की जरूरत नहीं जानते
और पीटते रहते हैं माथा
इस व्यवस्था की चोट से
हम हैं उनसे बेहतर क्योंकि माथा पीटते नहीं
हक छीनने वालों को घसीटना जानते हैं।

हम बेहतर हैं कि हम लक्ष्य पहचानते हैं,
हम क्रांति की जरूरत जानते हैं
हम बेहतर है कि हम
हाथ में बंदूक की जरूरत समझते हैं
दिमाग में मालेमा का महत्व समझते हैं
हम बेहतर हैं कि हमने
झूठी व्यवस्था को नकार दिया है
नये समाज बनाने के लिए
संघर्ष को स्वीकार लिया है
हम बेहतर हैं कि हमने लड़ना सीख लिया है
हम औरों को भी लड़ना सिखाएंगे
क्रांति के लिए औरों को
पीएलजीए का अंग बनाएंगे।।

गुरिल्लों से मिलने की चाहत

अभी मिले हफ्ते भी न हुए
पर लगता है जैसे
महीनों बीत गये
फिर मिलने के लिए
याद आते हैं साथी
याद आती है वह मुलाकात
और जब

याद आती है वह ठंडी रात
जब घरों के अंदर पतले कंबल में
बिताते हैं लोग रातें
पहाड़ों के उपर, पेड़ों के नीचे,
बहुत सर्द होती है वे रातें।

उन रातों को बिताया था हमने
स्वेटर के उपर मोटे कम्बल के साथ
और जब उन दिनों और थोड़ी बढ़ गयी थी ठंड
मुझे ठंड लगती थी, उन कंबल के अंदर भी
ठीक उस समय घरों के अंदर
पतले कंबल की भी ठंड नहीं थी
आज जब ठंड से कांपते हैं हाथ
घरों के अंदर
फर्श भी बर्फ सा प्रतीत होता है
सोचती हूं
वहां कैसा होगा ठंड का मिजाज?
कैसे बिताते होंगे हमारे साथी
ऐसी ठिठुरन भरी रात?

जब पढ़ती हूं अखबारों में
आ रहा है कोई तूफान सागरों से उठकर
और गिर रहा है पारा
ठिठुरा देने वाली ठंड तक
तब सोचती हूं
कैसे बिताते होंगे हमारे साथी
ऐसी सर्द रातें?
जब खेतों के फसल भी
सिकुड़ जाते हैं ठंड से
गर्म खाना हो जाता है ठंडा
कुछ ही मिनटों में
और उतर नहीं पाता हलक के नीचे
बर्तन के पानी में भी
आ जाते है बर्फ के गुण
सोचती हूं
कैसे बिताते होंगे हमारे साथी
ऐसी बर्फीली रातें?

क्या उनका पिट्ठू
ढो पाता होगा ठंड मिटा पाने वाले
वजनी कपड़ों का भार?
क्या ऐसी रातों से लड़ने के लिए
बन पाता होगा सहारा आग?
या कर देता होगा वह भी शिकायत
दुश्मनों से ठिकाने की
और बर्फ की सिल्ली सा खाना-पानी
खाने-पीने के सिवाय न बचता होगा
उपाय कोई।
क्या ले पाते होंगे साथी थोड़ी गर्मी
चाय-कॉफी या गर्म पदार्थ से?
या किफायत में कमी का एहसास
रोकता होगा उन्हें इन उपाय से?

ठंड से बचने के लिए कितने
उपाय करते हैं हम घरों में
सोचती हूं
कैसे बिताते होंगे हमारे साथी
ऐसी ठिठुरन भरी रातें।

होती है फिक्र
पर यही सोचकर तसल्ली होती है
कि हमारे साथी
आज पहली बार नहीं काट रहे
हाड़ कंपाने वाली ऐसी सर्द रातें
वर्षों से लड़ते आ रहे हैं वे
अपने हौसले के बल पर
और काट रहे हर खतरनाक रातें।
क्योंकि वे मानते हैं
इन परिस्थितियों को झेलकर
लड़ सकते हैं वे दुश्मन से
अपने शरीर को फौलाद सा बनाए बिना
हर लड़ाई अधूरी है।
ठंडी रात में भी उनके आंखों में
सुंदर समाज की तस्वीर है
बराबरी के समाज की तस्वीर है
इसलिए वे कर रहे हैं
परिस्थितियों से संघर्ष
ताकि वे कर सकें दुश्मनों से संघर्ष

और जीत सकें
क्रांति का संघर्ष।।

साथियों के हौसले को सलाम

साथियों को आता है
गर्मी, जाड़ा, ठंड से लड़ना
यह संघर्ष बहुत पुराना है
वर्षों पुराना, सदियों पुराना
कभी यहां तो कभी वहां
और हर जगह के क्रांतिकारी साथी
दुश्मनों से लड़ते हुए
लड़े हैं ऐसी परिस्थितियों से।

आज हमारे साथी भी
लगे हैं ऐसे ही संघर्ष में
सलाम करते हैं उस हौसले को
जो क्रांति की मिट्टी से पनपकर
फैल जाती है क्रांतिकारियों के रगों में
और उत्साहपूर्वक कराती है मुकाबला
हर परिस्थिति व दुश्मन से
कड़कड़ाती ठंड में
जहां दिमाग में होती है
गर्मी की तस्वीरें।

हमारे साथियों के दिमाग में है
वर्ग-संघर्ष की तस्वीरें
इसलिए सबकुछ भूलाकर
कूद पड़े हैं साथी
संघर्ष के मैदान में।

मैं सलाम करती हूं
उनके हौसले व जज्बे को
उनके आदर्श व विचार को
उनके दैनंदिन के कार्यों को।।

विकास

तब कहां था इस सरकार का विकास
जब नहीं थी हमारी गुरिल्ला फौज
तब सहनी पड़ती थी
कितने ही जुल्म-अत्याचार।

जब जाते थे हम जंगल
दिल में रहता था डर का ख्याल
कहीं ले न जाये मेरा औजार लूट के
कहीं कर न दे मेरी बांध के पिटाई
कहीं झूठे अपराध में फंसा के
रख न दे जेल में बंदी बनाके
क्योंकि था तब जंगल में फॉरेस्टर का राज।

जब जाते थे हम बाजार
हर बार सोचते थे सुरक्षा का ख्याल
न हो जाये मेरे साथ जुल्म-अत्याचार
छेड़खानी या फिर बलात्कार
न हो जाये मेरी हत्या
क्योंकि था तब गुण्डों का राज।

जब से हमारी गुरिल्ला फौज आयी
फॉरेस्टर-गुण्डों को मार भगायी
जंगल में जनता का अधिकार दिलायी
डर भरी दिल में आशा जगायी
आंसू से ढंकी, इस आंख में
जुल्म से लड़ने की आग जलायी।

जिस आग को फैला के हम सभी ने
शोषणमूलक व्यवस्था को मिटाने का संकल्प खायी
जब से हम गुरिल्लों की मदद के लिए आयी
सरकार ने 'ऑपरेशन ग्रीन हण्ट' नामक दमन चलायी
घर के पुरूष को जेल में डाली
हम औरतों ने दिन-रात आंसू बहायी
बच्चों को हमने भूखे सुलाई
फिर भी हमने लड़ाई ना छोड़ी।

क्योंकि याद रखने की है एक बात
जब किसी पर जुल्म चलेगी
मुक्ति पाने के लिए संघर्ष तेज होगी
शोषण जितना बढ़ते जायेगी

क्रांति उतना ही बढ़ते जायेगी
इस क्रांति की राह ही हम सभी को
समाजवाद की मंजिल तक ले जायेगी।।

अबला नहीं है महिला

महिला आज अबला नहीं है
मालेमा के दिशा-निर्देश पर सबला बनकर,
उतर रही है मुक्ति के महासमर में
बढ़ रही है नवजनवादी क्रांति की राह पर।

सदियों से तुमने लूटा है, हमारी श्रम शक्ति को
बाजारों में बेच रहे हो, हमारी इज्जत-अस्मिता को
अभी तुमने देखा नहीं है, नारियों की ताकत को
अब नारी सहेगी नहीं, जालिमों का जुल्म
बढ़ रही है मुक्ति के मार्ग पर
बनकर जन मुक्ति छापामार सेना,
प्यारी जन सेना लड़ रही है,
जालिमों के पंजे को तोड़ने के लिए
जीत लेंगी हर चीजों पर अपना अधिकार
मुक्त हो जाएंगी पितृसत्ता की जाल से।।

अत्याचार अन्तिम बात नहीं

सच्चे क्रांतिकारियों को तुम,
कैद करते हो जेलों में
साजिश के तहत तुम,
सुनाते हो फांसी की सजा।

कितने जालिम व डरपोक हो तुम
क्रांतिकारियों को खत्म कर
लूटना चाहते हो, देश की सम्पत्ति
उतना आसानी से तुम लूट नहीं पाओगे
क्रांतिकारी जनता है तैयार,
तुम्हारे लूट व शोषण को कब्र में देने को।

तुम कहलाते हो जनता का मसीहा
शोषण करते हो जनता का दिन-रात
सेवा करते हो तुम लूटेरे अमीरों का
तुम चला रहे हो अंतिम दमन।

देश के कोने-कोने में जल रही है
क्रांति की लाल मशाल
फैल रही है चारों ओर
शुरू हुई है आवामी जंग
शपथ है शोषणमुक्त भारत बनाने का।।

बन्दूक-तंत्र

लोकतंत्र की आड़ में चल रहा है बन्दूक-तंत्र
जो खुद ही साबित कर रहा है झूठी आजादी को
लोकतंत्र होता तो जनता को बोलने का अधिकार रहता
लोकतंत्र के बदले चला रहे हो तुम बन्दूक-तंत्र।

जनता गोलबंद होकर उतर पड़ी है जंग-ए-मैदान में
नाश करेंगे बन्दूक-तंत्र, तैयार करेंगे सच्चा लोकतंत्र।
तुम्हारी झूठी आजादी का हो गया 72 साल
मेहनतकश मजदूर-किसान नहीं है आज भी आजाद
यह आजादी है सिर्फ मुट्ठी भर जालिमों का।

जालिमों, तुम सुन लो
तुम्हारा अंत है करीब
सारी दुनिया को जीत लेंगे मजदूर-किसान।।

गरीब का दर्द

अमीर क्या जाने, गरीब कैसे जीता है
गरीब जनता काम के लिए
रोज भटकते रहता है
एक दिन काम नहीं मिलने पर
खाली हाथ घर वापस लौटता है
पत्नी-बच्चे, भूखे-प्यासे
उनके घर आने का राह देखते रहता है।

अमीर क्या जाने, गरीब कैसे जीता है
उस गरीब मेहनतकश जनता से पूछो
जो रोज सुबह कुल्हाड़ी पकड़कर

जंगल से लकड़ी काटकर लाता है
10-15 किमी दूर ले जाकर
बाजार में बेचता है
शाम को पुनः चावल-सब्जी लेकर
घर वापस लौट आता है
तभी जाकर घर का चूल्हा जलता है।

अमीर क्या जाने, गरीब कैसे जीता है
उस गरीब मजदूरों से पूछो
दिन-रात दूसरों के घरों में
24 घंटा मेहनत करता है
लेकिन दिन-रात मेहनत करवाकर
सही मजदूरी नहीं देता है,
हाड़-तोड़ मेहनत करके भी
अपना मजदूरी लेने के लिए
झगड़ा करना पड़ता है
अमीर क्या जाने, गरीब कैसे जीता है।।

आओ मिलकर लड़ें

(मूल कविता बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जिसका हिन्दी अनुवाद हम यहां दे रहे हैं।- संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

किसके पेट से जन्मे तुम
कौन दिया खाना
किसके सीने में चलाते हो गोली
कौन दिया पावर?

किसके पसीना बहाए अन्न पर
खाकर जिंदा हो तुम
किसका सम्पत्ति छीन कर
किसको जमीन दे रहो तुम?

किसके लिए भर जिन्दगी
गुलाम बने हो निफिक्र
किसको मारने के लिए
हथियार पकड़े हो तुम?

जो पसीना बहाकर उगाये अनाज
उनको मारते हो तुम
जो गरीबों को लूट कर धनी बने
उसकी सेवा में तैनात हो तुम।

जो देश की धन-सम्पदा को लूटते हैं
उसी की रक्षा करते हो तुम
नौकर बन कर जिन्दगी भर
उनके ही बात सुनते हो तुम
वो जो कहते हैं, वही करते हो तुम
उसके पैर पर अपना सिर झुकाते हो तुम।

महिलाओं के साथ क्यों करते हो
तुम अश्लील व्यवहार
झूठे केश में फंसाकर निर्दोष जनता को
गिरफ्तार कर जेल भेजते हो तुम।

तुम भी तो होगे, किसी किसान का बेटा
जन्म तुम्हारा हुआ होगा किसान घर में
भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान को
गोली मारते हो क्यों तुम?

किसके हुक्म पर जाते हो अभियान में
किसको देखकर गोली चलाओगे
आदमी या जानवर पर?
पुलिस की नौकरी करके
बदला है तुम्हारा व्यवहार
अपने वर्ग को भूल गये
बने हो शासक वर्ग के पहरेदार
कौन तुम्हारा असली दुश्मन

कौन तुम्हारा दोस्त?

जिस आदर्श को लेकर कम्युनिस्ट
देते हैं शहादत
भले ही कम्युनिस्ट को मार सकते हो
लेकिन उनके आदर्श को नहीं मार सकते
तुम्हारा कोई आदर्श नहीं
तुम हो खूनी, अत्याचारी
तुमलोगों को समाज घृणा करते
तुम हो किसानों के हत्यारे
तुम समाज को ध्वस्त करते हो
हम माओवादी करते है उसकी रक्षा
तुम्हारा हथियार डकैतों का हथियार
हमारा हथियार डाक्टरों का औजार।

तुम्हारे मरने से कोई नही रोयेंगे
सभी बजायेंगे ताली
घृणित भाषा में सब कोई मिलकर
देंगे तुमलोगों को गाली
हमारे मरने से देश रोयेगी
जनता सड़क पर उतरेगी
प्रतिवाद के आग जलेंगे
किसानों के गांव-गांव में।

रूपया के खातिर जान गंवाते
शासक वर्ग के तुम गुलाम बने
तुम्हे कोई शहीद नहीं कहेगा
स्वेच्छा से सलाम नहीं करेगा
वर्ग संघर्ष व मुक्ति युद्ध में
हम देते है बलिदान
देश, जाति, जनता इसलिए
हमें देती है शहीदों का सम्मान।

जो हमारे देश का दुश्मन
जो शोषित वर्ग का दुश्मन
उसी के शरीर-सम्पत्ति के खातिर
तुम दांव पर लगाते हो अपना जीवन
असली दुश्मन को पहचान कर
हथियार का टारगेट घुमाओ
जो देश, समाज, सभ्यता को लूटते हैं
मारना है तो उन्हें मारो
देश, जाति, जनता को प्यार करो
अपने वर्ग की लड़ायी लड़ो
मजदूर-किसानों का दोस्त बनकर
जनता की सेवा करो।

साधारण पुलिस हमारे दुश्मन नहीं हैं
वो हमारे वर्ग-विरादरी के हैं
वर्ग दुश्मन हमें लड़ा रहा है
भाई-भाई से, विरादरी से
आओ हमारे भाइयों, हाथ से हाथ मिलाएं
एकता बनाएं युद्धभूमि में
लड़कर छीन लेगें हम-तुम
देश की आजादी
आओ, हम सब एक साथ मिलकर
दुश्मन के विरोध में लड़ेंगे
शासकों के राज को ध्वस्त कर
नव-जनवादी समाज बनायेंगे।।

पीएलजीए दिवस के अवसर पर पीएलजीए के वीर योद्धाओं द्वारा रचित तीन कविताएं

1.
मैं पीएलजीए की एक सदस्य हूँ

मैं जनमुक्ति छापामार सेना की एक सदस्य हूँ
मैं दलित हूँ, गरीब हूँ, सर्वहारा हूँ

नहीं घबड़ाती हूँ मैं, दुश्मन के हमले से
गोलियों की गड़गड़ाहट की से, युद्ध के तापमान से।

मालेमा का सिद्धांत दिखाती है राह मुझे
आगे बढ़ने में, सफलता हासिल करने में
बिना डरे युद्ध जीतने में
मैं दलित हूँ, गरीब हूँ, सर्वहारा हूँ
मैं पीएलजीए की एक सदस्य हूँ।

मत रोको मुझे, मैं रूकना नहीं जानती
मत डराओ मुझे, मैं डरना नहीं जानती
'मिशन समाधान' से, मैं नहीं घबड़ाती
तोप और मोर्टर की आवाज से, नहीं डरती
मैं दलित हूँ, गरीब हूँ, सर्वहारा हूँ
मैं पीएलजीए की एक सदस्य हूँ।

न कोई घर है मेरा, न कोई गांव है मेरा
न कोई शहर है मेरा, न कोई बंगला है मेरा
है तो जीतने को सारी दुनिया है मेरा,
मैं दलित हूँ, गरीब हूँ, सर्वहारा हूँ
मैं पीएलजीए की एक सदस्य हूँ।

परिचित-अपरिचित देश की जनता को,
भूखी-दुखी किसान-मजदूरों को
गोलबंद करती हूँ मैं
इस सड़ी-गली समाज को तोड़कर
चाहती हूँ हम नया समाज बनाने को
चाहती हूँ मजदूर-किसान का राज लाने को।।

कामरेड पंकज दा

का. पंकज दा एक क्रांतिकारी लाल योद्धा थे आप
जनता का सेवक थे आप
सब कामरेड के दुख-सुख में पूछते रहते थे आप
पढ़ाई लिखाई में और जनता के साथ मीटिंग करने में
हर समय आगे रहते थे आप
गांव में जाने से बच्चा-बच्चियों के साथ,
बूढ़ा-बूढ़ियों के साथ, नवयुवक-नवयुवतियों के साथ
घुल-मिल जाते थे आप।

आपका नाम सुनते ही
दुश्मन का धड़कन तेज हो जाता था
सरेंडर होने के लिए कितना बार दबाव बनाया
फिर भी सर नहीं झुकाये आप
आखिरकार 17 जून, 2017 को बाभन पहाड़ी पर
पुलिस के साथ मुठभेड़ में बहादुरी के साथ लड़ते हुए
अपने जान को कुर्बान कर दिए आप
आपके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए
प्रयास करेंगे हम सब पीएलजीए
पूरा करेंगे शोषित-उत्पीड़ित जनता
हां, पूरा करेंगे शोषित-उत्पीड़ित जनता।।

लाल झण्डे को कभी झुकने न देंगे हम

दुनिया में पार्टी तो बहुत है
पर, हमको माओवादी पार्टी पसन्द है
दुनिया में सिद्धांत तो बहुत है
पर, हमको मालेमा सिद्धांत पसन्द है
दुनिया में सेना तो बहुत है
पर, हमको पीएलजीए सेना पसन्द है।

2 से 8 दिसम्बर तक पीएलजीए स्थापना दिवस है
हर जगह स्थापना दिवस मनाने का दिन है
हमारे लिए खुशी का दिन है
फूल माला और पोस्टरों से मैदान को सजायेंगे
जनता के लिए शहीद हुए साथियों के नाम पर
लाल सलाम का नारा बुलंद करेंगे
इंटरनेशनल गाते-गाते झण्डा को फहरायेंगे।

झण्डा हमारा लाल है
वीर शहीदों के खून से लाल है
इस झण्डा तले शपथ लेते हैं आज हम
शहीदों के सपनों को पूरा करने का शपथ लेते हैं हम
लाल झण्डे को कभी झुकने न देंगे हम
सदा उँचा उठाये रखेंगे लाल झण्डे को हम।।

महत्वपूर्ण बुकलेट, पर्चे व प्रेस विज्ञप्तियां

इआरबी द्वारा जारी आगामी लोकसभा चुनाव बहिष्कार से संबंधित बुकलेट

संसदीय चुनाव का बहिष्कार करें
एक जनवादी, संघीय भारतीय गणतंत्र के निर्माण के लिए नव जनवादी क्रान्ति को सफल करें
जनता के तमाम आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों की गारंटी करने में सक्षम एक विकल्प व सुसम्बद्ध कार्यक्रम को अमल में लावें

प्यारे मेहनतकशो व दोस्तो,

आगामी लोकसभा चुनाव का डंका बज उठा है। डंका बजते ही शुरू हो गई विभिन्न चुनावबाज पार्टियों की पैंतरेबाजी व उछल-कूद। ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा-नीत एनडीए और कांग्रेस-नीत यूपीए सहित विभिन्न पार्टियां चुनाव जीतने की होड़ में अलग-अलग गठजोड़ बनाने में व्यस्त हो पड़ी हैं। वादाबाजी-जुमलाबाजी-भाषणबाजी और एक-दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने वाली बयानबाजी का शोर चारों ओर गूंज रहा है। जुमलाबाज मोदी सरकार और मोदी के सिपहसलार तो पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान 'अच्छे दिन आयेंगे' की उपलब्धियां गिनाते रहे और डींग हांकते रहे। जबकि हकीकत विपरीत तस्वीर यानी 'अंधेर नगरी, चौपट राजा' जैसी बात को ही उजागर कर रही है, ऐसी स्थिति में आप, हम और आम जनता क्या करेंगे? क्या और एकबार वोट डाल कर वही बीजेपी-कांग्रेस जैसी शासक पार्टियों को गद्दी में बैठाएंगे, जिनलोग तथाकथित आजादी के बाद से आज तक सरकार की गद्दी पर रहकर कारपोरेट घराने-बहुराष्ट्रीय संस्था, दलाल बड़ा पूंजीपति व सामन्ती भूस्वामी-महाजन-सूदखोरों के शोषण-जुल्म को बरकरार रखने के लिए उनके विश्वस्त दलाल की भूमिका पालन करते आ रहे हैं।

इस सवाल पर एक सही निर्णय लेने के लिए आप सभी के पास तथाकथित आजादी के बाद से आज तक हमारे देश में आम जनता की जीवन-स्थिति सहित पूरे देश की ठोस स्थिति क्या है और क्यों है, उसका एक संक्षिप्त विवरण पेश किया जा रहा है। हमारी अपील है कि आप इस पर सोचें और उचित फैसला लें। वह विवरण है :

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया की स्थिति ऐसी न रही कि साम्राज्यवादी देश उपनिवेशों में प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन चला सके। तब दुनिया में नव औपनिवेशिक शोषण का दौर शुरू हुआ। 1947 में हमारे देश भारत में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन खत्म हुआ। देश को औपचारिक (नकली) आजादी मिली, पर एक बहुत बड़ी कीमत पर। धर्म के नाम पर, अंग्रेजों के षड़यंत्र के परिणामस्वरूप व देशी दलाल शासकों के मिलीभगत से, अभूतपूर्व खून-खराबे के बाद देश का विभाजन हुआ। भारत का बड़ा पूंजीपति वर्ग व जमीन्दार वर्ग पूरे औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के दलाल, मददगार व विश्वस्त सेवक बने रहे व अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीय जनता का शोषण करते रहे। इन्हीं दलाल पूंजीपतियों व जमीन्दारों के हाथों सत्ता का हस्तांतरण हुआ व इन शासक वर्गों की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस सत्ता में आई। इस तरह भारत एक अर्द्ध-औपनिवेशिक व अर्द्ध-सामंती देश में तब्दील हो गया। बड़े पूंजीपति व सामन्तों की इस सरकार ने राज्य के विकास के लिए ऐसी नीति अपनायी जिससे साम्राज्यवादी (विदेशी) पूंजी व तकनीक पर देश की निर्भरता बढ़ती गयी। प्रशासन, राजनीति, संस्कृति, न्यायपालिका, सेना आदि में औपनिवेशिक ढांचा व कायदे-कानून बहुत हद तक अक्षुण्ण बने रहे, उनका कोई जनवादीकरण नहीं हुआ। संसद, जिसे भारतीय जनता के प्रतिनिधियों की सभा कहा गया, दरअसल 47 के बाद में भारत के सबसे बड़े झूठों में से एक है। संसद में लिये गये फैसलों देशी-विदेशी कुछ बड़े उद्योगपतियों व उनके तरफदार कुछ कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा लिये गये फैसले होते हैं। संसद में किसी बिल के पास होने न होने का फैसला संसद के बाहर पैसा व ताकत के खेल से तय होता है। नेहरू के नेतृत्व में बनी सरकार ने पूंजीपतियों द्वारा बनाये गये प्लान को अपनाते हुए पहले पंचवर्षीय योजना की शुरूआत की। तब मंदी व विश्वयुद्ध से टूट चुके व तत्कालीन सोवियत समाजवादी

गणराज्य के प्रभाव व विकास से घबड़ाये साम्राज्यवादियों ने बुर्जुआ अर्थशास्त्री कींस का नुस्खा मान राजकीय (सार्वजनिक, सरकारी) पूंजी की भागीदारी अर्थव्यवस्था को अमली जामा पहनाने की शुरूआत की व एक 'कल्याणकारी' पूंजीवादी राज्यों का ढोंग सामने लाया। तब भारत की अर्थव्यवस्था भी बुरे हाल में थी। ठहरी हुई बाजार व्यवस्था, औद्योगिक विकास के ढांचागत सुविधाओं व उसके लिए पूंजी के अभाव ने शासकों के सामने राजकीय पूंजी की बड़े पैमाने पर जरूरत को सामने लाया। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम पर निजी व सार्वजनिक क्षेत्र अस्तित्व में आये, जो साम्राज्यवादी बाजार, उनकी पूंजी (कर्ज) व तकनीक के उपर आश्रित थे। सरकारी देख-रेख में, इसी बीच तथाकथित आजादी के बाद लगभग 70 सालों के अंदर 12वीं पंचवर्षीय योजना पर अमल भी लगभग पूरा हो गया। पर इन पंचवर्षीय योजनाएं साम्राज्यवाद व सामंती भूस्वामी और दलाल पूंजीपतियों को मजबूत करता गया। 'कल्याणकारी राज्य' का दावा करने के बावजूद शिक्षा, चिकित्सा व अन्यान्य सेवा जैसे लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं पर खर्च घटते गये। तंगहाली व भुखमरी बढ़ती गयी।

जाहिर है कि विश्व आर्थिक संकट और साम्राज्यवाद निर्देशित नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों पर अमल के चलते देश के आर्थिक विकास समेत हर क्षेत्र में विकास को धक्का लगा। उदाहरण के लिए हमारे देश में पिछले दो-ढाई दशकों से आर्थिक असमानताएं तेजी से बढ़ रही हैं। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं जबकि गरीब और ज्यादा गरीब बन रहे हैं। 2017 में भारत में कुल उत्पन्न संपति का 73 प्रतिशत हिस्सा देश के एक प्रतिशत सबसे अमीर लोगों के नाम रहा। अब भारत में अरबपतियों की संख्या 101 हो गई है। दूसरी ओर भारत की 99 प्रतिशत आबादी बाकी बचे 27 प्रतिशत में अपना हिस्सा पाने के लिए व अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए लड़ रही है। इसके परिणामस्वरूप, आबादी का 77 प्रतिशत से भी अधिक गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है (अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी की रिपोर्ट से पहले ही इसकी पुष्टि हो गयी है)। इसका मतलब यह है कि गरीबी रेखा के नीचे जी रही आबादी रोजाना 20-25 रुपए भी खर्च नहीं कर पाती। दूसरी ओर, मित्तल, जिंदल, अडाणी, अम्बानी बंधु, टाटा, बिड़ला, रुइया, इन्फोसिस नारायणमूर्ति, जीएमआर आदि धनाढ्य विश्व के अरबपतियों के जमात में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, हजारों लाखों करोड़ रुपए का काला धन स्विस बैंकों और अन्य विदेशी बैंकों में जमा किया जा रहा है। इसकी बहुत-सी मिसाल इसी बीच सामने आयी हैं। बेशक, ये आर्थिक असमानताएं और ज्यादा बढ़ेंगी और गरीबों तथा अमीरों के बीच खाई और ज्यादा चौड़ी हो जाएगी।

इस तीखे संकट के लक्षण को महंगाई के रूप में साफ तौर पर देखा जा सकता है जिसके तहत पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलिंडरों, उर्वरकों, रोजमर्रा की जरूरी सामान तथा चावल, गेंहू, दलहनों, तेल, आलू, प्याज और सब्जियां आदि सभी खाद्य सामग्री की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी की गई। दरअसल खाद्य सामग्री और अन्य चीजों के दाम इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि वे गरीबों और मेहनतकशों और यहां तक कि निम्न मध्यम वर्ग की क्रयशक्ति के दायरे से बाहर हो गए।

देश में नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिए एमओयू (संधि-पत्रों यानी केन्द्र व विभिन्न राज्य सरकारें तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के बीच समझौतों) पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और उन्हें तेजी से अमल में लाया जा रहा है। इन एमओयू पर अमल के खिलाफ उठने वाले किसी भी प्रकार के संघर्ष को कुचलने के लिए तमाम किस्म के क्रूर तरीके अपनाए जा रहे हैं और चूंकि खनिज सम्पदा से भरा दूर-दराज के आदिवासी बहुल पहाड़ी-जंगली क्षेत्र में भाकपा (माओवादी) की रहनुमाई में जल-जंगल-जमीन-इज्जत व तमाम अधिकारों को हासिल करने के लिए क्रांतिकारी संघर्ष जारी है, इसीलिए शासक पार्टियों द्वारा 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' व 'मिशन-समाधान' के नाम से जनता पर बर्बर युद्धाभियान चलाये जा रहे हैं। इसलिए खदानों, बांधों, थर्मल परियोजनाओं, भारी परियोजनाओं, उद्योगों, एसईजेड, हवाई अड्डों, रियल एस्टेट, पार्कों, बाघ परियोजनाओं आदि के निर्माण के चलते लाखों किसान, आदिवासी, गरीब और मेहनतकश जनता, यहां तक कि मध्यम वर्गीय जनता को अपनी जमीनों व आवासों से विस्थापित होना पड़ रहा है। अखबारों और पत्रिकाओं में छपी खबरों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में 10 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं और आने वाले सालों में कई लाख लोग भी विस्थापन होने वाले हैं। अगर उपरोक्त संख्या में लोग पूरी तरह विस्थापित कर दिए जाते हैं तो उन्हें लाखों एकड़ उपजाऊ कृषि जमीन से और लाखों एकड़ वन भूमि से हाथ धोना पड़ेगा।

इधर केन्द्र व राज्य सरकारों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों, राजनीतिक नेताओं, बड़े बिल्डरों, जमीन माफिया और बड़े ठेकेदारों द्वारा जारी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जनता के जुझारू आन्दोलनों को देखते हुए प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग एक नया 'जमीन अधिग्रहण कानून' लाया है। जनता को धोखा देने के लिए यह प्रचारित किया जा रहा है कि जमीन पर

अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने में जनता को यह कानून सहायता करेगा। लेकिन वास्तव में अगर इस कानून को अमल में लाया जाए तो जमीन पर आदिवासियों, दलितों और किसानों के अधिकारों पर गंभीर और नकारात्मक असर पड़ेगा। जिसकी ताजा मिसालें अभी भारत के विभिन्न प्रांतों में दिखाई पड़ रही है।

फिर, पिछले कुछ सालों से हजारों-लाखों करोड़ रुपयों के भारी घोटाले एक के बाद एक उजागर हो रहे हैं, जो नव-उदारवादी नीतियों द्वारा प्रेरित हैं और जिसकी ताजा मिसाल मोदी सरकार द्वारा किया गया राफेल विमान संबंधी करार है। इन घोटालों ने विभिन्न शासक वर्गीय पार्टियों, उनके बड़े नेताओं, नौकरशाहों, बड़े अधिकारियों, पुलिस व सेना के अफसरों को नंगा कर दिया।

हमारी पार्टी मानती है कि समस्याओं की जड़ इन तथाकथित लोकतंत्र व मौजूदा शोषणमूलक व्यवस्था की बुनियाद में है। भारत की जनता ने केन्द्र में व प्रांतों में कई सरकारों को बदला। पर फायदा क्या हुआ? वर्तमान तंगहाली बेरोजगारी व भुखमरी किसी एक सरकार के कारण नहीं बल्कि पिछले 70/71 सालों से शासक वर्गों के विभिन्न सरकारों द्वारा ली गयी नीतियों का परिणाम है। हमारी पार्टी इस शोषणमूलक व दमनकारी व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के लिए संघर्षरत है। विधायिका के लिए चुनाव इस व्यवस्था के बुनियादी आधार अर्द्ध-उपनिवेशवादी, अर्द्ध-सामंतवादी एवं आर्थिक-सामाजिक संरचना को बदले बिना सरकारों को बदलती है। यह सिर्फ मुखौटा बदलने के बराबर है। हम दीर्घकालीन लोकयुद्ध के जरिये भारत के शासकों-दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों (बड़े पूंजीपति) व जमीन्दारों व उनके आका साम्राज्यवाद की सत्ता खत्मकर शोषित-उत्पीड़ित जनता यानी मजदूर, किसान, पेट्टी बुर्जुआ (छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसायी, साधारण सरकारी व प्राइवेट कर्मचारी आदि) व राष्ट्रीय बुर्जुआ (छोटे व मंझोले उद्योगपति) के संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसी सरकार नव जनवादी क्रान्ति सफल होने के बाद ही बन सकती है। यह नई जनवादी सत्ता राजनीति व अर्थव्यवस्था का आधार ही बदल देगी व एक आत्मनिर्भर, जनवादी व स्वतंत्र भारत का निर्माण करेगी व उसे मजबूत करेगी। ऐसा भारत सचमुच धर्मनिरपेक्ष व विभिन्न राष्ट्रीयताओं का स्वैच्छिक संघ होगा। भारत को ऐसा बनाने के लिए क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा की सरकार के नेतृत्व में नव जनवादी सत्ता विभिन्न क्षेत्रें में जो कदम उठायेगी, उसकी एक अति संक्षिप्त झलक हम प्रस्तुत कर रहे हैं। वे हैं :

एक नये संविधान की आवश्यकता

सर्वप्रथम नये व्यवस्था के लिए नये संविधान का होना जरूरी है। दरअसल वर्तमान भारतीय संविधान ही वह आधार प्रदान करता है जो न सिर्फ पूंजी के असीम भंडारण व उससे उपजे समृद्धि व निर्धन की विशाल इकाई को बरकरार रखता है बल्कि यही भारतीय समाज के अन्य अन्तरविरोधों को भी जिन्दा रखता है या जन्म देता है, जैसे : खेती में अर्द्ध-सामंती सम्बंध, उद्योग-धंधों में दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों की भूमिका, भारतीय अर्थव्यवस्था का अर्द्ध-औपनिवेशिक व अर्द्ध-सामंती चरित्र, केन्द्र-राज्य के बीच अन्तरविरोध, एक पाखंडपूर्ण संघीय गणराज्य, राष्ट्रीयताओं का उत्पीड़न, साम्प्रदायिक व जातीय उत्पीड़न, जबरदस्त भेदभाव व महिलाओं के साथ पितृतांत्रिक आचार-आचारण, 'बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ' नारा की आड़ में ही यानी अल्पसंख्यकों व दलित-आदिवासी पर उत्पीड़न आदि। इन अन्तरविरोधों को हल करने हेतु एक संवैधानिक आधार अनिवार्य है। इसलिए एक नया संविधान लिखे जाने की आवश्यकता है। क्रान्ति के बाद बना नव जनवादी राज्य नये संविधान पर आधारित होगा। यह संविधान जनता की जनवादी सरकार व्यापक मेहनतकश जनता के लिए सभी तरह की स्वतंत्रता एवं अधिकार की गारंटी करेगी। यह हर समय जनता के हितों की रक्षा करेगी। यह जनता के लिए निम्नलिखित मूलभूत अधिकारों की भी गारण्टी करेगी-

1. अभिव्यक्ति (बोलने, लिखने, प्रकाशन) का अधिकार,
2. रैली-जुलूस व सभा करने का अधिकार,
3. संगठन बनाने का अधिकार,
4. हड़ताल एवं प्रदर्शन करने का अधिकार,
5. प्राथमिक स्वास्थ्य-सेवा पाने का अधिकार,
6. प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार,
7. प्राथमिक रोजगार हासिल करने का अधिकार,
8. न्यूनतम रोजगार हासिल करने का अधिकार,
9. रोज दिन शासन प्रणाली में हिस्सा लेने का अधिकार,
10. सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार।

एक मुक्त कृषि क्षेत्र

नव जनवादी राज्य कृषि में शोषणमूलक अर्द्ध-सामंती उत्पादन-सम्बन्धों को खत्म करेगा व साम्राज्यवाद, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कृषि की निर्भरता खत्म कर वास्तविक कृषि विकास करेगा। अभी देश की कुल खेती योग्य जमीन का 30 प्रतिशत जमीन्दारों के कब्जे में हैं तथा कुल किसानों में से 65 प्रतिशत भूमिहीन गरीब किसान हैं जिनकी जोत एक हेक्टेयर से भी कम है। नव जनवादी राज्य जमीन्दारों, मठाधीशों की सारी जमीन जब्त

करेगा व 'जोतने वालों को जमीन' के आधार पर भूमिहीन, गरीब किसानों व खेतिहर मजदूरों के बीच अतिरिक्त जमीन का बंटवारा करेगा। यह भूमिहीन व गरीब किसानों के सारे सरकारी (बैंक) व साहूकारी कर्ज को रद्द कर देगा व व्यापार धंधों को अपने नियंत्रण में लायेगा। यह सहकारी खेती को प्रोत्साहन देगा। जनता का श्रम व पूंजी ही इस सहकारिता के मुख्य संघटक होंगे जबकि इसमें कुंजीवत पहलू श्रम है। उपभोक्ता व ऋणदाता सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। यह पूंजीवादी फार्मरों के बड़े फार्म, कारपोरेट सेक्टर्स के फार्म, फार्म हाउस व बागान आदि की सारी जमीन जब्त कर उनपर सामूहिक खेती कराये जाने को प्राथमिकता देगा।

सिंचाई व बिजली उत्पादन के लिए यह राज्य किसानों तथा जनता से सलाह-परामर्श कर बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं के बजाय जमीन के बनावट के अनुसार छोटी-छोटी परियोजनाओं को प्रश्रय देगा ताकि पर्यावरण के नुकसान व विस्थापन से बचा जा सके। किसी बड़ी परियोजना को अनिवार्यत: स्थानीय जनता की सहमति से व पर्यावरण का ख्याल रखकर ही बनाया जायेगा।

बाजार के उतार-चढ़ाव व कर्ज के बोझ से यह किसानों को आजाद करेगा तथा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्यों में उचित ढंग से वृद्धि करेगा। यह विश्व व्यापार संगठन से बाहर आयेगा व किसान विरोधी हर घरेलू नीतियों को खारिज कर देगा। खेती में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोषणकारी घुसपैठ को बंद किया जायेगा। खेती में नपुंसक संकर बीजों व बंजर बनाने वाले कृषि आगतों को प्रतिबंधित किया जायेगा और मिट्टी व जलवायु को ध्यान में रखकर देशी बीजों व खादों के प्रयोग एवं उसके अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जायेगा। यह कृषि में जरूरी चीजों में सहकारी समितियों व छोटे किसानों को सब्सिडी देगा। यह सबसे पहले खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनायेगा व सब्सिडी देकर सस्ते दामों पर खाद्यान्न के बंटवारे को सुनिश्चित करेगा।

यह सरकारी योजनाओं में खेती पर खर्च को बढ़ायेगा व इसे प्राथमिकता देगा।

एक आत्मनिर्भर व स्वतंत्र उद्योग क्षेत्र

नव जनवादी राज्य उद्योग धंधों को साम्राज्यवादी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त कर देगा व इसे आत्मनिर्भर बनायेगा। यह साम्राज्यवादी व दलाल बड़े पूंजीपतियों की तमाम औद्योगिक व बैंकिंग पूंजी, सटोरियों की पूंजी, उनके जमीन, भवन, बागान आदि, बड़े नौकरशाहों की अकूत संपत्ति व बैंकों में उनकी जमा राशि को जब्त करेगा। यह बड़े पूंजीपतियों, विदेशी पूंजीपतियों के तमाम फैक्टरियों, बैंकों, इन्श्यूरेंश कंपनियों, अन्य वित्तीय निगमों, आर. डी. विभागों आदि का राष्ट्रीयकरण कर देगा। यह बड़े उद्योगों में किसी भी किस्म के निजी पूंजी के अस्तित्व को खत्म कर देगा। यह शासक वर्गों द्वारा किसी भी साम्राज्यवादी वित्तीय संस्था या देश से लिये गये कर्जों को (जो दरअसल उन्हें मोटा करने में खर्च हुए हैं) को रद्द कर देगा। यह आईएमएफ, विश्व बैंक आदि साम्राज्यवादी संस्थानों से किये गये उन समझौतों को भी रद्द कर देगा जो हमारे उद्योग को निर्भरशील व परजीवी बनाते हैं। यह निजीकरण व उदारीकरण के साम्राज्यवादपरस्त नीतियों को खारिज कर देगा। यह आमतौर पर सरकारी पूंजी को मजबूत करते हुए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रें में पूंजी के संचयन पर एक सिलिंग लगायेगा।

कृषि को आधार बनाकर ही उद्योगों की स्थापना व विकास होगा। यह श्रम आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा।

आज संगठित क्षेत्र में मात्र 7.26 प्रतिशत लोग कार्यरत हैं। यह उद्योगों में रोजगार को प्राथमिकता देगा, न कि मुनाफे को। यह मजदूरों के सन्दर्भ में कहीं भी ठेका प्रथा को समाप्त करेगा। यह महिला व पुरूष के लिये समान मजदूरी दर कायम करेगा और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ हो रहे यौन-उत्पीड़न को पूरी तरह बंद करने खातिर उचित कदम उठायेगा। यह बाल मजदूरी को पूरी तरह खत्म कर देगा।

नव जनवादी राज्य तमाम सेज (विशेष आर्थिक जोन) को रद्द कर देगा।

नवगठित सरकार छोटे व मंझोले उद्योगों को संरक्षण देगा। राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के उद्योग धंधों को सीमित व नियंत्रित करेगा व उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य के बहुमुखी विकास के लिए सहकारिता आन्दोलन को भरपूर प्रोत्साहन दिया जायेगा।

एक वास्तविक स्वैच्छिक संघ का निर्माण

नव जनवादी राज्य बन्दूक के बल पर किसी भी राष्ट्रीयता को भारतीय संघ में रखने का हिमायती नहीं देगा जैसा कि अभी किया जा रहा है। कश्मीर को 5 लाख से अधिक भारतीय फौज ने बूटों से रौंद रखा है। मणिपुर, नागालैंड व असम समेत तमाम उत्तर-पूर्वी प्रांतों को वस्तुत: सैनिक राज्य में तब्दील कर दिया गया है। नवगठित राज्य तमाम राष्ट्रीयताओं के अलग होने के अधिकार सहित आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देकर तथा उन सबों को समान मर्यादा देकर समानता के आधार पर देश को एकताबद्ध करेगा। जो राष्ट्रीयता भारतीय संघ में रहना चाहेंगे उन्हें-रक्षा मामले, विदेश नीति, मुद्रा का चलन आदि पर छोड़ तमाम आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक मामलों में स्वायत्तता

(स्वशासन) रहेगी। इस तरह जनवाद व आपसी सहमति पर आधारित होकर संघीय गणराज्यों के स्वैच्छिक संघ की स्थापना यह राज्य करेगा। यह राज्य सभी राष्ट्रीयताओं के भाषाओं को समान दर्जा देगा। यह बिना लिपि की भाषाओं के विकास में सहायता करेगा। राष्ट्रभाषा या सम्पर्क भाषा के नाम पर या किसी भी रूप में यह राज्य दूसरी राष्ट्रीयताओं पर किसी भी भाषा को नहीं थोपेगा, बल्कि सर्वसम्मति से एक आम रूप से स्वीकृत भाषा का विकास करने का प्रयास करेगा।

एक वास्तविक धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण

धर्मनिरपेक्ष होने की संवैधानिक घोषणा के बावजूद भारतीय सत्ता 'हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान' के अंधराष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है। नव जनवादी राज्य किसी भी किस्म की सांप्रदायिकता, खासकर बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता, व राज्य के सांप्रदायीकरण के खिलाफ है। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार व धर्म-आधारित सामाजिक असमानताओं को समाप्त करेगा। यह उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये विशेष नीतियों को लागू करेगा। यह धार्मिक मामलों में राज्य की दखलंदाजी समाप्त करेगा। साथ ही यह राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म के इस्तेमाल पर रोक लगायेगा। यह धर्म को मानने और न मानने की व्यक्तिगत आजादी की गारंटी करेगा।

एक जनवादी संस्कृति का निर्माण

भारतीय समाज हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी जाति में विभाजित ब्राह्मणवादी सामाजिक रीति व अंध कुसंस्कारों पर आधारित एक समाज रहा है। ब्राह्मणवाद यहां के सामन्तवाद की सांस्कृतिक रीढ़ है। नवगठित राज्य घृणास्पद जातिप्रथा, जहां जन्म के आधार पर सामाजिक तौर पर ऊंच-नीच तय होता है, छुआछूत, भेदभाव को पूर्ण रूप से खत्म करने की ओर आगे बढ़ेगा और यह तबतक दलितों व सामाजिक रूप से सभी उत्पीड़ित जातियों की उन्नति के लिए आरक्षण सहित विशेष सुविधाओं को सुनिश्चित करेगा। यह जातीय भेद-भाव करने वालों के साथ कड़ाई से निबटेगा।

यह आदिवासियों के साथ किये जा रहे भेदभाव को खत्म करेगा। यह जल, जंगल व जमीन पर आदिवासियों-मूलवासियों के सामूहिक स्वामित्व को मान्यता देगा व उसका जन हित में इस्तेमाल हो, इसके लिए उन समुदायों को प्रोत्साहित करेगा। यह सभी आदिवासी समुदायों से सम्पूर्ण विकास के लिए उन्हें विभिन्न स्वायत्तताएं सुनिश्चित करेगा और तदनुसार विशेष नीतियां लागू करेगा।

यह पैसे को सर्वस्व मानने वाले तमाम साम्राज्यवादी मूल्यों, उपभोक्तावादी संस्कृति आदि के खिलाफ जनपक्षीय सांस्कृतिक अभियान चलायेगा।

यह क्षरणशील सामंती, औपनिवेशिक व साम्राज्यवादी संस्कृति के स्थान पर जनवादी व प्रगतिशील संस्कृति को स्थापित करेगा।

एक सही लोकतांत्रिक राज्य व स्वस्थ केन्द्र-राज्य संबंध

यह नया राज्य सभी स्तरों पर जनता के जनवादी संविधान के अनुसार और उसके आधार पर क्रान्तिकारी जन समितियों और जन सरकारी परिषदों के द्वारा जनता की राजनीतिक सत्ता को स्थापित करेगा। धूर्त प्रतिक्रियावादियों को छोड़कर प्रत्येक नागरिक को, जो 18 वर्ष का हो चुका है/चुकी है, सभी स्तरों पर चुनने व चुने जाने का और निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होगा। यह प्रतिनिधि सभाओं को गप्पबाजी का अड्डा व दिखावे का दांत नहीं, सही कामकाजी सत्ता केन्द्र के रूप में विकसित करेगा। यह भारत की राजनीति, शासन व संस्कृति में विद्यमान सभी औपनिवेशिक ढांचों, कानूनों व प्रभावों को खत्म कर देगा।

सभी लोगों के लिए अभिव्यक्ति के अधिकार पर इकट्ठा होने, संगठित होने और हड़ताल व प्रदर्शन करने के अधिकारों जैसे जनवादी अधिकारों को यह राज्य सुनिश्चित करेगा। यह राजसत्ता पर जनता के नियंत्रण के अधिकार को तथा रोजदिन की शासन-प्रणाली में हिस्सा लेने के अधिकार को सुनिश्चित करेगा तथा इस अधिकार को घटाने की हर कोशिश को रोकेगा।

यह केन्द्र व प्रांत के बीच अत्यंत गैर-बराबरी पूर्ण रिश्तों को खत्म करेगा। यह विभिन्न कमीशनों के सकारात्मक सुझावों के आधार पर केन्द्र व प्रांत के बीच लोकतांत्रिक माहौल को कायम कर प्रांतों को यथासंभव अधिकार देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगा और केन्द्र व प्रांत के बीच मौजूदा मालिक-सेवक के रिश्ते को खत्म करेगा।

यह पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयासों के जरिये क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करने की ओर आगे बढ़ेगा।

महिलाओं को समान अधिकार

यह महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यह पुरूष-प्रभुत्व तथा पितृसत्ता को समाप्त करने के लिए संघर्ष करेगा। यह जमीन सहित तमाम सम्पत्ति पर उनके समान अधिकार की भी गारंटी करेगा। यह सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, रंगभेद आदि महिला विरोधी कुप्रथाओं को प्रतिबन्धित करेगा व इन कार्यों सहित छेड़छाड़ व

बलात्कार जैसे कुकर्मों में लिप्त पाये गये दोषियों को उचित सजा देगा। यह उपभोक्तावाद व महिलाओं को माल के रूप में इस्तेमाल करने के हर साम्राज्यवादी-पूंजीवादी प्रथा जैसे: नंगे विज्ञापन, सौन्दर्य प्रतियोगिता आदि को प्रतिबंधित करेगा। यह राज्य वेश्यावृति में लिप्त महिलाओं का पुनर्वास करेगा और उन्हें सामाजिक मान्यता दिलवायेगा। यह महिलाओं को घरेलू कामकाज के जेल से मुक्त करायेगा व सामाजिक उत्पादन व अन्य गतिविधियों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा।

एक वास्तविक कल्याणकारी राज्य

यह रोजगार, शिक्षा व चिकित्सा के अधिकारों को बुनियादी अधिकारों के रूप में सुनिश्चित करेगा व बेरोजगारी को खत्म करने की ओर आगे बढ़ेगा। यह अभिजात्य केन्द्रित व देशी-विदेशी बड़ी पूंजी की सेवा करने के उद्देश्य से बनायी गयी शिक्षण पद्धति को यानी व्यापारीकरण व भगवाकरण करने की साजिश को खत्म कर एक जनवादी, सर्वसुलभ, देशज हितों व विशेषताओं को ध्यान में रखने वाली शिक्षण पद्धति को विकसित करेगा। यह राज्य बेकारी भत्ता और सामाजिक बीमा लागू करेगा तथा लोगों के लिए बेहतर जीवन यापन की स्थिति सुनिश्चित करेगा।

वह शारीरिक रूप से विकलांगों, मानसिक रूप से अक्षम व विकलांगों, बुजुर्गों व अनाथों तथा अपंगता से ग्रस्त अन्यान्य लोगों को उपयुक्त आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा तथा एक स्वस्थ सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण मुहैया करायेगा।

यह सभी लोगों के लिए खासकर मजदूरों, किसानों व अन्यान्य मेहनतकश जनता के लिए उत्तम स्वास्थ्य व मुफ्त चिकित्सा की सुनिश्चित प्रदान करनेवाली एक जनमुखी चिकित्सा प्रणाली को लागू करेगा। मुनाफा के लिए चलाये जा रहे निजी नर्सिंग होम को प्रतिबंधित किया जायेगा व चिकित्सकों का अस्पताल में जाना अनिवार्य बनाया जायेगा।

यह पेयजल, बिजली व यातायात, संचार व अन्य जनोपयोगी क्षेत्र में मुनाफे पर आधारित निजी व्यवस्था खत्म करेगा व तमाम क्षेत्रों को सरकारी दायरे में लायेगा। यह मानसिक व शारीरिक श्रम के बीच दूरी को क्रमश: घटाने का प्रयास करेगा। यह राज्य में प्रगतिशील कर-प्रणाली लागू करेगा।

जनपक्षीय न्याय प्रणाली

यह वर्गीय विचार-व्यवस्था या न्याय प्रणाली के बदले एक जनपक्षीय, प्रगतिशील और जनवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सबों को सुधारने के लिए यथोचित न्याय सुनिश्चित करने वाली न्याय प्रणाली व न्याय व्यवस्था को लागू करेगा। इस दिशा में यह मंहगी न्याय प्रणाली को सस्ता व जनसुलभ बनायेगा।

पर्यावरण व विस्थापन

मुनाफे की होड़ में दुनिया भर के पूंजीपतियों, खासकर अमरीका व बाकी साम्राज्यवादी देश के पूंजीपतियों ने पर्यावरण का अवर्णनीय नुकसान किया है; इतना कि पृथ्वी के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। यह राज्य दुनिया के अन्य समान विचार वाले देशों के साथ मिलकर साम्राज्यवादी देशों पर प्रदूषण घटाने व इसके लिए लागत देने हेतु दबाव बनायेगा। यह बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं, जंगल की कटाई, अन्य पर्यावरण विरोधी प्रोजेक्टों को हतोत्साहित करेगा व जरूरत पड़ने से उन्हें प्रतिबंधित करेगा।

भारत में विभिन्न परियोजनाओं में 1947 ई. से अबतक 600 लाख से भी अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश आदिवासी हैं। यह राज्य बिना जनमत संग्रह किये किसी भी स्थान पर विकास प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करेगा। किसी भी प्रोजेक्ट से हुए विस्थापन की स्थिति में सम्पूर्ण पुनर्वास व रोजगार की गारंटी के बाद ही प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा।

एक सशक्त राष्ट्र व जनवादी पड़ोसी

यह साम्राज्यवादियों के साथ मौजूदा प्रतिक्रियावादी, जनविरोधी सरकार द्वारा किये गये सभी असमान, राष्ट्रविरोधी, देश की संप्रभुता को चोट पहुंचाने वाले संधियों को रद्द करेगा।

यह विदेशी पूंजी व तकनीक को समानता के आधार पर बातचीत कर जरूरत के हिसाब से स्वीकार करेगा व इसे देश में विदेशी शोषण का हथियार नहीं बनने देगा। यह देश की सुरक्षा के लिए जनता को हथियारबन्द करेगा।

वर्तमान शासकों के विस्तारवादी मंसूबों के विपरीत यह राज्य अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्द्रपूर्ण व बराबरी का सम्बन्ध कायम करेगा। यह पड़ोसी देशों के साथ सीमा, पानी और दूसरे विवादों को शान्तिपूर्ण व न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाने का भरपूर प्रयास करेगा और उनके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित करेगा। यह राज्य पड़ोसी देशों के साथ कभी भी विस्तारवादी व्यवहार नहीं करेगा।

विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले देशों के साथ सम्बन्धों में यह राज्य निम्न पाँच सिद्धान्तों का पालन करेगा, जैसे-क्षेत्रीय अखण्डता व सम्प्रभुता का परस्पर सम्मान, परस्पर अनाक्रमण, एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, बराबरी एवं परस्पर हित तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व।

दोस्तो,

क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा की सरकार के नेतृत्व में नव जनवादी सत्ता विभिन्न क्षेत्रों में जो कदम उठायेगी उसकी एक अति संक्षेप झलक हमने पेश की। आपसे आग्रह है कि आप इस पर सोचें

तथा और उपयोगी सुझाव देकर इसे उन्नत करें।

उपरोक्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन के लिए ही आज दंडकारण्य तथा छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, ओड़िशा, प. बंगाल, आन्ध्र प्रदेश व दूसरे प्रांतों में भाकपा (माओवादी) सहित अन्यान्य कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के नेतृत्व में साम्राज्यवाद-विरोधी, सामंतवाद-विरोधी हथियारबन्द संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष का लक्ष्य नव जनवादी क्रान्ति पूरी कर नव जनवादी राज्य बनाना है ताकि अपने देश को मुक्त, आत्मनिर्भर व समृद्ध बनाया जा सके। इस आन्दोलन से करोड़ों भूमिहीन व गरीब किसान, खेतिहर मजदूर, मध्यम किसान जुड़ चुके हैं व रोज अपने सपनों का भारत बनाने के लिए शहीद हो रहे हैं। शासक वर्गों की सरकार इसे किसी भी हालत में कुचल देना चाहती है, देश का मुखिया, जो स्वयं अमरीका का विश्वस्त एजेंट है और उसके सिपहसलार जो अमरीका के भरोसेमंद दलाल व सेवक हैं, इस आन्दोलन को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं और इस आंदोलन को पूरी तरह कुचलने खातिर जनता पर बर्बर युद्ध-अभियान चला रहा है।

दरअसल आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के नाम पर माओवादियों, माओवादी-नीत क्रान्तिकारी संघर्षों और 'जल, जंगल, जमीन, इज्जत और तमाम अधिकारों के लिए जारी जन संघर्षों के खिलाफ प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों द्वारा सर्वाधुनिक हथियार, उन्नत प्रशिक्षण व उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस लाखों सशस्त्र बलों को तैनात कर देश भर में अत्यन्त बर्बर दमन अभियान 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' व 'मिशन-समाधान' चलाया जा रहा है। विभिन्न तौर-तरीके के जरिए सेना को भी इस दमन अभियान में उतारा गया है। एक सोची-समझी साजिश के तहत देश भर में फासीवादी शासन स्थापित कर एक दहशत का माकूल माहौल बनाया जा रहा है। और वाकई में, फासीवादी शासन जारी रही है। अत: वर्तमान में राज्य का और अधिक फासीवादीकरण और सैन्यीकरण ही शासक वर्गों का मुख्य लक्ष्य है। तमाम विरोधी स्वर या आवाज, चाहे वह आवाज प्रगतिशील कवि, लेखक, कलाकर, पत्रकार या टीवी-संचालक का हो या सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कर्मी, वकील या न्यायाधीश का हो सभी को 'देशद्रोही' या माओवादी समर्थक का लेबुल लगाकर हमेशा के लिए उसे कुचल देने का लक्ष्य है। चाहे जेल में डालकर हो अथवा हत्या कर हो। इसलिए, सारांश में कहा जा सकता है कि देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, जनतंत्र नहीं है, बल्कि शासक वर्ग मुख्य रूप से बन्दूक और क्रूर दमन के बल पर देश में शासन कर रहे हैं। राज्य के दूसरे अंग, जैसे कि विधानसभा, संसद, न्याय व्यवस्था आदि सिर्फ जनता को धोखा देने का काम करते हैं।

भारत के मानचित्र पर नजर दौड़ाने से यह साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि अलगाववादियों, आतंकवादियों, चरमपंथियों और माओवादियों से लड़ने के नाम पर पूर्वोत्तर के समूचे क्षेत्रों में, कश्मीर घाटी या उपत्यका में, खासकर असम, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैण्ड और मेघालय राज्यों में प्रतिक्रियावादी केन्द्र व राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से भारी दमन अभियान छेड़ रखा है। दरअसल, समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र व कश्मीर घाटी में नागरिक शासन का नामो-निशान तक नहीं है। वहां केवल पुलिस-सैनिक शासन है। साथ ही छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, ओड़िशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, प. बंग., मध्य प्रदेश, यूपी और देश के कुछ अन्य हिस्सों में जनता की भलाई में कोई कार्यक्रम नहीं चलता, बल्कि एक सूत्रीय कार्यक्रम यह चलता है कि 'माओवादियों को कुचल दो'। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के नाम से केन्द्र व सभी राज्य सरकारों द्वारा साझे तौर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब यह जगजाहिर है कि जहां माओवादी जनयुद्ध आगे बढ़ रहा है वहां पर प्रतिक्रियावादी केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से बर्बर दमन अभियान ऑपरेशन ग्रीनहंट व 'मिशन-समाधान' यानी 'जनता पर युद्ध' चलाया जा रहा है। स्थिति ऐसी है कि भारत की जनता अपने ही देश के सैन्य बलों से युद्ध लड़ने को मजबूर है। इसे शासक वर्ग 'उग्रवाद' बताकर न सिर्फ आन्दोलन को बदनाम कर रहा है बल्कि जनता को झूठ बताकर उन्हें दिग्भ्रमित भी कर रहा है।

दोस्तो,

फासीवाद के उपरोक्त चरित्र और मूल्यों के आधार पर आज फिर से एक बार समस्त जन-समुदाय को, राजनीतिक दलों को, बुद्धिजीवियों को, छात्र समुदाय को, महिलाओं को, संस्कृतिकर्मियों को, श्रमजीवियों को, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, वकीलों, पत्रकारों, साहित्यकारों, इतिहासकारों, देश के सच्चे विकास व हित चाहने वालों के समक्ष, भारत व विश्व में फासिस्ट शक्तियों द्वारा किये गये बर्बर नरसंहारों, आर्थिक लूट और बर्बादी को ध्यान में रखते हुए सोचने की जरूरत है। और यह भी सोचने की जरूरत है कि क्या वर्तमान संसदीय प्रणाली से इस सरकार की जगह उस सरकार को बदलने मात्र से सब समय के लिए फासीवाद के खतरे की संभावना समाप्त होगी या संपूर्ण विश्व से साम्राज्यवाद और उनके शागिर्द भारत जैसे विभिन्न अर्द्ध-औपनिवेशिक व अर्द्ध-सामंती देशों के दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और सामंतवाद को उखाड़ फेंककर जनता का नव-जनवादी राज्य के लिए लड़ी जा रही लड़ाई सशस्त्र कृषि-क्रांति व दीर्घकालीन लोकयुद्ध के

रास्ते से भारत की नव जनवादी क्रांति को संपन्न करते हुए नव जनवादी राज्य स्थापित करना होगा। साथ-ही-साथ, पूरे विश्व के हर देशों में सर्वहारा अधिनायकत्व वाली समाजवादी राज्य की स्थापना, जो वर्गहीन-शोषणहीन एक ऐसी व्यवस्था लाएगी, जिसमें मानव जाति का अनवरत विकास का द्वार प्रशस्त हो जाएगा। ऐसे महान काम में तमाम फासीवाद विरोधी शक्तियों को गोलबंद होकर फासीवाद का उन्मूलन करना होगा। हम इसे जबर्दस्ती थोपने का नहीं, बल्कि सभी सच्चे राष्ट्रवादी व देशभक्त शक्तियों को यह सोचने का आह्वान पूरी निष्ठा से करते हैं, ताकि साम्राज्यवादियों का सोच पारमाण्विक युद्ध थोपकर संपूर्ण विनाश का सपना चकनाचूर हो जाए।

दोस्तो,

1947 में हुए औपचारिक सत्ता हस्तांतरण से पहले उपनिवेशों के शासकों ने और बाद में उनके सेवक शासकों ने कई बेहद क्रूर कानूनों व व्यवस्थाओं को सामने लाया ताकि अपनी लूटखसोट व उत्पीड़न को जारी रखा जा सके और उनके निरंकुश शासन के खिलाफ आन्दोलन करने वालों का दमन किया जा सके। आज अमेरिका की शह पर उसके नेतृत्व में जारी अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी खेमे के हिस्से के रूप में गठित किया जा रहा है। इसने हमारे देश की तथाकथित संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए भी खतरा उत्पन्न किया है।

विपरीत तौर पर जनता भी आज चुपचाप बैठी हुई नहीं है। वे भी अपनी संगठित शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न रूपों के संघर्षों का संचालन कर रहे हैं, उन तमाम संघर्षों का एक महत्वपूर्ण व सकारात्मक पहलू यह है कि देश के संघर्षरत किसानों ने नव जनवादी राजसत्ता के भ्रूण के रूप में क्रान्तिकारी जन कमेटी (आरपीसी) को बनाना शुरू कर दिया है। कुछ जगहों पर जिला स्तर तक की क्रान्तिकारी जन कमेटी या क्रान्तिकारी सरकार गठित कर ली गयी है। भविष्य में विकास क्रम में यही सरकार भारत के क्रान्तिकारी संघीय जनवादी सरकार के रूप में विकसित होगी। इस सरकार को जनता के विभिन्न हिस्से के लोग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तरीके से चुनते हैं। यह चार वर्गों-मजदूर, किसान, पेट्टी बुर्जुआ, राष्ट्रीय बुर्जुआ की संयुक्त मोर्चा की सरकार है। हालांकि शासक वर्गों की सरकार इसे कुचल देने हेतु जी-जान से लगी है, फिर भी जनता की सरकार ने अपने जनपक्षीय नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया है।

ऐसी स्थिति में जब और एक बार संसदीय चुनाव का तमाशा आ रहा है। तो उस समय आम मजदूर-किसान, छात्र-नौजवान, महिला, बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक, डाक्टर, इंजीनियर, छोटा व्यापारी सहित तमाम देशभक्त, प्रगतिशील व जनवादी व्यक्तियों/समूहों का हम आह्वान करते हैं कि वे इस नये भारत के निर्माण में अपना योगदान दें, शासक वर्ग द्वारा चलाया जा रहा अन्यायपूर्ण युद्ध के खिलाफ जारी न्यायपूर्ण युद्ध में शामिल हों व नव जनवादी राज्य बनाने के लिए वर्तमान शोषणकारी, साम्राज्यवादपरस्त राजसत्ता को नकार कर इनके प्रतिनिधि सभाओं (संसद, विधानसभा, पंचायत) के लिये होने वाले चुनावों का जोरदार ढंग से बहिष्कार करें। साथ-ही जनता की जनवादी व्यवस्था के निर्माण के लिए नब्बे प्रतिशत जनता एकजुट हो भरपूर प्रयास करें।

बीजे सैक द्वारा जारी आगामी लोकसभा चुनाव बहिष्कार से संबंधित बुकलेट

2019 के लोकसभा चुनाव का व्यापक जन-भागीदारी के जरिए हर तरह से बहिष्कार करें मौजूदा स्वेच्छाचारी-फासीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर मजदूर-किसान तथा मेहनतकश जनता के जनवादी व्यवस्था वाला समाज स्थापित करने खातिर भरपूर प्रयास करें

प्यारे दोस्तो,

अभी तक औपचारिक रूप से आगामी लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं होने के बावजूद साम्राज्यवाद के विश्वस्त व दलाल शासक पार्टियां, खासकर ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी संगठन आरएसएस व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चुनावी नौटंकी में पूरी ताकत के साथ उतर पड़ी है। कांग्रेस सहित अन्य वोटबाज पार्टियां भी पीछे पड़ी हुई नहीं हैं, वे सब भी चुनावी उछल-कूद में उतर पड़े हैं।

महानगरों से लेकर छोटे शहरों, कस्बों एवं सुदूर ग्रामीण अँचलों में सफेदपोश नेताओं का बड़ा-बड़ा जमघट शुरू हो चुका है। ये सभी पार्टियां देश व जनता की वास्तविक हालत से बेखबर 'सत्ता की कुर्सी' के खेल में दिन-रात व्यस्त हैं।

एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोपों का दौर जारी है। चुनावी दंगल में नये-नये वायदे व घोषणाओं की बरसात हो रही है। एक ओर भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार विगत 60 वर्षों में जो नहीं हुआ वह पिछले साढ़े चार सालों के अंदर कर दिखाने की डींग हांक रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस सहित अन्यान्य पार्टियां नरेंद्र मोदी पर तमाम प्रकार के नाकामियों का ठिकरा फोड़ रही हैं और बीजेपी व कांग्रेस एक-दूसरे पर कीचड़ उछाल रही हैं।

मंहगाई, बेकारी, भ्रष्टाचार व गरीबी दूर करने के सभी नये वायदे कर रहे हैं, पर पिछले 70 वर्षों से जारी शासन के बाद अबतक इसे दूर क्यों नहीं किया जा सका, इस सवाल का इनके पास कोई जवाब है? नहीं है। बल्कि शासक वर्गीय भाजपा व कांग्रेस हमारे देश को एक गहरा राजनीतिक व आर्थिक संकट में धकेल दिया है। जिसके परिणामस्वरूप समाज व मेहनतकश जनता को विषम आर्थिक कठिनाइयों व सामाजिक, सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता इनके शासन व नीतियों से आजिज आ चुकी है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद 2017 में भारत में कुल उत्पन्न संपत्ति का 73 प्रतिशत हिस्सा देश के एक प्रतिशत सबसे अमीर लोगों के नाम रहा। अब भारत में अरबपतियों की संख्या 101 हो गई है। केवल 2017 में ही इनकी कुल संपत्ति में 20.7 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई, जो भारत सरकार के वर्तमान बजट के लगभग बराबर है। पिछले साल यह रकम 4.89 लाख करोड़ रूपये थी। जहां एक ओर अरबपति बढ़े हैं, वहीं दूसरी ओर भारत की 99 प्रतिशत आबादी बाकी बचे 27 प्रतिशत में अपना हिस्सा पाने के लिए व अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए लड़ रही है।

वास्तविक तथ्यों के आधार पर स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि भारत की लड़खड़ायी हुई अर्थव्यवस्था नव-उदारवादी नीति का अनुसरण करने का खतरनाक असर के रूप में मजदूरों के लिए लाया गया श्रम कानून असल में मजदूर विरोधी, किसानों के लिए अपनायी गई तमाम नीतियां सौ-प्रतिशत किसान विरोधी है, छात्रों के लिए बनायी गयी शिक्षा नीति (जो मूलत: शिक्षा का व्यवसायीकरण व भगवाकरण है) पूरे तौर पर छात्र विरोधी है, महिलाओं की भलाई के नाम पर अपनायी गई तमाम नीतियां बिल्कुल महिला विरोधी और पितृसत्ता के विचार व आचार-आचरण को जायज ठहराने वाली, नौजवानों के लिए हर वर्ष एक करोड़ को नौकरी देने का वादा टांय-टांय फिस्स हो जाना, आदिवासी-मूलवासी के लिए अपनायी गयी पॉलिसी दरअसल जल-जंगल-जमीन के जन्मजात अधिकारों से उन्हें वंचित करनेवाली, दलितों के उत्थान के नाम पर अपनायी गयी पॉलिसी पूरे के पूरे दलित उत्थान विरोधी, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विकास के नाम पर जो नीतियां लागू की गयी है, वो वाकई में विहिप-बजरंग दल, गौ-रक्षकों आदि द्वारा मुस्लिम जनता की हत्या की खुली छूट देने वाली है यानी सारी की सारी पॉलिसियां अमीर वर्ग के पक्षधर और जनविरोधी है। फिर, प्रधानमंत्री मोदी की नोटबंदी की पॉलिसी ने तो देश की जनता के लिए कितनी दर्दनाक स्थिति पैदा की, वह तो जगजाहिर है। इसके अलावे, 'मेक इन इंडिया', 'मैन्यूफैक्चरिंग हब', 'स्टार्ट-अप' इत्यादि सारी पॉलिसियां पूरी तरह विफल हो गई। मंहगाई व बेरोजगारी तथा पेट्रोल-डीजल की कीमत सीमाहीन रूप से बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मुद्रा रूपया का मूल्य डॉलर के मुकाबले में अभूतपूर्व गिरावट जारी है, महिलाओं पर यौन उत्पीड़न और काम देने के नाम पर गरीब-दलित-आदिवासी लड़कियों को महानगरों एवं विदेशों में बेच देने सहित अन्यान्य भयंकर प्रकार की यातनाओं के ग्राफ में भारी इजाफा हुआ है, किसानों की आत्महत्या और भूख से मरने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है, भारी मात्रा में मजदूरों को नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है, असंगठित व ठेका मजदूरों की दुर्दशा की स्थिति क्रमागत बदतर होती जा रही है।

अब, जब चुनाव की नौटंकी शुरू हुई है, तब जनता के बीच समाज में एक तीखी बहस शुरू हो चुकी है। इस बहस का केन्द्रबिंदु यह है कि तथाकथित आजादी (नकली) के 70 सालों के बाद भी भारत देश सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को तथा 'गरीबी हटाओ' के लक्ष्य को प्राप्त करने में क्यों पिछड़ गया? आज भी आबादी का 77 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीने को विवश क्यों? शासक वर्गों द्वारा साम्राज्यवादी देशों के हित में लागू देशविरोधी, जनविरोधी नवउदारवादी नीतियों का विरोध करने पर गरीब मेहनतकश जनता व उनको नेतृत्व देने वाली भाकपा (माओवादी) के खिलाफ अघोषित युद्ध क्यों? जनता पर युद्ध क्यों? मंहगाई ने मेहनतकश जनता, निम्न तबकों के साथ मध्यम वर्ग की कमर ही तोड़ चुकी है। पिछले साढ़े चार सालों के भाजपा शासन के सारे दावे झूठे साबित हुए हैं। अमीर और अमीर बन रहे हैं और आम आदमी की जेब सफाचट हो गई है। फिलहाल विभिन्न बैंक घोटाला, सहित

रक्षा विभाग को शक्तिशाली करने के नाम पर राफेल विमान सौदा लेकर व्यापक घोटाला की बात सामने आयी है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोक अदालत की नौटंकी और लोकपाल कानून लागू करने का तमाशा चल रहा है। इधर नीरव मोदी, विजय माल्या, आदि अरबपतिओं को मोदी सरकार की साजिश के तहत बाहर जाने की व्यवस्था कर दी गई है। सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार की जड़ को खत्म करना मौजूदा व्यवस्था (सिस्टम) को ध्वस्त किये बिना संभव है? कतई नहीं।

अभी तक देश की जनता कई चुनाव देखी है और सरकारें भी बदलती रही है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अलग-अलग पार्टियों की बहुत सरकारें आईं और गईं, इसके बावजूद जनता के लिए सभी सरकारें क्यों निकम्मी ही साबित हुई हैं? इसका मूल कारण शोषण व लूट पर टिकी अर्द्ध-औपनिवेशिक एवं अर्द्ध-सामंती शासन व्यवस्था है। शासक वर्गों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किस पार्टी की है। इस व्यवस्था के रहते जनता की बुनियादी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। हमारे देश की खराब आर्थिक स्थिति के लिए नवउदारवादी नीतियां जिम्मेदार हैं। ये नीतियां हैं-उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की। ये तीनों नीतियां ही हमारे देशहित एवं जनहित में नहीं हैं। इसके बावजूद अभी तक केन्द्र व राज्यों में भाजपा एवं कांग्रेस समेत सभी वोटबाज पार्टियां जनता के विरोध के बाद भी इन्हीं नीतियों को लागू करती रही हैं। शासक वर्ग एवं उसकी पार्टियां दावा करती हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जबकि यह सबसे बड़ा झूठ है। भारत का संसदीय लोकतंत्र सही मायने में कोई सच्चा लोकतंत्र नहीं है। यह तो वैसा लोकतंत्र भी नहीं जिसे कभी पूंजीपति वर्गों ने सशस्त्र क्रांति के जरिये सामंतवाद का तख्ता पलटकर स्थापित किया था। वास्तव में मौजूदा संसदीय लोकतंत्र, लोकतंत्र के नकाब में लोक (जनता) की लाश पर पलने वाला अर्द्ध-औपनिवेशिक एवं अर्द्ध-सामंती तंत्र है। लोकतंत्र का यहां सिर्फ मुखौटा है। सरकार बदलना तो मुखौटा बदलना ही है। चुनाव भी इस व्यवस्था को टिकाये रखने का हथकंडा मात्र है। इस व्यवस्था को सभी शासक वर्गीय पार्टियां रक्षा करती है। शासक वर्ग कभी नहीं चाहता कि व्यवस्था बदले। शासक वर्ग व साम्राज्यवादियों की देख-रेख में ऐसा तंत्र बना हुआ है कि वह (साम्राज्यवाद) जिस सरकार से खफा हो जाय या उस सरकार से व्यवस्था का पर्दाफाश का डर हो, तो उसे तुरंत पलट देता है और मीडिया के जरिये ऐसा माहौल पैदा किया जाता है जिससे जनता को यह भ्रम होता है कि सरकार बनाने की असली ताकत जनता के पास है। चुनाव आयोग नोटा (इवीएम मशीन में किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने वाला बटन) का विकल्प पेश किया है। दरअसल इस प्रकार व्यवस्था में कुछ सुधार व पारदर्शिता की बात इस व्यवस्था को ही बनाये रखने का शासक वर्गों का प्रयास मात्र है। हमारी पार्टी मानती है कि समस्याओं की जड़ इन तथाकथित लोकतंत्र की बुनियाद में ही है।

विकास के नाम पर प्राकृतिक, सामाजिक और मानव संसाधनों की लूट के लिए चारागाह के रूप में साम्राज्यवादी देशों के सामने हमारे देश के दरवाजा को खोल दिया गया है। परिणामस्वरूप देश भर में जमकर जमीन कब्जाने और प्राकृतिक संसाधनों की बंदरबांट का दौर शुरू हुआ, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों-करोड़ों लोगों को रोजी-रोटी के लाले पड़ गये। इसी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में हर सप्ताह हजारों विरोध प्रदर्शन होने लगे। विद्रोह पर आमादा वे किसान थे जो अपनी आर्थिक सुरक्षा के एकमात्र साधन यानी जमीन से बेदखल होने को मजबूर हो गये। खाद्य, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों की पहुंच से दूर हो गईं। जैसे-जैसे अधिकाधिक लोगों की खेती-बारी से दूरी बनती गई, वैसे-वैसे बेरोजगारों की फौज में वृद्धि होती चली गई और उनका जीना मुहाल हो गया। मंदी के कारण उद्योगों से मजदूरों की छटनी बेकारी को और विकराल कर दिया है।

जब जनता की जीवन-स्थिति काफी दर्दनाक है, तब उसे दूर हटाने के लिए किसी प्रकार के कार्यक्रम नहीं चलाकर उल्टे आतंकवादियों, चरमपंथियों और माओवादियों से लड़ने के नाम पर जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर राज्यों में प्रतिक्रियावादी केन्द्र व राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से भारी युद्ध अभियान छेड़ रखा है। कश्मीर और समूचे पूर्वोत्तर राज्यों में नागरिक शासन का नामो-निशान तक नहीं है। वहां केवल पुलिस-सैनिक शासन है। साथ ही छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओड़िसा, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, यूपी और देश के अन्य हिस्सों में जनता के बेहतर जीवन व भलाई में कोई कार्यक्रम नहीं चलता, बल्कि एकसूत्रीय कार्यक्रम यह चलता है कि 'माओवादियों को कुचल दो', 'विरोधी आवाज को कुचल दो', 'सच्चे देशभक्तों को फांसी

की सजा दो'। यह कार्यक्रम आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने के नाम पर केन्द्र व सभी राज्य सरकारों द्वारा साझे तौर पर चलाया जा रहा है। अब यह जगजाहिर है कि जहां जल-जंगल-जमीन पर से जनता को बेदखल कर दिया गया है और इसकी रक्षा में नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ माओवादियों के नेतृत्व में जनयुद्ध आगे बढ़ रहा है, वहां पर देशविरोधी और जनविरोधी केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा यूनिफाइड कमांड के अधीन 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' व 'मिशन-समाधान' नाम से गरीब मेहनतकश जनता के ऊपर बर्बर युद्ध अभियान थोप दिया गया है। स्थिति ऐसी है कि भारत की मेहनतकश जनता अपने ही देश के सैन्य बलों से युद्ध लड़ने को मजबूर है। इस संघर्ष को शासक वर्ग 'उग्रवादी या लाल आतंक' बताकर न सिर्फ क्रांतिकारी आन्दोलन को बदनाम कर रहा है, बल्कि जनता को झूठ बताकर दिग्भ्रमित भी कर रहा है। वैकल्पिक जनसत्ता के लिए देश के कई प्रान्तों में कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के नेतृत्व में साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी हथियारबंद संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष का लक्ष्य मजदूर-किसान का जनवादी राज बनाना है ताकि अपना देश को शोषणमुक्त, आत्मनिर्भर व खुशहाल बनाया जा सके। इस आंदोलन से करोड़ों भूमिहीन व गरीब किसान, खेतिहर मजदूर, मध्यम किसान एवं महिलाएं जुड़ चुके हैं और रोज अपने सपनों का भारत बनाने के लिए शहीद हो रहे हैं। शासक वर्गों की सरकार जो साम्राज्यवाद का एजेंट है और उसके सिपहसलार जो अमरीका के भरोसेमंद दलाल व सेवक हैं, क्रांतिकारी आंदोलन को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं। माओवादी खतरा अवश्य है, पर शोषक-शासकों के लिए व लूटेरी व्यवस्था के लिए खतरा है, जनता के लिए नहीं। यह संघर्ष तो आम जनता का ही है।

दरअसल आंतरिक सुरक्षा को बनाये रखने के नाम पर, माओवादियों, माओवादी-नीत क्रांतिकारी संघर्षों और जल-जंगल-जमीन, इज्जत और अधिकारों के लिए तथा जुलूस, सभा, प्रदर्शन सहित बोलने का अधिकार जैसा न्यूनतम जनवादी अधिकारों के लिए जारी जनसंघर्षों के खिलाफ शासक वर्गों और उनकी सरकारों द्वारा देश भर में फासीवादी शासन स्थापित कर दहशत-भरा माहौल बनाया गया है। अतः वर्तमान में राज्य का और अधिक फासीवादीकरण और सैन्यीकरण करना ही शासक वर्गों का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए सारांश में कहा जा सकता है कि देश के अंदर जनतंत्र नहीं है और स्वाधीनता भी नहीं है, बल्कि शासक वर्ग मुख्य रूप से बंदूक और क्रूर दमन के बल पर देश में शासन कर रहा है। राज्य के दूसरे अंग जैसे विधानसभा, संसद, न्याय व्यवस्था आदि सिर्फ जनता को गुमराह व धोखा देने का काम करते हैं।

हमारी पार्टी मानती है कि महंगाई, बेकारी, भुखमरी, गरीबी, विस्थापन और भ्रष्टाचार आदि जन-जीवन के बुनियादी समस्याएं वर्तमान शोषणमूलक राजनीतिक व्यवस्था की देन है। जैसा कि अबतक देखते आये हैं, व्यवस्था को बदले बिना सरकार बदलकर इन समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता है। भाकपा (माओवादी) का पहला क्रांतिकारी राजनीतिक उदेश्य है साम्राज्यवाद-सामंतवाद-दलाल नौकरशाह पूंजीवाद से पूर्णतः मुक्त सही मायने में एक आजाद, आत्मनिर्भर, धर्मनिरपेक्ष एवं खुशहाल भारत का निर्माण करना। यह जनता की जनवादी क्रांति के जरिये ही संभव हो सकता है।

अतः बिहार-झारखण्ड स्पेशल एरिया कमेटी सभी पार्टी कमेटियों, सभी फौजी फॉरमेशनों, सभी जनसंगठनों, केकेसी, आरपीसी, क्रांतिकारी मेहनतकश मजदूर-किसान, प्रगतिशील बुद्धिजीवियों, डॉक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों, पत्रकारों (प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया), महिलाओं एवं छात्र-छात्राओं के साथ ही तमाम देशभक्त, प्रगतिशील व जनवादी व्यक्तियों/समूहों से आह्वान करती है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव का पूरी तरह बहिष्कार करें तथा स्वेच्छाचारी-तानाशाही मौजूदा व्यवस्था को उखाड़ फेंककर नये भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। हिम्मत बांधें। जागरुक, सशस्त्र व संगठित हो जाएं। अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी समस्या का हल करने के लिए आगे बढ़ें। भारत के विशाल इलाके में जारी सशस्त्र कृषि-क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध तथा जनयुद्ध में शामिल हो जाएं तथा नब्बे प्रतिशत जनता की जनवादी व्यवस्था स्थापित करें।

याद रखें शोषक-शासक वर्ग व प्रतिक्रियावादी तत्व इतिहास का निर्माण नहीं करता है, बल्कि जनता ही इतिहास का निर्माता है। जनता की जनवादी राज बनाने के लिए वर्तमान शोषणकारी, साम्राज्यवाद की दलाल राजसत्ता को इन्कार कर इनके प्रतिनिधि सभाओं (संसद, विधानसभा, पंचायत) के लिए होने वाले चुनावों का जोरदार ढंग से बहिष्कार करें। देशहित में 2019 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करें।

पीएलजीए की 18वीं वर्षगांठ पर बीजेएसएएमसी द्वारा जारी बुकलेट

जन मुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) की 18वीं वर्षगांठ को एक नई उमंग, नया जज्बा व उत्साह-भरी पहलकदमी के साथ आगामी 2 दिसम्बर से 8 दिसम्बर, 2018 यानी सप्ताह भर पूरे राजनीतिक जोश-खरोश के साथ मनाएं!

अमरीकी साम्राज्यवादी आका के निर्देश पर ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी मोदी सरकार द्वारा चलाया जा रहा 'मिशन-समाधान' को पूरी तरह परास्त करें और जनयुद्ध को एक नई उंचाई तक ले जाएं!

जनता द्वारा जनसत्ता स्थापित करने की लड़ाई में कारगर भूमिका निभाएं!

पीएलजीए में व्यापक भर्त्ती अभियान चलाएं!

प्रिय कामरेडो एवं जन योद्धाओ,

विदित है कि 2 दिसम्बर, 2000 को गठित जन मुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) भारत के क्रांतिकारी इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई है। आवें, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पीएलजीए की 18वीं वर्षगांठ 2 दिसम्बर से 8 दिसम्बर, 2018 तक यानी एक सप्ताह भर मनाएं और अवश्य-ही पहले से और ज्यादा जज्बा व राजनीतिक जोश-खरोश के साथ मनाएं। पीएलजीए की 18वीं वर्षगांठ के अवसर पर बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया मिलिटरी कमीशन, हमारे संस्थापक, शिक्षक, मार्गदर्शक व महान शहीद का. सीएम-का. केसी को श्रद्धापूर्वक लाल सलाम पेश करता है और साथ-ही-साथ, जिनकी शहादतों के दिन से पीएलजीए का गठन हुआ, उन शहीदों को यानी का. श्याम, का. महेश व का. मुरली को तहे दिल से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथ-ही, बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया मिलिटरी कमीशन की तरफ से बीजे सैक के अंतर्गत पीएलजीए के तमाम फॉरमेशनों के तमाम कमांडर, डिप्टी कमांडर, सैन्य सदस्य, मिलिशिया कमांडर व आम सदस्य को गरमजोशी-भरा लाल सलाम पेश करता है।

दोस्तों, साम्राज्यवाद का दलाल प्रतिक्रियावादी नरेन्द्र मोदी की केन्द्र सरकार और बिहार व झारखंड की राज्य सरकारों द्वारा माओवादी क्रांतिकारियों के सफाया की घोषणा से यह स्पष्ट हो गया है कि हमारे देश में शोषक-शासक वर्ग के प्रतिक्रांतिकारी युद्ध के खिलाफ शोषित-उत्पीड़ित वर्ग का क्रांतिकारी युद्ध जारी है। यह युद्ध क्रमागत रूप से और तेज व तीखा होते जा रहा है। आप इस बात से भी वाकिफ हैं कि शोषक-शासक वर्ग भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी आंदोलन व जनयुद्ध को कुचल डालने के बुरे इरादे से वर्ष 2009 से ही 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' नामक बर्बर युद्ध अभियान छेड़ रखा है, जिसका तीसरा चरण पार होकर अब 'मिशन-समाधान (2018-2022)' चला रखा है। वर्ग दुश्मन अपने हमले की क्रूरता को और तीखा व आक्रामक करेगा, ताकि हमारी पार्टी और पीएलजीए को और ज्यादा चोट व नुकसान किया जा सके। इसके बावजूद हम और जनता मिलकर दुश्मन के इस बर्बर क्रूरतम हमले का मुकाबला करते आए हैं और करते रहेंगे।

जनता की अपनी प्यारी सेना, जन मुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) द्वारा दुश्मन को दिये गये पिछले कुछ शानदार मुंहतोड़ जवाबी हमले निम्न प्रकार है:-

15 अप्रैल से लेकर 7 जून, 2018 तक झारखंड रीजन के अंतर्गत दक्षिणी छोटानागपुर व कोल्हान प्रमंडल जोनल कमेटी के कोल्हान, पोड़ाहाट व बुण्डू-चांडिल इलाका में कुछ दिनों के अंतराल पर दुश्मन ने हजारों बीएसएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, झारखंड पुलिस आदि के साथ हमारे कैम्प व पीएलजीए पर लगातार हमला किया, जिसका मुकाबला करते हुए हमारी पीएलजीए ने न सिर्फ दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए दर्जनों दुश्मन को गंभीर रूप से घायल ही किया, बल्कि 7 जून, 2018 को बुण्डू-चांडिल सबजोन अंतर्गत सुकरीकोईल के पहाड़ पर स्थित हमारे कैम्प पर हमला करने आए दुश्मन के साथ डटकर मुकाबला करते हुए 7 दुश्मन को मार गिराया। इस लड़ाई में दुश्मन न सिर्फ युद्ध के मैदान से पीठ दिखाकर भाग खड़ा हुआ, बल्कि अपने 5 मृत साथियों को भी वहीं पर सड़ने के लिए छोड़ गया, जिसे बाद में 13 जून को सड़ी हुई अवस्था में ले गया। लेकिन इस सूचना को दुश्मन ने गुप्त ही रखा। इसी युद्ध के दौर में ही

हमारी पीएलजीए की शानदार व साहसिक प्रतिरोध कार्रवाइयों के कारण राजनीतिक काम के बतौर झारखंड रीजन का तीसरा प्लेनम, बीआरसी यूनिफाइड कमांड की बैठक, बीजे सैक का तीसरा प्लेनम व इआरबी की 9वीं बैठक को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सका।

फिर, बिहार रीजनल के अंतर्गत कोयल-शंख जोन के बूढ़ा पहाड़ को केन्द्रित कर लगातार सेना के आर्मर यूनिट द्वारा 81 एम.एम. का गोला दागने व सेना के हेलिकॉप्टर व ड्रोन से लगातार निगरानी रखने के बावजूद हमारी बहादूर पीएलजीए ने दुश्मन का बहादूरीपूर्वक मुकाबला किया और कई सीआरपीएफ को गंभीर रूप से घायल किया और 26 जून, 2018 को बूढ़ा पहाड़ के ही नीचे हमारी पीएलजीए ने बारूदी सुरंग विस्फोट कर 7-8 पुलिस को मार गिराया व 7 अत्याधुनिक हथियार भी पुलिस से जब्त किया।

इस तरह काफी ताकतवर दुश्मन के साथ युद्ध करते हुए ही हमारी पीएलजीए जनता के क्रांतिकारी युद्ध को आगे बढ़ा रही है। पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही जनता की क्रांतिकारी लड़ाई के दौरान यह भली-भांति साबित हो गया है कि हमारी जन मुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) दरअसल जनता की सेना के बतौर जनता की प्यारी सेना बन गई है। जारी वर्ग-युद्ध के दौरान यह बात भी भारत की जनता के सामने स्पष्ट हो चुकी है कि जनता की पीएलजीए और सरकारी सेना, दोनों के बीच आसमान-जमीन का फर्क है और वह फर्क गुणात्मक रूप से ही उभर कर जनता के सामने आया। यानी पीएलजीए, जनता की सेना और सरकारी सेना, लूटेरा वर्ग की सेना है। इस जनयुद्ध को जारी रखने व आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के नेता-कार्यकर्ता, पीएलजीए के कमांडर, लाल योद्धा, सक्रिय समर्थक, क्रांतिकारी जनता, जनसंगठन के नेता व कार्यकर्ताओं ने भी जी-जान लगाकर लगातार साहस के साथ जन संघर्ष व जनयुद्ध में शामिल हो रहे हैं और अपनी जानों की भी कुर्बानी दे रहे हैं। पीएलजीए की 17वीं वर्षगांठ से लेकर अब तक बीजे सैक में दर्जनों की संख्या में लाल योद्धाओं ने शहादत दी है, जिसमें हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य सह केन्द्रीय मिलिटरी कमीशन के सदस्य अमर शहीद कामरेड देव कुमार सिंह उर्फ निशांत से लेकर कई पार्टी नेता-कार्यकर्ता व पीएलजीए के कमांडरों से लेकर लाल योद्धाओं, जनसंगठनों के नेता-कार्यकर्ता और क्रांतिकारी जनता भी शहीद हुए हैं। बिहार-झारखंड स्पेशल मिलिटरी कमीशन (बीजे एसएएमसी), उन तमाम अमर वीर शहीदों सहित पूरे देश व दुनिया में चल रही जनता की मुक्ति की लड़ाई में शहीद हुए शहीदों को अश्रुपूरित आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथ-ही, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का शपथ लेता है।

दुश्मन द्वारा जनता पर थोपे गये अघोषित युद्ध का मौजूदा चुनौती-भरी स्थिति में सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए सटीक रूप से आगामी कार्यभारों को तय करना हमारा अहम् कर्तव्य है। हमारी पीएलजीए के लिए आगामी कार्यभार क्या है? पहला, तो हमें समझना होगा कि दुश्मन अपने ढंग से लड़ता है और हम अपने ढंग से लड़ते हैं। उसी ढंग के अनुसार मौजूदा चुनौती-भरा स्थिति का मुंहतोड़ जवाब देने का सैनिक कार्यभार की रूपरेखा तैयार करते हुए दुश्मन के चौतरफा हमले के विरूद्ध सृजनात्मक सोच के तहत विभिन्न रूपों की गुरिल्ला लड़ाई के तरीके अपनाने होंगे। दुश्मन को हैरान-परेशान तथा उसकी सप्लाई लाइन को नष्ट करने के लिए लगातार छोटी व अपेक्षाकृत मध्यम किस्म की कार्रवाइयों का संचालन करने के साथ-साथ चौतरफा मुंहतोड़ जवाबी हमले की योजना अपनानी होगी और योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपनी कम ताकतों को लेकर भी जरूरत के अनुसार दुश्मन की एक टुकड़ी पर तथा कमजोर स्थल पर कम समय के अंदर बिजली की रफ्तार से अचानक हमला कर कुछ को सफाया व हथियार जब्त करने के उद्देश्य से बलों को केन्द्रित करना और फिर ठीक समय पर बलों को विकेन्द्रित करने का तरीका का इस्तेमाल करने में माहिर होना होगा; दूसरा, तमाम स्तरों के कमानों को ठोस रूप से पुनर्गठित करते हुए और पीएलजीए में व्यापक भर्त्ती अभियान चलाकर व उचित प्रशिक्षण देकर तथा संख्या व गुण- दोनों में वृद्धि लाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीजे सैक क्षेत्रों में कम्पनी, पीएल व एलजीएस का गठन करना होगा और उस सारे फॉरमेशनों को नियमित रूप से उन्नत युद्ध-कला में शिक्षित करने के लिए सैनिक प्रशिक्षण देना होगा तथा पीएलजीए के अंदर पार्टी कमेटी व्यवस्था को सख्ती से लागू करना होगा और पीएलजए के अंदर पनपे विभिन्न गैर-सर्वहारा रूझानों के खिलाफ लगातार संघर्ष चलाना होगा; तीसरा, आगामी एक साल का सैनिक कार्यभार के रूप में हमारी मौजूदा लड़ाई को यानी छापामार युद्ध को चलायमान युद्ध में, पीएलजीए को पीएलए में और छापामार क्षेत्र को आधार क्षेत्र में बदल देने के फौरी कर्तव्य को एक कदम आगे बढ़ाकर ले जाने हेतु पूरी कोशिश चलानी होगी। साथ-ही, सारे आंदोलन को सही दिशा

में आगे बढ़ाने के लिये पार्टी को और भी सैद्धांतिक व राजनीतिक रूप से उन्नत अनुशासनबद्ध व मजबूत करने के साथ-साथ जरूरत है पार्टी में दूसरे स्तर के कार्यकर्ताओं के निर्माण करने की भावना व स्पीरिट को उंचा उठाये रखना। जरूरत है गैर-सर्वहारा रूझानों के खिलाफ लगातार संघर्ष चलाते हुए बोल्शेवीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने के साथ ही जरूरत है सीसी-सैक से लेकर एरिया कमेटी तक और जनसंगठन व जनांदोलन के नेताओं-कार्यकर्ताओं तक को सुरक्षित रखने की पुख्ता व्यवस्था को लागू करना। इसके बाद पीएलजीए के तमाम फॉरमेशनों को सारे पहलुओं की ओर से शक्तिशाली बनाना जरूरी है, इसलिए विभिन्न स्तरों की कमान का गठन करने, संख्या व गुण में वृद्धि करने, युद्धकला में दक्षता हासिल करने और पीएलजीए के अंदर पार्टी कमिटी व्यवस्था को लागू व संचालन करने में सर्वाधिक बल देने की जरूरत है। हिम्मत व बुद्धि के साथ-साथ गुरिल्ला दांव-पेंचों को भौगोलिक धरातल के अनुसार लागू करने में माहिर होने, छोटे व मध्यम किस्म की लड़ाइयों का संचालन करते हुए बड़े किस्म की लड़ाई के संचालन के तौर-तरीके को अपनाने में दक्षता हासिल करने की जरूरत है। साथ-ही-साथ, गांव-गांव व इलाके-इलाके में आत्मरक्षा दल व जन मिलिशिया गठन करने पर विशेष ध्यान देते हुए तथा जल-जंगल-जमीन के मुद्दे को लेकर, जो व्यापक किसान आंदोलन सहित भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ जुझारू आंदोलन जारी है, उस पर हो रहे फासीवादी आक्रमण से उन्हें रक्षा करने पर विशेष जोर देना जरूरी है। मौजूदा समय में मजदूर-किसान और आदिवासी-दलित व अल्पसंख्यकों पर जिस रूप से क्रूर फासीवादी अत्याचार व आक्रमण जारी है, उसे जवाबी प्रतिरोधी कार्रवाई के जरिये नाकाम कर देना हमारी पीएलजीए को एक प्रमुख काम के बतौर लेना होगा। क्रांति के लिए तीन जादुई हथियार पार्टी, पीएलजीए व संयुक्त मोर्चा को क्रमशः मजबूत कर ही हम मौजूदा कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध तथा जनयुद्ध को आगे बढ़ाकर विजय की मंजिल तक पहुंचाने में समर्थ होंगे।

मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू परिस्थिति क्रांतिकारी संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए काफी अनुकूल है, इसलिए बीजे स्पेशल एरिया मिलिटरी कमीशन आह्वान करता है कि डर-भय को त्याग कर तथा एक क्षण भी समय बर्बाद न कर आगामी कार्यभारों को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं और तन-मन से ध्यान लगाकर जनमुक्ति के महान संघर्ष में अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएं।

जन मुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) की 18वीं वर्षगांठ के अवसर पर बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया मिलिटरी कमीशन अपने अधीनस्थ पीएलजीए की तमाम कमानों व टुकड़ियों से आह्वान करता है कि पीएलजीए की 18वीं वर्षगांठ को 2 दिसम्बर से 8 दिसम्बर, 2018 तक यानी एक सप्ताह तक तमाम कतार व लड़ाकू जनता को शामिल कर पूरे राजनीतिक जोश-खरोश के साथ मनाएं। साथ-ही-साथ, मौजूदा चुनौती-भरी परिस्थिति का सही ढंग से मुकाबला तथा 'मिशन-समाधान' को पूरी तरह से परास्त करते हुए नव-जनवादी क्रांति को मंजिल तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प लें। आम जनता का सेवक बनकर तथा क्रांतिकारी लड़ाई की अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर नेतृत्व प्रदान करते रहें और जनता द्वारा गांव-गांव व इलाके-इलाके में जनवादी सत्ता (जिसका अभी का स्वरूप है क्रांतिकारी जन-कमेटी) स्थापित करने की लड़ाई में कारगर रूप से मदद करें। पीएलजीए की 18वीं वर्षगांठ को सप्ताह भर मनाने के अवसर पर व्यापक संख्या में युवक-युवतियों को पीएलजीए में शामिल करें। साथ-ही-साथ, तमाम मजदूर-किसान, मेहनतकश जनता, छात्र-युवा, महिला, प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के पास बीजे स्पेशल एरिया मिलिटरी कमीशन का आह्वान है कि भारत में जारी क्रांतिकारी जनयुद्ध का भरपूर समर्थन करें व उसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि आपके योगदान के बिना भारतीय क्रांति को विजय की मंजिल तक ले जाना बहुत ही मुश्किल है।

रास्ता टेढ़ा-मेढ़ा व कठिन है, पर सटीक लाइन, नीति व कार्यशैली पर अडिग रहने से अंतिम जीत जनता की ही होगी।

बीजे सैक द्वारा झारखंड के पारा शिक्षकों आंदोलन के समर्थन में जारी पर्चा
झारखण्ड राज्य के 18वां स्थापना दिवस के अवसर पर फासिस्ट मुख्यमंत्री रघुवर दास व राज्य सरकार द्वारा पारा शिक्षकों पर बर्बर हमला के खिलाफ गरज उठें

कामरेडो और दोस्तो,

प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सभी को मालूम है कि झारखण्ड राज्य के 18वां स्थापना दिवस के अवसर पर विगत 15 नवम्बर, 2018 को राजधानी रांची में सरकार द्वारा

आहूत समारोह-उत्सव स्थल में खुद झारखण्ड के मुख्यमंत्री खूंखार रघुवर दास ताम-झाम के साथ उपस्थित थे। वहां झारखण्ड के पारा शिक्षक भी उपस्थित थे। वे लोग इस सुअवसर में अपने जायज मांगों पर नारे दे रहे थे। उनकी दो ही मुख्य मांगें थी। प्रथम-नौकरी का स्थायीकरण। द्वितीय-शिक्षक के बतौर दिए जा रहे मानदेय में वृद्धि। लेकिन खुंखार मुख्यमंत्री उनलोगों की इस नारेबाजी पर नाराज हो गए। उनके ही आदेश-निर्देश से पुलिस अफसरों के देख-रेख में पारा शिक्षकों पर पुलिस का बर्बर हमला चलाया गया। न केवल पारा शिक्षकों को बल्कि पत्रकार-छायाकार लोगों को भी बख्शा नहीं गया, जिससे व्यापक निहत्थे पुरूष-महिला पारा शिक्षकों, पत्रकार, छायाकारों तथा जनता भी भारी संख्या में घायल हुए। सिर्फ इतना ही नहीं साथ ही साथ पुलिस द्वारा व्यापक आंसू गैस का बौछार किया गया, जिससे तमाम उपस्थित जनता में भगदड़ फैल गयी तथा जनता आतंकित हो गयी। बहुतों घायल हुए। भव्य स्वागत की आड़ में रघुवर सरकार का असली क्रूर फासिस्ट चेहरा खिल उठा। साथ ही साथ स्वघोषित कारगर मुख्यमंत्री ने बहुत पारा शिक्षकों को निलम्बन कर दिए। दरअसल भाजपानीत केन्द्रीय सरकार जैसा झारखण्ड सरकार के पास सिर्फ पुलिस-मिलीट्री ही है। जिसके बल पर रघुवर सरकार डींग हांक रही है, स्थापना दिवस समारोह स्थल को रणक्षेत्र बना दिया। पूरे झारखण्ड को भी ऐसा ही करते जा रहा है।

पारा शिक्षक लोग भी इस बर्बर हमले के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान कर दिए। जो जायज है। हम उनके यह जायज हड़ताल को जोरदार ढंग से समर्थन करते हैं। साथ ही-साथ उन पर चलाए गए बर्बर अत्याचार की तीव्र निंदा करते है तथा उनके आंदोलन के समर्थन में भरपूर आवाज उठायेंगे। साथ ही साथ भाकपा (माओवादी) के बिहार-झारखण्ड स्पेशल एरिया कमेटी (बीजे सैक) की ओर से तमाम देशभक्त झारखण्ड प्रेमी मजदूर-किसान, छात्र, बुद्धिजीवी, महिला, पत्रकार, कवि-कवयित्री, कलाकार, प्रबुद्ध नागरिकों, जनवाद-पसंद-मानवाधिकार कार्यकर्ता व संगठनों, आदिवासी-दलित, अल्पसंख्यक सम्प्रदाय तथा फासीवाद विरोधी संगठनों को आह्वान करते हैं कि आपलोग पारा शिक्षकों के जायज मांग के लिए जायज आंदोलन तथा उनके अनिश्चितकालीन हड़ताल का भरपूर तहेदिल से समर्थन व सहायता करें। उनलोगों के आंदोलन का पक्षपोषण करें। साथ ही साथ बर्बर रघुवर सरकार के फासिस्ट हमले का तीव्र विरोध करें।

हम पारा शिक्षकों के पास आवेदन करते हैं कि आंदोलन को मांगों के पूर्ति तक एकजूट हो कर चलाते जाएं। आंदोलन में फूट डालने की हर तरह के साजिश को एकजुटता के बल पर नाकाम करें।

बिहार-झारखंड रीजनल यूनिफाइड कमांड द्वारा जारी दो पर्चे

1. एसपीओ और मुखबिरों के नाम संदेश

भाइयो एवं बहनो,

सबसे पहले हम आपके परिचय से आम लोगों को अवगत करा दें, इसके बाद अपना कुछ संदेश आपको दें तो अच्छा होगा।

संक्षेप में एसपीओ का पूरा नाम स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जिसे हिन्दी में विशेष पुलिस अधिकारी के नाम से जानते हैं और मुखबिर का मतलब होता है दलाल। ये क्रान्तिकारियों व देशभक्तों के खिलाफ राज्यसत्ता के विशेष हिमायती तथा राज्य के दमनकारी यंत्र पुलिस-प्रशासन के विशेष आँख व कान का काम करते हैं। सरकारों को इनके प्रशिक्षण, बहाली व सुरक्षा एवं वेतन हेतु अतिरिक्त व्यवस्था का प्रबंध करना नहीं पड़ता। इनकी बहाली थानेदार करते हैं और पेमेंट इनके खाते में ऊपर से आ जाता है। आम लोगों के बीच इनका खुला कोई परिचय भी नहीं होता; बल्कि, इन्हें गुप्त रखा जाता है। इनका संबंध सामान्य पुलिस अथवा सैन्य, अर्द्धसैन्य बल के जवानों से नहीं; बल्कि, अधिकारियों से प्रत्यक्ष या सूचना प्रोद्योगिकी मोबाइल आदि से रहता है। सामान्य एसपीओ का वेतन 3 हजार से शुरू होकर 6 हजार तक होता है। विशेष कार्य का पुरस्कार विशेष सफलता में अलग से होता है। इनके खर्च का लेखा-जोखा भी आम देशवासियों तक नहीं पहुंचता है।

हम और आम जन को यह पता चल ही जाय ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एसपीओ या मुखबिर किस गांव या क्षेत्र में कौन-कौन हैं। हो सकता है वह व्यक्ति हमारा ही संगठन का कोई नेता अथवा कार्यकर्ता हो, जो हर समय हमारे बीच में मौजूद है, वह भी रहे तो कोई आश्चर्य नहीं या हमारा माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटी कोई भी हो तो भी आश्चर्य नहीं। आम जनता के बीच से कोई भी स्त्री-पुरूष हो सकता है। यह बात अलग है कि पानी में घुसकर भी पाखाना करने

पर वह नहीं छुपता।

आखिर क्यों ऐसा होता है? गरीबी और नैतिकताबोध का अभाव इसका सबसे अहम् कारण है, जो कि बहुत कारणों में अव्वल है। हमारे देश की यही विडंबना खास है कि यहां चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बिरले होते हैं। लेकिन मान सिंह, राम सिंह, शक्ति सिंह, योद्धा बाई, महात्मा गांधी, नेहरू और उनके पदचिन्हों पर चलने वाले मनमोहन, मोदी की कहीं कोई कमी नहीं दिखती। जो मात्र राज्यसत्ता में अपनी भागीदारी बनाये रखने के लिए अथवा आर्थिक लाभ के लिए किसी हद तक गिरने से गुरेज नहीं करते। गरीबी और बेरोजगारी ऐसा कारण है कि लोग नौकरी के नाम पर 3 से 6 हजार का वेतन के लिए यह भी नहीं सोचते कि इसके एवज में मुझे कितना बड़ा कुकर्म के लिए तैयार किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व बीबीसी द्वारा प्रसारित रेडियो संदेश में सुना कि केवल भारत शासित कश्मीर में पैंतीस हजार एसपीओ हैं, जिसमें 500 मारे गये हैं। इतने कम वेतन पर आरंभ में काम करना तो पहले आसान लगता है लेकिन जब उसके बारे में देश के लिए लड़ रहे क्रान्तिकारियों द्वारा उन्हें ढूंढ कर मार दिया जाता है और कोई सरकारी मदद भी संभव नहीं होता, तो बचे हुए एसपीओ लोगों को इतने कम वेतन पर जान गंवाना कठिन मालूम होता है।

एसपीओ की नौकरी कोई परमानेंट (स्थायी) नौकरी नहीं है, जहां-जहां माओवाद प्रभावित इलाका है या अन्य आन्दोलनकारी क्षेत्र है, वहां उनके दमन अभियान के लिए विशेष बलों व अधिकारियों की तैनाती होती है। वहीं एसपीओ जैसे सिजनली खर-पतवार उगते या उगाये जाते हैं। जहां वैसा नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। ऐसी खास परिस्थिति में हम आपको यह संदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं कि वर्ग हित व क्रान्ति के साथ विश्वासघात, अन्तरघात, गद्दारी जैसा कुकर्म के लिए कुछ कागज के टुकड़े अर्जित कराकर क्रान्तिकारियों, माओवादियों अथवा समर्थकों का हत्या करवा के देश और जनता का दुश्मन अमेरिकी-रूसी-चीनी आदि साम्राज्यवाद, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उनके छुटभैये हमारे देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग और सामंती वर्ग अपने द्वारा लालित-पालित व सुचालित नौकरशाही राज्य यंत्र के द्वारा आज माओवादियों पर जो आक्रमण चला रहा है, उसका खास उद्देश्य देश के जल-जंगल-जमीन सहित तमाम प्राकृतिक और सामाजिक संपदा पर से देश के करोड़ों आदिवासी, गैर आदिवासी जनता, मजदूर-किसान, मेहनतकश अवाम तथा तमाम मध्यम वर्ग को समस्त अधिकारों से वंचित कराना है, विस्थापित कराना है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों व कारपोरेट घरानों को उसपर एकाधिकार दिलाना है जिससे आपका भविष्य भी चिर अंधकार में डूब जायेगा। इसीलिए क्रान्ति को क्षति दिलाने जैसी बेवकूफी के जरिए आप अपनी और आनेवाली पीढ़ी के पैर में कुल्हाड़ी मारकर सदा के लिए अपंग न बना दें। इस पर ध्यान दें कि जो लोग आपको रूपया दे रहे हैं वे आपके हित नहीं; बल्कि, कांटा से कांटा निकालकर कांटा को सदा के लिए समाप्त कर देने की सुनिधारित नीति लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आप चंद और क्षणिक लाभ और लोभ में पड़कर अपना सर्वस्व खोकर अपना अस्तित्व का संकट पैदा करने जैसे दुष्कृत्य कार्य कर रहे हैं। सावधान हो जायें और क्रान्ति के साथ जुड़कर आने वाले उज्ज्वल भविष्य की कामना करें।

2. पटना में महिला आरक्षी की मौत पर संवेदना और आंदोलनरत आरक्षीगण की बर्खास्तगी की निंदा

प्यारे आरक्षी बंधुओं,

विभागीय पदाधिकारियों द्वारा छुट्टी का आवेदन स्वीकार न किए जाने की वजह से डेंगू बीमारी से ग्रस्त महिला आरक्षी सविता पाठक की 2 नवम्बर शुक्रवार को ड्यूटी के दौरान हुई मौत मानवता का गला घोंट रहे अफसरशाही की घोर लापरवाही का नतीजा है। इस असामान्य मौत के बाद साथी आरक्षियों की संवेदनशीलता का जागृत होना स्वाभाविक बात है। आपकी उग्रता, आपका आंदोलन जायज और न्यायोचित है। हम आपके आन्दोलन की सराहना और भूरी-भूरी प्रशंसा करते हैं। क्रूर अफसरशाही रवैये के खिलाफ मौन रहना इंसानियत और जिन्दादिली के विरूद्ध होता है। हम आपके आन्दोलन का दिल खोलकर स्वागत करते हैं तथा हर संभव मदद का वादा करते हैं।

इस घटना के विरूद्ध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा संज्ञान लिया जाना तथा आन्दोलनरत 167 नव नियुक्त आरक्षियों तथा 8 सिपाही व निम्न वर्गीय अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्तगी की फरमानशाही जारी करना, जघन्यतम दमनात्मक व निंदनीय कदम है, इसकी जितनी भी निन्दा की जाय वह कम ही होगा। यह अफसरशाही और मंत्रीशाही के प्रभुत्व वर्गीय सांठ-गांठ से निम्न वर्गीय आरक्षी व कर्मचारियों पर बर्बरतम दमन-मुहिम चलाकर आपके हौसले को पस्त कर देने तथा आपके दासत्व मनोवृति बनाये रखने को बाध्य करने का

द्योतक है। हमारी पार्टी बर्खास्त पुलिसकर्मियों को अविलम्ब बिना शर्त नौकरी पर वापस बुलाने, सरकार को इस घटना पर सार्वजनिक खेद प्रकट करने, मृतका के परिवारों को मुआवजा व नौकरी देने, दोषी अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग करती है। साथ-साथ तमाम निम्न वर्गीय पुलिस पदाधिकारियों और आरक्षियों को इस अमानुषिक घटना से सबक लेकर देश में जारी वर्ग-संघर्ष जिसे नौकरशाही और सरकार आपके द्वारा कुचलवाती है, के मर्म को समझने और अपने मानवोचित सोच के आधार पर अपनी भूमिका तय करने का अनुरोध करती है।

सविता के प्रति गंभीर संवेदना प्रकट करते हुए, हम इस दु:ख की घड़ी में उनके परिजनों के साथ हैं। हम तमाम पुलिस व अन्य सुरक्षाबलों व कर्मचारियों को आह्वान करते हैं कि देश में जारी साम्राज्यवाद, सामंतवाद विरोधी युद्ध में जो समाज के तमाम उत्पीड़ित वर्ग व राष्ट्रीयताओं की मुक्ति के लिए लड़ी जा रही है आप व आपके परिवार भी उससे जुदा नहीं है, जो हमारा या देश का दुश्मन है, वह आपका हित कतई नहीं हो सकता। अत: आएं देश में जारी सशस्त्र कृषि क्रांति व नवजनवादी क्रान्ति में जुड़कर शोषक-शासक वर्ग का तख्ता उलट दें और नव जनवादी क्रान्ति सफल कर नव जनवादी राज्य की स्थापना कर समाजवाद व साम्यवाद का मार्ग प्रशस्त करें।

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प द्वारा 20 सितम्बर, 2018 को जारी प्रेस विज्ञप्ति

शांति वार्ता की आड़ में शोषक-शासक वर्गों के हितों को साधने के लिए छद्म पत्रकार शुभ्रांशु एवं अन्य द्वारा प्रस्तावित पदयात्रा के बहिष्कार का आह्वान

छद्म पत्रकार शुभ्रांशु चौधरी एवं अन्य गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सरकार के साथ माओवादियों की शांति वार्ता कराने के नाम पर आगामी 2 अक्टूबर से बस्तर संभाग के चार जिलों में प्रस्तावित पदयात्रा का बहिष्कार करने का भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी छत्तीसगढ़ खासकर बस्तर के आदिवासी, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक व अन्य पिछड़े तबकों की जनता, जनवादी-प्रगतिशील बुद्धिजीवियों, जनपक्षधर, मीडियाकर्मियों, आदिवासी व गैर-आदिवासी सामाजिक संगठनों, मानवाधिकार संगठनों, छात्रों, नवजवानों का आह्वान करती है।

दरअसल उक्त पदयात्रा शांति वार्ता की आड़ में बस्तर की जनता को विस्थापन विरोधी जन आंदोलनों व जनयुद्ध से भटकाने, यहां के जल-जंगल-जमीन व संसाधनों को देशी-विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने की सरकारी साजिश को सफल बनाने के तहत आयोजित की जा रही है। इस शांति वार्ता/पदयात्रा के साथ और इसके पीछे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रायोजित गैर-सरकारी संगठनों का हाथ है। हमारी पार्टी द्वारा दिए गए आगामी विधानसभा एवं 2019 में आयोजित होने वाले लोकसभा चुनावों के बहिष्कार के आह्वान को विफल बनाकर शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने का मकसद भी उक्त शांति वार्ता/पदयात्रा के पीछे छुपा है।

हमारी पार्टी बस्तर की संघर्षरत जनता से अपील करती है कि वो उक्त पदयात्रा में शामिल लोगों व संगठनों से ये सवाल व जवाब-तलब करें कि जन दमन और जनता के शोषण के जरिए बस्तर में शांति भंग करने वाला कौन है? बस्तर की जनता का आए दिन फर्जी मुठभेड़ों में कत्लेआम करने वाला कौन है? आदिवासी जनता ही हरी-भरी जिंदगियों पर कहर बरपाने वाला कौन है? बच्चियों, नव-युवतियों से लेकर बूढ़ी मांओं के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार व उनकी हत्या तक करने वाले सरकारी सशस्त्र बलों को उसके लिए खुली छूट देना वाले कौन हैं? विकास के नाम पर जनता के विनाश का सबब बनने वाली एवं दसियों हजार लोगों को उनके जल-जंगल-जमीन से जबरन बेदखल करने वाली बड़ी खनन, बहुद्देशीय बड़ी बांध व वृहद औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए देशी-विदेशी कॉरपोरेट कम्पनियों के साथ सैकड़ों एम.ओ.यू. करने वाला कौन है? लाखों की संख्या में पुलिस, अर्ध-सैनिक व कमांडो बलों को तैनात करते हुए साल-दर-साल नए कैम्प व थाने बैठाकर लौह बूटों तले जन विरोध को कुचलकर इन परियोजनाओं को शुरु कराने के

लिए आतुर कौन है? जनता की जनवादी राजसत्ता के संगठन जनताना सरकारों, विभिन्न जन संगठनों के नेताओं व कार्यकार्ताओं को चुन-चुनकर मारने वाला कौन है? शोषक-शासक वर्गों के ही सांविधान में आदिवासियों को प्रदत्त पेसा-ग्राम सभाओं के अधिकारों की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? यहां जगजाहिर है कि इन तमाम सवालों का जवाब है, सरकार। इसके विपरीत हमारी पार्टी जनता के असली व सर्वांगीण विकास के लिए, असली शांति के लिए व असली आजादी के लिए संघर्षरत है।

यदि शांति के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जनता के प्रति वफादार हैं, तो शांति वार्ता के वकालतदारों, पदयात्रा के आयोजकों को सबसे पहले सरकार से ये मांगें करनी चाहिए कि वह विस्थापन की सभी परियोजनाओं को तुरंत बंद करे, कॉरपोरेट घरानों के साथ किए गए तमाम एम.ओ.यू. को रद्द करें, दंडकारण्य से पुलिस, अर्ध-सैनिक बलों को वापस भेज दें, माओवादी मामलों में जबरन जेलों में बंद लोगों को तुरंत व नि:शर्त रिहा करें, मुठभेड़ों, फर्जी मुठभेड़ों व जनसंहारों को तुरंत बंद करें, माओवादियों के साथ शांति वार्ता पर अपना रूख साफ करें।

देश व छत्तीसगढ़ की जनता से यह बात छुपी नहीं है कि पिछले चार सालों के दौरान देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह यही कहते आ रहे हैं कि हथियार छोड़े बगैर माओवादियों के साथ वार्ता का कोई सवाल ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमण सिंह माओवादियों को यहां चुनौती दे रहे हैं कि वे आत्मसमर्पण करें या मरने के लिए तैयार रहें। ऐसे हालात में शांति वार्ता हास्यास्पद ही नहीं संघर्षरत जनता के प्रति अपमानजनक बात है। रमण सिंह की चुनौती को संघर्षशील जनता और उसका नेतृत्व करने वाली हमारी पार्टी न केवल स्वीकार करती है बल्कि जन संघर्षों, जन प्रतिरोध व जनयुद्ध को तेज करके उसका माकूल जवाब देगी।

यहां हम एक बार और दोहराते हैं कि हमारी पार्टी लंबे वक्त से यह स्पष्ट रूप से कहती आ रही है कि जनहित में, जनता के सुख-चैन के लिए वह हमेशा वार्ता के लिए तैयार रहती है, बशर्ते सरकारें वार्ता के लिए अनुकूल माहौल निर्मित करें, पुलिस, अर्ध-सैनिक बलों को वापस भेजें, जेलों में बंद हमारे नेताओं व झूठे मामलों में जेलों में बंद की गयी संघर्षरत जनता को रिहा करें, हमारी पार्टी पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाएं, शांति वार्ता के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए पदयात्रा के आयोजकों को चाहिए कि वे पहले सरकार से उपरोक्त मांगें पूरी करने को कहें।

उक्त पदयात्रा का मुख्य चेहरा बने शुभ्रांशु चौधरी जो अब तक अपने लेखन के जरिए ही क्रांतिकारी आंदोलन पर कीचड़ उछालने में, उसकी निंदा करने में, उसकी हार की वकालत करने में लगे थे, अब सीधे सड़क पर भी उतर रहे हैं। पत्रकारिता की आड़ में देशी-विदेशी कॉरपोरेट घरानों की सेवा में लगे ऐसे छद्म पत्रकारों का सामाजिक बहिष्कार करने एवं उनके द्वारा आयोजित होने वाली पदयात्रा में शामिल न होने, हमारी पार्टी जनपक्षधर पत्रकार बिरादरी, विभिन्न पत्रकार संगठनों खासकर 'जर्नलिस्ट्स विदाउट बॉर्डर्स' से अपील करती है।

यहां यह बताना लाजिमी होगा कि हाल ही में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी-सीपीआई ने घोषणा की थी कि वह 'विकल्प संगम मंच' के नाम पर माओवादियों और सरकार के बीच शांति वार्ता कराने पदयात्रा का आयोजन करेगी। यह उसकी संशोधनवादी एवं वर्ग समरसता की दिवालिया राजनीति का परिचायक है, वर्ग संघर्ष/जनयुद्ध को कब का छोड़ चुकी सीपीआई वोटों व कुछेक सीट पाने के लिए इस तरह के सस्ते दांव-पेंच पर काम कर रही है। आज के समय की मांग शांति वार्ता की नहीं, असली शांति की स्थापना के लिए लड़ने की है, जोकि हमारी पार्टी कर रही है। शोषक वर्गों के शोषण व शासन को खत्म करने से ही वह संभव है। देश के मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित तमाम उत्पीड़ित जनता पर जारी शोषक-शासक वर्गों व उनका प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारों की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सभी प्रकार की हिंसा को खत्म करने के लिए ही हमारी पार्टी सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनायी हुई है।

यह सर्वविदित है कि आज ब्राह्मणीय हिन्दुत्व कट्टरपंथी, धर्मोन्मादी व फासीवादी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं उसके दर्जनों अनुषांगिक संगठन खासकर भारतीय जनता पार्टी एवं केंद्र तथा विभिन्न राज्यों में कार्यरत उसकी सरकारें देश के तमाम उत्पीड़ित वर्गों व तबकों की जनता खासकर दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, अन्य पिछड़े तबकों की जनता व महिलाओं की अस्मिता, आत्मसम्मान, पहनावा-ओढ़ावा, खान-पान, रहन-सहन, एक शब्द में कहा जाए तो उनके स्वतंत्र अस्तित्व के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है।

देश की सार्वजनिक संपत्ति एवं संसाधनों की बेरोकटोक व निरंतर कॉरपोरेट लूट की जनविरोधी व देशद्रोही आर्थिक, औद्योगिक व खनन नीतियों पर अमल, आजादी का 75वीं

वर्षगांठ तक यानी 2022 तक ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी 'नए भारत' का निर्माण, बढ़ता फासीवादी दमन विशेषकर क्रांतिकारी आंदोलन के खात्मे के लिए वर्तमान में प्रतिक्रांतिकारी फासीवादी रणनीतिक दमन योजना– 'समाधान' का बर्बरतापूर्ण अमल, देशभक्ति के नाम पर अंधराष्ट्रवाद, असहमति का सफाया, जनवादी–प्रगतिशील व मानवाधिकार आंदोलनों पर पाशविक दमन आज की भाजपा नीत एनडीए सरकार का असली चरित्र है। मोदी द्वारा प्रस्तावित व प्रवचित 'नया भारत' पूरी तरह कॉरपोरेटपरस्त, उच्च वर्गीय, उच्च जातीय व हिंदू धर्मोन्मादी प्रभुत्व वाला, अंधराष्ट्रवादी, ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी भगवा भारत होगा जोकि आदिवासी, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग व महिला विरोधी एवं किसी भी तरह के विरोध को सहन न करने वाला होगा। वह भुखमरी, महंगाई, कालाबाजारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अस्वस्थता, आवासहीनता व भीषण गरीबी एवं भ्रष्टाचार व घोटालों से त्रस्त भारत होगा। एक देश, एक माल, एक कर से आगे बढ़कर वह एक भारत, श्रेष्ठ भारत, आखिर अखंड हिंदू राष्ट्र होगा। इस तरह की भड़काऊ, भटकाऊ व उन्मादी सोच व व्यवहार को हमें मिलकर हराना होगा। इसका जनता के बीच में राजनीतिक रूप से भंडाफोड़ करने एवं उसके खिलाफ देश भर में देशीय स्तर से लेकर गांव स्तर तक व्यापक जुझारू, संगठित व मजबूत संयुक्त मोर्चा व संयुक्त जनांदोलन, जन प्रतिरोध का निर्माण करना अति आवश्यक है। इस दिशा में कदम बढ़ाने की बजाए शांति वार्ता की बात करना, जनता को भटकाने, दिग्भ्रमित करने की कोशिश के सिवाय और कुछ नहीं है, इसलिए देश के मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, अन्य पिछड़ा तबकों, छात्रों, नव–जवानों, जनवादी–प्रगतिशील–देशभक्त ताकतों, मानवाधिकार संगठनों, जनपक्षधर मीडियाकर्मियों, लेखक–कलाकारों, वकीलों महिलाओं व वामपंथी ताकतों सहित तमाम उत्पीड़ित जनता से हमारी पार्टी अपील करती है कि ऐसे संयुक्त मोर्चा व आंदोलनों के निर्माण के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलें।

दरभा डिवीजनल कमेटी के सचिव सांईनाथ द्वारा 31 अक्टूबर, 2018 को जारी प्रेस विज्ञप्ति

निलावाया एम्बुश के बाद हमारी पार्टी पर होने वाले दुष्प्रचार का खण्डन करें

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अब चौथा विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। उसके अंतर्गत अलग–अलग राजनीतिक पार्टियां जनता को गुमराह करने के लिए झूठे वादे कर रहे हैं। इस चुनाव को शांतिपूवर्क सफल करने का बहाना बनाकर आज तक करीबन 5 लाख पुलिस, कमाण्डो व अध र्–सैनिक बलों के अलवा और 1 लाख अर्ध–सैनिक बलों को संघर्षरत इलाकों में तैनात किया गया है।

हर दिन गांवों पर हमला करना, जनता को मार–पीट करना, फर्जी मुठभेड़ों में मारना, फर्जी केसों (मुकदमों) में जेल भेजना, फर्जी आत्मसमर्पण के नाम से दसियों ग्रामीणों को वारन्टी नक्सली बताकर मीडिया में दिखाना आम बात हो गया है।

इसी महौल में ही दंतेवाड़ा जिला भरतपुर से लेकर बुरगुम तब सड़क बनाने का काम अक्टूबर 1 तारीख से चल रहा है। इसी वजह से जनता की बोयी हुई फसल कोदो, कुटकी, ध ान, तिलहन, दलहन आदि के नष्ट होने की वजह से वहां की जनता में आक्रोश पैदा हुआ है। निलावाया, पोटली, नाहडी, बुरगुम, रेवली पंचायतों की जनता सड़क निर्माण के विरोध में रैली निकली थी। इस रैली में शामिल जनता को पुलिस द्वारा मार–पीट कर जबरदस्ती रोड निर्माण कार्य चल रहा है। इसी के अंतर्गत हर दिन निर्माण में सुरक्षा के बहाने से पुलिस आकर जनता के उपर फायरिंग करना, मार–पीट करना, गांवों में लूट–पाट कर रहे हैं।

उसके विरोध में हमारी पीएलजीए ने पुलिस पर अक्टूबर 30 तारीख की सुबह निलावाया में एम्बुश किया था। इनमें एस.आई. रूद्रप्रताप सिंह, कान्सटेबल मंगलराम के साथ दूरदर्शन कैमरा मैन अच्युतानन्द साहू मारे गये और दो पुलिस घायल हो गये। हर दिन की तरह अक्टूबर 30 तारीख की सुबह हमारी पीएलजीए एम्बुश साईट में पहुँच गये, एम्बुश शुरू हो गया। इसी समय दूरदर्शन टीम भी पुलिस के गाड़ियों पर बैठकर एम्बुश में फंस गये। हमें नहीं मालूम था कि उसमें दूरदर्शन टीम भी है। जबरदस्त फायरिंग में अच्युतानन्द साहू का मरना दुख की बात है। हम जानबूझ कर पत्रकारों को नहीं मारेंगे। इस घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय प्रचार–प्रसार

शाखा मंत्री, पुलिस अधिकारी अवस्थी हमारे पार्टी को बदनाम करने के लिए दूरदर्शन टीम पर माओवादी हमला किया, ऐसा बोलते हुए मीडिया में दुष्प्रचार कर रहे हैं। पत्रकार के लोग हमारा दुश्मन नहीं हैं, हमारा मित्र है।

हम अपील कर रहे हैं कि कभी भी संघर्ष इलाकों में पत्रकार व अलग-अलग कर्मचारी लोग पुलिस के साथ न आयें। खासकर चुनाव ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारी लोग किसी परिस्थितियों में भी पुलिस के साथ न आयें।

झूठे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करो। जनविरोधी, देशद्रोही, साम्राज्यवाद परस्त, ब्राह्मणीय हिदुत्व फासीवादी संघ परिवार की भाजपा को मार भागाओ। वोट मांगने आने वाली अन्य संसदीय पार्टियों को जन अदालत के कटघरे में खड़ा करो। जनयुद्ध को तेज कर के प्रतिक्रांतिकारी रणनीतिक दमन योजना 'समाधान' (2017 से 2022) को हराएं। जनता की जनवादी राज्यसत्ता के संगठन क्रांतिकारी जनताना सरकारों को मजबूत करो, उनका विस्तार करो।

डीकेएसजेडसी अंतर्गत दक्षिण सब-जोनल कमेटी द्वारा चुनाव के दिन यानी 12 नवंबर, 2018 को जारी प्रेस विज्ञप्ति

झूठे लोकतंत्र में चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर) नक्सल प्रभावित जिले में सभी पोलिंग बूथों पर मतदान कराने हेतु मतदान दलों, पुलिस बलों को भेजने-पहुंचाने के झूठे दावों को खण्डन करें, फर्जी चुनावों को विरोध करें

मतदान कराने हेतु सभी पोलिंग बूथों में मतदान दलों को भेजे जाने, शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए 1 लाख पुलिस बलों को तैनात करके अंदरूनी क्षेत्रों में जगह-जगह छापा मारते हुए अपने नियंत्रण में परिस्थिति को रखने का जो दावा पेश किया जा रहा है, वह सब खोखला और सफेद झूठ हैं।

अभी तक अंदरूनी क्षेत्र में जहां पोलिंग बूथ है, वहां एक भी मतदान दल और पुलिस पार्टी नहीं पहुंची है। वोट देने के लिए जनता भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये आदिवासियों के बहुल क्षेत्र हैं, यहां वोट देने से भी आम जनता को कोई फायदा नहीं है, बल्कि इससे बड़े-बड़े कारपोरेट घरानों व शासक वर्गों को फायदा है। वोट देने के बाद जनता का सारे संसाधन तथा आदिवासियों के राज्याधिकार छीनने व लूट के ले जाने के लिए चुनावी ढोंग है। सत्ता में आने के बाद और भी लूटने व दमन करने के लिए उनका चुनाव का खेल है। जनवादी तरीका से चुनाव कराने के नाम से अभी भी जनता पर जुल्म चला रहे हैं। गांवों में फोर्स आकर जनता पर हमला करना, गिरफ्तारियां करके जेल भेजना, झूठा मुठभेड़ करके लोगों को मार डालना आदि अमानवीय तरीका से उनका हमला जारी है। ये सब उनका बलपूर्वक मतदान कराने का साजिश है तथा मुट्ठी भर अमीर लोगों की लोकतंत्र को मजबूत कराने की कोशिश है।

जहां नक्सल स्पेशल डीजी डीएम अवस्थी बता रहा है कि शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए 1 लाख फोर्स को तैनात किया गया है। लेकिन हमारी जन प्रतिरोध और पीएलजीए की सैनिक कार्रवाईयों से बौखलाहट के कारण फोर्स भी किसी पोलिंग बूथ में नहीं आया है। डर के मारे अंदरूनी इलाका में न घुसकर रोड साईड और थाने/कैम्प रहने वाली गांव/कस्बों के आसपास गश्ती/काम्बिंग करती रही है। अंदरूनी क्षेत्रों की गांवों का मतदान भी वहीं कराने का तैयारी है। अंदरूनी क्षेत्र की पोलिंग बूथों के नाम से जनता के बजाय पुलिस बल द्वारा बीजेपी के अनुकूल चुनाव करना बाधक दिख रहा है। इसी को कल अच्छे चुनाव का परिणाम घोषित करते हुए बड़े पैमाने पर बैलेट की ताकत के रूप में प्रचार करेंगे। असल में चुनाव नकली हैं, न की जनवादी तौर-तरीका। इससे समझ सकते है कि जनता के लिए कोई लोकतंत्र नहीं है। जहां जनता वोट देने के लिए तैयार नहीं है, वहां बलपूर्वक चुनाव कराने की साजिश चल रही है। अत: हम उनके लोकतंत्र के खोखले दावों और झूठे प्रचार का खण्डन कर रहे हैं तथा ऐसे झूठे लोकतंत्र में चुनाव पर जनता को कोई विश्वास नहीं करनी चाहिए। इस झूठे लोकतंत्र के विरोध में उठ खड़े होकर लड़ना चाहिए।

पीएलजीए की महत्वपूर्ण कार्रवाइयों रिपोर्ट

बीआरसी अंतर्गत मध्य जोन की रिपोर्ट

दुश्मन को पीएलजीए का मुंहतोड़ जवाब

गया-औरंगाबाद के जंगली सीमावर्ती क्षेत्र में प्राय: 10-10 दिनों में बिहार में नीतीश कुमार द्वारा अघोषित ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में झारखण्ड के पुलिस भी शामिल होते रहते हैं और झारखण्ड-बिहार पुलिस मिलकर बिना नाम दिए अभियान चलाते हैं। पेपर, रेडियो अर्थात मीडिया में एक भी अभियान का समाचार प्रकाशित नहीं होता है। दिनांक 14-8-2018 को गया-औरंगाबाद के सीमावर्ती जंगली क्षेत्रों में सीआरपीएफ और पुलिस द्वारा करीब 5000 की संख्या में ऑपरेशन ग्रीन हंट के तहत दमन-अभियान चलाया जा रहा था। पीएलजीए की एक टुकड़ी राजनीतिक-सांगठनिक काम करके सुबह करीब 7 बजे एचक्यू कैंप में लौट रहे थे, इसी क्रम में घात लगाये बैठे सीआरपीएफ पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गयी। मुठभेड़ करीब 15 मिनट तक चली। हमारा नुकसान किसी तरह से कुछ भी नहीं हुआ और बहादुरी के साथ लड़ते हुए हमारे पीएलजीए योद्धा एचक्यू कैम्प में पहुंच गये।

दिनांक 8-10-2018 को औरंगाबाद जिला के मदनपुर थाना अन्तर्गत पचरूखिया और नरायण कुआं के क्षेत्रों में सीआरपीएफ, कोबरा और पुलिस द्वारा 5 इंच मोर्टार द्वारा बम्बाडिंग किया गया, जिससे कइएक जंगली जानवर तथा पालतू जानवर मारे गये, पेड़-पौधे का नुकसान हुआव पर्यावरण काफी प्रदुषित हो गया। पुलिस की यह कार्रवाई 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' वाली कहावत को ही प्रदर्षित करती है।

दिनांक 2-11-2018 को पीएलजीए द्वारा एसपीओ नरेस सिंह भोक्ता का सफाया करने के बाद औरंगाबाद की पुलिस बौखलाकर पगल कुते की तरह पीएलजीए के खिलाफ में अभियान बतौर दिनांक 3-11-2018 को गया-औरंगाबाद के सीमावर्ती जंगली क्षेत्रों में गया हुआ था। पीएलजीए का एलजीएस और पार्टी कमेटी के सदस्य राजनीतिक-सांगठनिक कामों के लिए एक गांव में गये हुए थे। वहां पर ब्राम्हणीय हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा सरकार मोदी के खिलाफ में हस्तलिखित पोस्टर लिख रहे थे कि 3 बजे दोपहर में सीआरपीएफ और कोबरा के जल्लाद अचानक वहां पर आ पहुंचे। दस्ता का संतरी ने देखते ही पुलिस बलों के उपर फायरिंग किया। दोनों तरफ से करीब 30 मिनट गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में हमारे दस्ते का कुछ सामान जरूर छूट गया, लेकिन अपने मुखबिरों से पक्का सूचना पाकर पहुंची दुश्मन के नापाक इरादे पर पानी फिर गया और हमारे एक भी साथी को खरोंच तक नहीं आई। कम ताकत में भी हमारी पीएलजीए के योद्धाओं ने दुश्मन को जोरदार टक्कर दी और सकुशल हमारे साथी वहां से रिट्रीट कर गये।

पुलिस मुखबिर राजू उर्फ राजेश्वर पासवान (चौकीदार) का सफाया

बड़ी रकम पाने की होड़ में राजू पासवान चौकीदार ने अपनी सीमा का लांघकर जनता और भाकपा (माओवादी) के विरोध में कार्य करना शुरू कर दिया था। एक बार तो चौकीदार राजू उर्फ राजेश्वर पासवान तथा पुलिस मुखबिर, एसपीओ के खिलाफ में पोस्टर चिपकाकर सुधरने का मौका दिया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं होकर बल्कि एक कदम और बढ़कर पुलिस दलाली करना शुरू कर दिया। दिनांक-7-11-2018 को पकड़कर पूछताछ करते हुए पीएलजीए द्वारा सफाया किया गया। यहां हम ग्राम-रेंगनिया के चौकीदार राजू पासवान के काले करतूतों को उजागर कर रहा हूं, जिससे कि पाठकगण को समझने में सहूलियत होगा कि सफाया क्यों किया गया, जो निम्नलिखित है:

1. चौकीदार राजू पासवान के खिलाफ में सुधरने तथा चेतावनी के रूप में हस्तलिखित पोस्टर लगाया गया था, लेकिन सुधरने के बजाय और गलत मनसुबे से कार्य करना शुरू किया, 2. इसने पार्टी का गोली तथा अन्य सामान पहाड़पुर नहर के पास सितंबर 2017 को पुलिस से पकड़वाया था, 3. आम जनता को झूठा माओवादी के केस में फंसाकर जेल भेजवाने में कामयाब होने पर अपने आप को गर्व महसूस करना और जब जनता जेल से छूटकर आए तो उनसे यह कहना कि साला तुम इतना जल्दी आ गया तुमको तो 6

महीना के लिए भेजे थे, नहीं सुधरेगा तो फिर अन्दर ढकेल देंगे, 4. पुलिसिया ज्यादती के खिलाफ में आमस थाना पर प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों को माओवादी बताकर केस करवाना, जो रेंगनिया, बहेरा, बेल विगहा के जनता प्रदर्शन में नहीं गये थे, वैसे लोगों को भी नाम जोड़वा देना, 5. शराब भट्ठी से पैसा तसीलकर आमस थाना प्रभारी को देना तथा खुद अपना शराब भट्ठी चलाता था, 6. सोनदाहा क्षेत्र में हित-जन के घर जाने वाले लोगों को माओवादी बताकर गिरफ्तार करवाना, 7. सुबह-शाम रेंगनियां, शुकराडीह, बघमरवा के पहाड़ी तरफ एसपीओ लगाकर रखना ताकि उधर से माओवादी आने पर सूचना संग्रह कर पुलिस को देना व 8. महिलाओं के पैरवी के नाम पर यौन शोषण करना।

एसपीओ नरेश सिंह भोक्ता का सफाया

दिनांक 2-11-2018 को जनमुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) प्लाटून की एक टुकड़ी द्वारा नरेश सिंह भोक्ता को सफाया किया गया। नरेश सिंह भोक्ता, ग्राम सहियार, थाना मदनपुर, जिला औरंगाबाद का रहने वाला था। बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला अन्तर्गत मदनपुर थाना सामंतों के गढ़ के रूप में जाना जाता है। सामंतों के खिलाफ मदनपुर क्षेत्र की जनता जोरदार ढंग से संघर्ष करती आ रही है। दर्जनों सामंतों के हजारों-हजार एकड़ जमीन, भंडार जब्त कर अपना प्रभुत्व कायम किया है तथा जंगली क्षेत्रों में जंगल सिपाहियों के विरोध में संघर्ष कर जंगल को मुक्त किया है। आज यह जनता के अधीन है। चोर, डाकू, गुंडा, बदमाशों से लड़कर क्षेत्र को मुक्त किया गया है। सामंतवाद विरोधी संघर्ष में अनेकों साथियों एवं क्रान्तिकारी जनता ने अपना बहुमूल्य प्राण बलिदान दिया है। दुश्मन के काल कोठरियों (जेल) में आजीवन कारावास जैसी सजा बिताकर बाहर आए हैं, यहां तक की प्रतिक्रियावादी सरकार द्वारा फाँसी की सजा तक दिया गया था। क्रान्तिकारी जनता द्वारा संघर्ष कर फाँसी की सजा को आजीवन कारावास की सजा में शासक वर्गों को बदलने पर मजबूर किया था। नरेश सिंह भोक्ता सामंत विरोधी लड़ाई में क्रान्तिकारी जनता के साथ एक समय जुझारू रूप से शामिल हुआ था, इससे मदनपुर क्षेत्र की जनता स्थानीय तौर पर माओवादी नेता के रूप में आदर भाव करते थे, लेकिन नरेश सिंह भोक्ता 2014 से ही मदनपुर क्षेत्रों के सामंतों, खूंखार प्रतिक्रियावादियों, जोतदार-जमीन्दार व पुलिस अफसर की गोद में जाकर बैठ गया और अपने को बहुत बड़ा जमीन्दार, रंगदार बनाने में जुट गया। सामंतों और पुलिस अफसरों के इशारे पर जन विरोधी, पार्टी विरोधी कार्यों में खुले तौर पर संलग्न हो गया था।

इस कार्य में केवल स्वयं ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को शामिल कर रखा था। ये सोच था कि मैं माओवादियों को समाप्त कर बहुत बड़ा पूंजीपति बन जाउंगा, क्योंकि ब्राम्हणीय-हिन्दुत्व-फासीवादी केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा माओवादी नेता, कार्यकर्ता, कमांडरों व क्रान्तिकारी जनता के ऊपर लाख-लाख व करोड़-करोड़ रूपया का इनाम घोषित कर रखा है। ये घोषित किया है जो पकड़वायेगा उसे इनाम की राशि दिया जायेगा। इसी इनाम की राशि को पाने के लिए सारे कुकर्मों में लिप्त हो गया। जिस वजह से नरेश सिंह भोक्ता का पुत्र धनन्जय सिंह भोक्ता को ग्राम चपरवार से पीएलजीए द्वारा गिरफ्तार किया गया था तथा दिनांक 16-4-2017 को जन अदालत में हाजिर किया गया था। जन अदालत में करीब-करीब पांच सौ जनता की भागीदारी थी। इस अदालत में नरेश सिंह भोक्ता का नजदीकी हित-रिश्तेदार भी उपस्थित थे।

जन अदालत में धनंजय सिंह भोक्ता ने अपने पिताजी केसमाज विरोधी, क्रान्ति विरोधी कार्यों को उल्लेखित किया। उसने कहा कि हमसे जो गलती हुई है वह मेरे पिता नरेश सिंह भोक्ता द्वारा गलती करवाई गई है। माओवादियों के खिलाफ सूचना इकट्ठा करने के लिए रोड जांच करते थे, ग्राम सहजपुर, सहियार, कनौदी, नावाडीह, कानीडीह, निमीडीह, अमावार, तरी, छाली दोहर जाकर पता लगाते थे, यहां भी मैं उसी काम से आया था। पता लगने पर पिताजी को सूचना देते थे। इसके एवज में मुझे पुलिस से तीन हजार रूपया प्रति माह मिलता था। कामरेड त्यागी जी की हत्या मेरे पिताजी द्वारा मुखबिरी कर करवाई गयी है। उनकी हत्या के बाद आठ-दस आदमी एक साथ होकर खुशी व जश्न मनाये तथा मिठाई खाये थे। मेरे पिताजी ज्यादातर विधवा महिलाओं के घर में रहते हैं। उनलोगों से नाजायज संबंध रखते हैं। उक्त गलतियों को मैं जनता के समक्ष स्वीकार करता हूँ। आम जनता से माफी मांगते हुए एक बार सुधरने का मौका मांगा। जनता उसे हल्का-फुल्का शारीरिक दंड देते हुए सुधरने का मौका दिया और जन अदालत में नरेश सिंह भोक्ता को आने की घोषणा किया गया था। लेकिन नरेश सिंह भोक्ता ने ऊपरी तौर पर पार्टी के पास आवेदन दिया था, इस आवेदन की आड़ में

आकर माओवादियों का खात्मा करने को जी-जान लगा दिया और लगातार सीआरपीएफ कमांडेंट (मदनपुर), इन्सपेक्टर व थाना प्रभारी (मदनपुर), अभियान एसपी राजेश सिंह, एसपी सत्यप्रकाश को पल-पल की सूचना देना शुरू कर दिया, जिससे पीएलजीए का दस्ता गांव में जा रहा है, एक घंटा बाद ही पुलिस आ रही है।

अब हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से इसके कुकर्मों को रेखांकित कर रहे हैं:

1. दिनांक 25-9-2014 को कनौदी-सहियारी जंगल में जन अदालत लगाकर नरेश सिंह भोक्ता को पार्टी विरोधी क्रियाकलाप का खुलासा करते हुए सुधरने का चेतावनी दिया गया था, 2. दिनांक 9-10-2016 को मुखबिरी कर कामरेड त्यागी सिंह भोक्ता को सीआरपीएफ, कोबरा द्वारा हत्या करवाया, 3. दिनांक 3-8-2016 को एक व्यवसायी को माओवादी बोलकर ग्राम झिकटिया-पंडरा के पास सीआरपीएफ द्वारा गोली चलवाया, 4. दिनांक 17-3-2016 को ग्राम सहजपुर में पीएलजीए दस्ता को खाना खाने के क्रम में एक घंटा बाद पुलिस को गुप्त सूचना देकर भेजवाया, 5. दिनांक 21-3-2016 को लौंगराही, पचरूखिया के जंगलों में सीआरपीएफ का कैंप लगाकर अभियान चल रहा था, जिसमें पुलिस को खाने के लिए चावल, दाल, आलू, सब्जी, मशाला, तेल व अन्य खाद्य सामग्री व सात-आठ व्यक्तियों के साथ वह खुद पहुंचाया था, 6. दिनांक 21-4-2016 को आजाद विगहा गांव में पीएलजीए दस्ता गया हुआ था, उसी समय नरेश सिंह भोक्ता गांव में गया, जैसे ही पता चला कि यहां पीएलजीए दस्ता आया हुआ है वहां से भाग गया, एक घंटा बाद वहां पुलिस आ गयी, 7. दिनांक 16-4-2017 को ध नंजय सिंह भोक्ता, पिता नरेश सिंह भोक्ता की मोटरसाइकिल जब्त किया गया था और फरवरी 2018 को जहां गाड़ी रखा हुआ था, वहां से झूठ बोलकर गाड़ी ले गया कि माओवादियों से बात हो गयी है, गाड़ी मुझे दे दो और गाड़ी ले गया, 8. अगस्त 2018 को सहजपुर रोड बना रहे ठेकेदारों को रोककर रंगदारी मांग किया, नहीं देने पर काम को बंद कर दिया और बोला कि यहां कोई माओवादी नहीं है, जो भी है नरेश सिंह भोक्ता है, ये नक्सलमुक्त क्षेत्र है। रंगदारी देना ही होगा, अंत में ठेकेदार ने रंगदारी दिया, इसके बाद ही काम हुआ, 9. जनता द्वारा जब्त की गयी जमीन को जो जनता ही लम्बे समय से जोत-कोड़ कर जीविकोपार्जन कर रही थी, उस जमीन को जमीन्दारों से रजिस्ट्री करवाकर तथा अन्य जमीन भी 2018 में लगभग 25 बीघा अपने कब्जे में कर लिया, 10. दर्जनों स्वजातियों व अन्य लोगों को माओवादी का सदस्य बताकर जेल में भेजवाया, 11. 2016 से लेकर 2018 तक जनता द्वारा जब्त जमीन्दार का आम का बगीचा ग्राम-छाली दोहर, कनौदी जमीन्दारों से मिलकर बगीचा कटवा लिया, 12. एक तरफ स्वजातियों के ऊपर माओवादी बताकर जेल के सलाखों में भेजवा रहा था, दूसरी तरफ भोक्ता सुधार समिति गया-औरंगाबाद नामक छद्म संगठन बनाकर क्रान्ति विरोधी, समाज विरोधी कामों में लिप्त था। जिसका उजागर स्वंय व मीडियाकर्मियों ने भी किया है, 13. ग्राम आजाद विगहा के दो लड़की, जिसमें शहीद का. सुरेश भुइयां उर्फ कामरेड राकेश की भतीजी थी, जो अपने चाचा से भेट करने जंगलों में आयी थी। चाचा से मुलाकात नहीं हुआ, दूसरे दिन लड़की घर चली गयी। नरेश सिंह भोक्ता ने सीआरपीएफ कमांडेंट, थाना प्रभारी श्यामकिशोर सिंह व प्रतिक्रियावादी राजपूत जाति के लोग के साथ षड़यंत्र कर स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाकर मीडिया में दुष्प्रचार किया व 14. एसपीओ नन्हू सिंह भोक्ता, अवधेश सिंह भोक्ता, प्रेम भुइयां का सफाया करने पर भोक्ता सुधार समिति गया-औरंगाबाद के नाम से प्रेस विज्ञप्ति पार्टी के विरोध में दिया तथा पर्चा जारी किया।

ग्राम-सोनदाहा (पिपराटांड़) के एसपीओ उपेन्द्र साव को सफाया

उपेन्द्र साव को सुधारने के लिए हमारी पार्टी और स्थानीय जनता द्वारा बहुत सारे उपाय किये गये, लेकिन नहीं सुधरा। अंततः दिनांक-8-11-2018 को पीएलजीए द्वारा गिरफ्तार कर पूछ-ताछ करते हुए सफाया किया गया।

सन् 2006 ई. में भाकपा (माओवादी) के जनमुक्ति छापामार सेना के लोकल गुरिल्ला स्क्वाड (एलजीएस) में शामिल हुआ यह व्यक्ति 2007 ई. में प्लाटून न. 28 में सेक्शन कमांडर तक जिम्मेवारी निभाया था। बाद में शादी करने के लिए संगठन से लौटकर घर गया। शादी करके घर पर आम जनता जैसा जीवन यापन कर रहा था। इसके साथ-साथ घर से ही पार्टी का काम-काज में सहयोग भी करता था। सन् 2015 ई. से इसकी गतिविधि में बदलाव के संकेत मिलने लगे। इसको बुलाकर समझाने का प्रयास किया गया। इन्होंने बोला कि हम पर केस है, कोर्ट में सरेन्डर कर

बेल करवा लेंगे। केस में बेल नहीं करवाकर राज्य पोषित सशस्त्र खुफिया गिरोह धिरू यादव के साथ शामिल हो गया। जनता विरोधी, पार्टी विरोधी क्रान्ति विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त हो गया। सन् 2015 ई. में ही एक जन अदालत लगाया गया, जिसमें लगभग 200-300 महिला-पुरूष भाग लिए। जन अदालत में फैसला लिया गया कि सबसे पहले उपेन्द्र साव को बुलाया जाय, अगर वह अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो उसे एक बार सुधरने का मौका दिया जाय। जन अदालत में ही उनकी मां और बहन से उसके मोबाइल पर बातचीत कराया गया, उन्होंने साफ बोला कि मुझे जहां रहना है मैं वहां चला आया हूँ। मैं लौटकर नहीं आउँगा। तुमलोगों को जैसे रहना है रहो या वहां से भाग जाओ। इतना सुनने के बाद जनता के अन्दर आक्रोश पैदा हो गया और उसके घर में जनता द्वारा ताला लगाया गया। इसके बाद इसकी बहन रूनवा देवी पूरे परिवार घर छोड़कर, अपने ससुराल वाले घर में चली गयी। मां और भाई ने जनता के पास पुनः अर्जी लगायी कि हम लोग तो दोषी नहीं हैं, जो दोषी है उसके साथ भी नहीं है। विचार करते हुए उनलोगों को घर में रहने का जनता ने इजाजत दे दिया। ये लोग आज भी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। इसके बाद उपेन्द्र साव खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया। जनता के साथ रंगदारी करना, रंगदारी में रूपया लेना, दारू भट्ठी चलाना, क्षेत्र से रिपोर्ट लेकर स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता व जनता को मारने की धमकी देना, आमस, मदनपुर बाजार में बाजार के दिन रहना और कौन-कौन आदमी आ रहा है-जा रहा है उस पर निगरानी रखना तथा पुलिस के साथ क्षेत्र में आना-जाना करने लगा था। कुछ दिनों से पुलिस के लिए मुखबिरी, एसपीओ का काम खुल के कर रहा था।

अब हम इसके करतूतों को समझने के लिए कुछ उदाहरण पेश कर रहा हूं, जो निम्नलिखित है: 1. स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता को पुलिस से पकड़वाया, जो आज भी जेलों में बंद है, 2. पुलिस ज्यादती के खिलाफ में जनता द्वारा किये गये प्रदर्शन के बाद सोनदाहा क्षेत्र के महिला-पुरूष, बच्चा-बच्ची को माओवादी बताकर फर्जी केस करवाना, 3. टीपीसी के नाम पर अंजनवा में ईंट भट्ठा को ध्वस्त कर देना, 4. जनता से रंगदारी लेना, 5. शराब भट्ठी खुलवाना, 6. स्थानीय कार्यकर्ता व जनता को धमकी देना कि माओवादी का काम छोड़ दो नहीं तो जान से मार देंगे, 7. क्षेत्र से माओवदी का रिपोर्ट लेकर पुलिस को देना आदि।

जेआरसी अंतर्गत यू-जोन की रिपोर्ट

28 जुलाई से 3 अगस्त, 2018 तक पार्टी शहादत सप्ताह की रिपोर्ट

उत्तरी छोटानागपुर जोनल इलाके में एक माह पहले से ही पार्टी शहादत सप्ताह को सफल बनाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए पूरे इलाके को हस्तलिखित पोस्टर, बैनर, फेस्टून से पाट दिया गया था। साथ-साथ बुकलेट भी वितरण करते हुए पूरे जोन में कुल पांच जगहों में विधिवत रूप से शहादत दिवस कार्यक्रम सम्पन्न किया गया।

1. जेलंगा सबजोन के लुगू एरिया में पार्टी, फौज, जन मिलिशिया, के.के.सी. सहित व्यापक महिला-पुरूषों के बीच 30 जुलाई, 2018 को शहादत दिवस का पालन किया गया। आमसभा में जनता की भगीदारी 300 हुई।

2. पारसनाथ सबजोन के लाल बाजार एरिया में पार्टी शहादत दिवस 30 जुलाई, 2018 को जोश-खरोश के साथ पालन किया गया। कार्यक्रम झण्डोत्तोलन से शुरू करते हुए आम सभा का कार्यक्रम का चलाया गया लगभग 500 महिला-पुरूषों की उपस्थिति में शहादत दिवस को सफल किया गया।

3. पारसनाथ सबजोन के गोन डुब्बा एरिया में पार्टी शहादत दिवस 30 जुलाई, 2018 को पालन किया गया। उपस्थित जनता की संख्या तकरीबन 100 महिला-पुरूष रही।

4. पारसनथ सबजोन के बराकर एरिया में 3 अगस्त, 2018 को पार्टी शहादत दिवस का पालन किया गया। लगभग 70-80 की संख्या में महिला-पुरूषों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

5. मध्य सबजोन के उत्तरी डुमरी एरिया में पार्टी शहादत दिवस 2 अगस्त, 2018 को जोश-खरोश के साथ पालन किया गया। लगभग 100 की संख्या में महिला-पुरूषों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

सभी जगह सर्वप्रथम झण्डोत्तोलन वरिष्ठ कामरेड द्वारा हुआ, झण्डोत्तोलन होने के बाद गगनभेदी नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। लाल झण्डा करे पुकार इन्कलाब जिन्दाबाद, भाकपा (माओवादी) जिंदाबाद, संशोधनवादियों से लाल झण्डा छीन लें आदि नारा दिया गया। झण्डा के प्रति गाना के बाद शहीद वेदी पर माल्यार्पण बारी-बारी से करने के बाद शहीदों

के प्रति शहीद गाना के बाद झण्डा मैदान का कार्यक्रम समाप्त कर सभा का कार्यक्रम क्रांतिकारी गाना से शुरू किया गाया।

उद्घाटन वक्ताव्य में सबसे पहले भाकपा (माओवादी) के संस्थापक नेता व शिक्षक कामरेड चारू मजूमदार व कामरेड कन्हाई चटर्जी को सिर झुकाकर नमन करते हुए भारतीय क्रांतिकारी में आंदोलन अपनी जान की कुर्बानी दिये तमाम शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किये गये। साथ-साथ केन्द्रीय तीन कार्यभार पीएलजीए को पीएलए में विकसित करें, गुरिल्ला जोन को गुरिल्ला आधार इलाका में बदल डालो, गुरिल्ला युद्ध को चलायमन युद्ध में विकसित करो के साथ ही संयुक्त मोर्चा का निर्माण करने, ऑपरेशन ग्रीन हण्ट व 'मिशन-समाधान 2018 से 2022' को परास्त करने तथा व्यापक रूप से पीएलजीए में भर्ती अभियान चलाने का संकल्प दोहराया गया।

14वीं पार्टी स्थपना दिवस की रिपोर्ट

उत्तरी छोटानागपुर जोनल कमेटी के अन्तर्गत पारसनाथ सबजोन में दो जगह और मध्य सबजोन में एक जगह पर पार्टी की 14वीं वर्षगांठ मनाया गया। इसके लिए हस्तलिखित पोस्टर एक हजार, बैनर 25, फेस्टून 100 तैयार किया गया, जिसे इलाका में व्यापक रूप से पोस्टरिंग, बैनर, फेस्टून विभिन्न चौर-चौराहों व गांव-कस्बों में लगया गया। जिससे दुश्मन के अंदर खलबली मच गई व जनता के अन्दर खुशी का महौल पैदा हुई।

यह प्रचार गांव-घरों में भी जोरों पर रहा कि कब कहां मनायेंगे, इसके लिए गांवों में ग्रुप मीटिंग, ग्रुप सभा सिलसिलेवार ढंग से चलते रहा। दूसरी तरफ दुश्मन ने बड़े पैमाने पर तैयारी के साथ पार्टी स्थापना दिवस कार्यक्रम विफल करने के लिए 15-16 सितम्बर से ही छापामारी अभियान तेज किया और बैनर-फेस्टून-पोस्टर को हटाने के साथ आम ग्रामीण जनता को डराने-धमकाने से भी सन्तुष्ट नहीं हुआ, तो पीरटांड पुलिस मार-पीट करने पर उतर आई। जैसे पीरटांड से सटे गांव सरायटोला में दो आदमी की पिटाई किया, इसी तरह से मधुबन थाना के हरलाडीह गांव में स्कूली बच्चों को डराने-धमकाने का काम किया और भी बहुत जगह इस तरह से धमकी व मार-पीट किया।

1. जनता की प्यारी पार्टी भाकपा (माओवादी) की 14वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भी क्रांतिकारी जनता तैयारी में जुटी रही। करमा पर्व रहने के कारण 21 तारीख को ना मनाकर 23 सितम्बर 2018 को पारसनाथ सबजोन के भलकी एरिया में पालन किया गया। हालांकि 23 सितम्बर को भी दुश्मन सुबह से ही अन्दर इलाके में कार्यक्रम को विफल करने के लिए घुस गया था। जहां कार्यक्रम हो रहा था, वहां से महज एक घंटा की दूरी में ही दुश्मन डेरा डालकर दिन भर बैठी रही। दुश्मन की पल-पल की रिपोर्ट के लिए जन-मिलिशिया को लगा कर रखा गया और कार्यक्रम भी होते रहा।

2. पारसनाथ सबजोन के लाल बाजार एरिया में भाकपा (माओवादी) की 14वीं वर्षगांठ पालन किया गया। लगभग 400-450 की संख्या में व्यापक महिला-पुरूषों व बच्चे-बच्चियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

3. मध्य सबजोन के उत्तरी डुमरी एरिया में भाकपा (माओवादी) की 14वीं वर्षगांठ एरिया क्रांतिकरी किसान कमेटी के नेतृत्व में 27 सितम्बर, 2018 को धूम-धाम से पालन किया गया, जिसमें लगभग 80-90 की संख्या में महिला-पुरूषों ने हिस्सा लिया।

सभी जगह झण्डा मैदान को बैनर, फेस्टून, पोस्टर व लाल पताका से सजाकर कार्यक्रम की शुरुआत झण्डोत्तोलन से किया गया। झण्डोत्तोलन करने के साथ ही नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। साथ ही झण्डा के प्रति क्रांतिकारी गाना 'अन्याय का दाहक है न्याय का वाहक है' प्रस्तुत किया गया। वक्तव्य देते हुए कामरेडों ने कहा कि दो पार्टी सी.पी.आई. (एमएल) पीडब्ल्यू और एमसीसीआई का विलय होकर एकीकृत सीपीआई (माओवादी) की स्थापना 21 सितम्बर, 2004 को हुआ। पार्टी गठन सुनते ही शोषक-शासक वर्गो के रोंगटे खड़े हो गये। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहान सिंह ने घोषणा किया कि देश में आंतरिक खतरा माओवादी से है। इसके बाद देश के कई राज्यों को मिलाकर ज्वाइंट ऑपरेशन कमाण्ड गठन कर दमन चलाना शुरू किया। जिसका जवाब जनता की सेना पीएलजीए ने एक के बाद एक शानदार शौर्यपूर्ण कार्रवाई के जरिये दिया। इसके बाद यूपीए के शासन में 'ऑपरेशन ग्रीन हण्ट' अभियान चलाया। उससे एक कदम आगे बढ़कर नरेन्द्र मोदी 'मिशन-समाधान' चला रही है, इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आम जनता के पास आह्वान किया गया। इसके लिए पार्टी, फौज व संयुक्त मोर्चा को क्रमशः मजबूत बनाकर ही मुकाबला करते हुए जीत हासिल करेंगे।

एक छापामार कैम्प में आयोजित पार्टी की 14वीं स्थापना दिवस समारोह की तस्वीरें